खण्ड-309, अंक-4
शुक्रवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1896
(12 जुलाई, 1974 ई0)

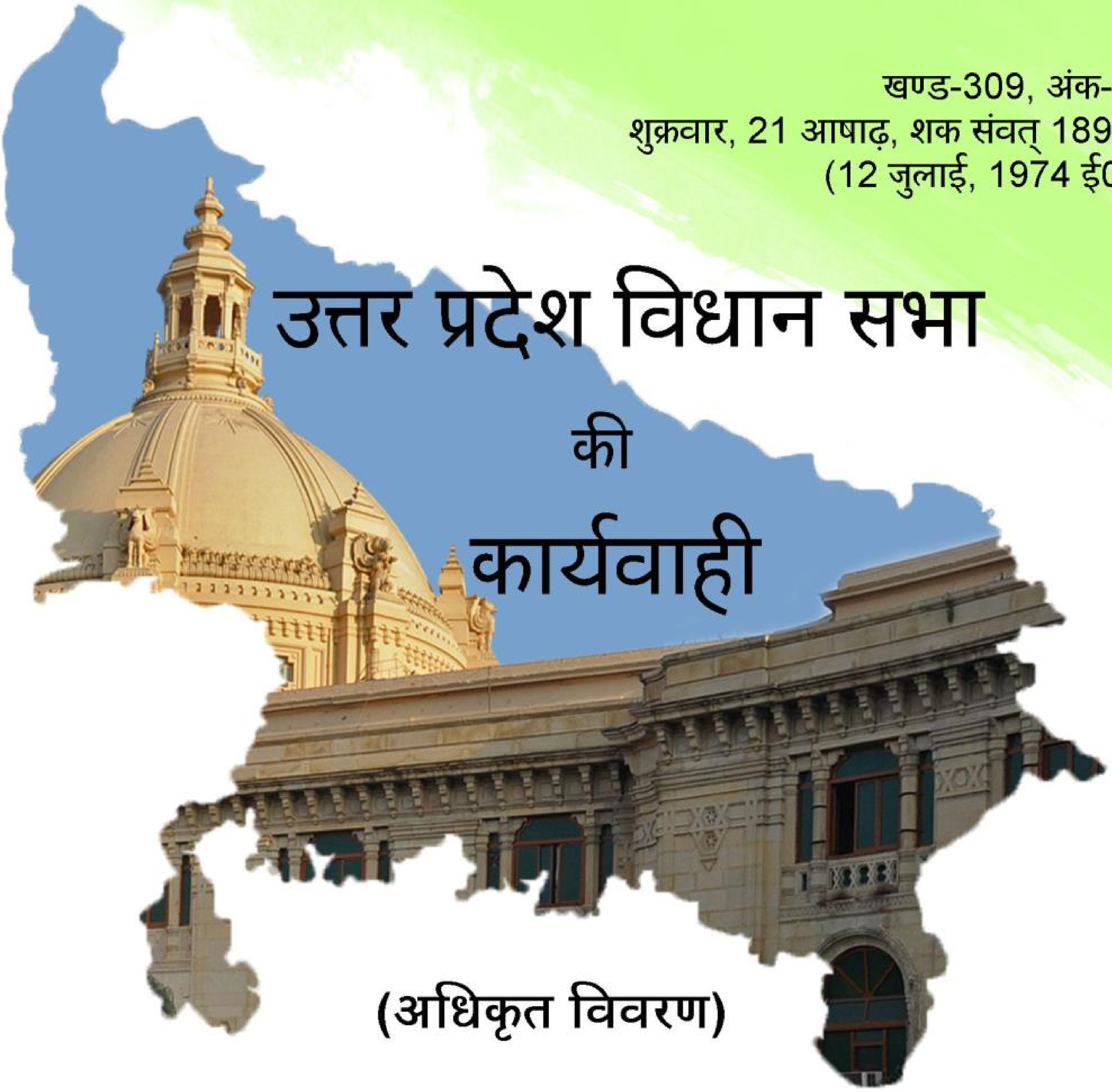

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३९०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री, उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवातस्व, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिरा मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाकिशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीष्म, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह कन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगर सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनोराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकट
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुमतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री

रघुबीर, श्री (ज़िला गाजीपुर)
रघुबीर सिंह, श्री (जिला मनपुरी)
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी सिंह, श्री
राम जी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, श्री, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
बिमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यापाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ जुलाई, १९७४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर में तेंदू पत्ती के व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*१—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार ने पता लगाने का प्रयास किया है कि मिर्जापुर जिले में तेंदू के पत्ती के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने से पूर्व जो ग्रामवासी पत्ती तोड़कर अपनी जीविका चलाते थे और जो अब बेरोजगार हो गये हैं उनकी अनुमानित जन-संख्या क्या है? यदि हां तो सरकार द्वारा उनको वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या प्रयास किया गया है?

वन तथा पर्यटन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मिर्जापुर जिलें में तेंदू पत्ती के राज्य व्यापार के पूर्व जो ग्रामवासी पत्ती तोड़कर अपनी जीविका चलाते थे वही ग्रामवासी अब भी पत्ती तोड़ने का कार्य करते हैं, अतः उनके बेरोजगार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*2—श्री शिव सम्पत्ति राम—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मिर्जापुर में तेंदू पत्ती के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के जिन निजी काश्त वाले जोतदारों के पेड़ सरकारी कब्जे में आ गये हैं उन्हें किस दर से मुआवजा दिया गया ? यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९७२ की धारा ९(१) तथा नियमावली, १९७२ के नियम ६(१) के अन्तर्गत प्रत्येक निजी काश्त वाले जोतदार को अपना रजिट्रेशन करा कर अपने पत्ते तुड़वाने तथा उसे सरकार द्वारा नियुक्त अभिकर्ता को बेचने की व्यवस्था है । किसी निजी काश्त वाले जोतदार के पेड़ सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिये हैं । अतः पेड़ों का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव सम्पत्ति राम—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि राष्ट्रीयकरण के पहले उन मजदूरों को क्या मजदूरी मिलती थी और अब क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

राष्ट्रीयकरण के पहले उनको २० रुपया फी थैला मिलता था और अब २२ रुपये है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह यह सिफारिश करेंगे कि तेंदू पत्ती को तोड़ने वाले जो मजदूर हैं उनको मिनिमम वेज ऐक्ट लागू कर दिया जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, विचार कर लेंगे इस पर ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यह देखते हुये कि २ रुपये फी सैकड़ा उनको जो मजदूरी मिलती है वह बहुत कम है और यह मजदूरी बढ़ाकर ४ रुपया फी सैकड़े के हिसाब से कर दी जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, इस मजदूरी को निर्धारित करने के लिये एक समिति है, वही इसकी कीमत तय करती है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर, पत्ती जैसी फिजूल चीज जिससे वह अपनी जीविका कमाते थे उसका भी सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया और लोगों को बेरोजगार कर दिया तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उसको निरस्त करके लोगों को मौका दें ताकि वह अपनी जीविका आसानी से और आजादी के साथ पैदा कर सकें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसमें कोई भी बेरोजगार नहीं हुआ । पहले जो लोग इकट्ठा करते थे वही आज भी इकट्ठा करते हैं उनको पैसा उसी हिसाब से अब भी दिया जाता है। कोई फर्क नहीं हुआ है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो समिति बनी हुई है वह पत्तियों का दाम किस आधार पर तय करती है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, उस समिति में विधान सभा के सदस्य भी हैं और व्यापारी वर्ग भी । वहां की हालत को देखते हुये यह समिति बैठकर विचार करती है और तय कर देती है ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो समिति बनी है उसमें कौन-कौन से मेम्बर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग सवाल है ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, हम लोग विधायक हैं लेकिन पता नहीं कि कौन-कौन से मेम्बर हैं ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उसमें मेम्बर हैं वाराणसी के कमिश्नर, कन्जरवेटर, डी० एफ० ओ०, लोकपति त्रिपाठी, एम० एल० ए० महातम सिंह, दयाशंकर सिंह और बलभद्र सिंह ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

यह महातम सिंह तो यनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और लोकपति जी के क्षेत्र के भी नहीं हैं। हम लोगों को, मान्यवर, मेम्बर क्यों नहीं बनाया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*३—श्री राम सेवक यादव—

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पड़रौना तहसील (देवरिया) में उपल-वृष्टि से क्षति

*४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में पडरौना ब्लाक तथा विशुनपुर ब्लाक के गांवों में २५ मार्च, १९७४ तथा ४ अप्रैल, १९७४ को भयंकर उपल-वृष्टि हुई है ? यदि हां, तो उससे रबी की फसल को कितनी क्षति हुई है ? और सरकार ने कौन से राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

२५ मार्च, १९७४ तथा ४ अप्रैल, १९७४ को विकास खंड, पडरौना तथा विशुनपुर में उपलवृष्टि हुई थी जिसके कारण ३०७२३ एकड़ फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई । प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिये मालगुजारी तथा विकास कर में छूट के प्रस्ताव

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

तैयार किये जा रहे हैं और नियमानुसार छूट की स्वीकृति दी जायेगी। इन क्षेत्रों में मालगुजारी तथा विकास कर की वसूली फिलहाल स्थगित है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इससे कितने गांव प्रभावित हुए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इससे दोनों उपल-वृष्टि की वजह से ६२५ ग्राम प्रभावित हुए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

कितने ब्लाक प्रभावित हुए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

२ ब्लाक प्रभावित हुए। कुछ और ब्लाक थोड़े-थोड़े प्रभावित हुए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो उन्होंने राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं तो राहत कार्य से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या टेस्ट वर्क से है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

राहत कार्य का मतलब टेस्ट वर्क से होता है। तकावी और अनुदान जो दिया जाता है वह राहत कार्य कहलाता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

टेस्ट वर्क सिर्फ शुरू हुए हैं तो क्या तकावी बांटी गई है ? और तकावी बांटी गई तो उनसे वसूली भी की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् वसूली का प्रश्न यह है कि जो खुशी से दे देता है, ले लिया जाता है। दुबारा उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय मंत्री जी का इतना गलत उत्तर है, इसका क्या उपाय है ? क्या माननीय मंत्री जी से १३ जून को प्रश्नकर्त्ता तथा देवरिया जनपद के २ माननीय सदस्य श्री बांकेलाल जी और कृपा शंकर जी इस संबंध में मिले थे और उन्होंने कोई आदेश दिये थे और उस आदेश का अनुपालन आपके विभाग ने नहीं किया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस वक्त मुझे स्मरण नहीं है कि वे किस सिलसिले मे मिले थे और उन्होंने क्या मांग की थी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राहत वर्क में टेस्ट वर्क भी शामिल है और वह वहां पर शुरू है। लेकिन वहां पर कोई भी टैस्ट वर्क शुरू नहीं हुआ है। मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी पता लगायेंगे कि कहीं भी देवरिया जिले या गोरखपुर जिले में कोई टैस्ट वर्क शुरू नहीं हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि टेस्ट वर्क शुरू हुआ। राहत कार्यों के लिये २ लाख रुपये का आवंटन किया गया था लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने टेस्ट वर्क शुरू नहीं किया। उनके ऊपर मैं कार्यवाही करने वाला हूं कि उन्होंने यह कार्य शुरू क्यों नहीं किया।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के घास एवं लकड़ी के ठेके का नवीनीकरण

*५—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल सहारनपुर के घास एवं लकड़ी के ठेके का नवीनीकरण सरकार ने रोक दिया है? यदि हां, तो ठेका रोक दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर के कोई घास एवं लकड़ी के ठेके का नवीनीकरण सरकार ने नहीं रोका है। प्रश्न का शेष भाग उठता ही नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने इस फर्म से कहा था कि ९० प्रतिशत कागज देने की शर्त स्वीकार की जाय, जिसके कारण यह सवाल उपस्थित हुआ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, नवीनीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लकड़ी का कंट्रैक्ट है, वह ८१ में खत्म होगा और जो घास का कन्ट्रैक्ट है वह सितम्बर, ७४ में खत्म होगा। नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उपस्थित होता है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

जो एग्रीमेंट लकड़ी के बारे में स्टार पेपर मिल का है, उसके खिलाफ बहुत सस्ते दर पर लकड़ी दी है तो क्या इसलिये सरकार से मांग की जा रही है कि इस एग्रीमेंट को रद्द किया जाय? इस एग्रीमेंट को रद्द करने का क्या कारण है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसा प्रश्न ही नहीं है। पुराने एग्रीमेंट के रद्द करने का प्रश्न ही सरकार के सामने नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एग्रीमेंट है उसमें कोई शर्त है कि जो लकड़ी देंगे, उसमें इतने प्रतिशत वह कागज देंगे?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, जो फैक्ट्री है, उसमें दो प्रकार के कागज बनते हैं, एक सफेद और एक ब्राउन। परसेंटेज है कि नहीं, ऐसा कोई कन्ट्रैक्ट है कि नहीं, मालूम नहीं।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लकड़ी दी जा रही है, उसकी दर क्या है और क्या इस दर पर दिये जाने के खिलाफ शिकायतें मिली हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, शिकायतें तो प्रायः आया करती हैं। कई दफा जांच भी की गयी है। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं पाई गई।

तारांकित प्रश्न

ग्राम सुजानपुर, डेरापुर (कानपुर) में वन विभाग की भूमि का पट्टा

*१—चौधरी रामपाल सिंह (जिला कानपुर)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर में वन विभाग की अनुपयुक्त भूमि को वन विभाग से पृथक कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त भूमि का कुल रकबा कितना है तथा उसका आराजी नं० अलग-अलग क्या है और पृथक किये जाने के शासन के आदेश कब हुए हैं? क्या इस भूमि को वन विभाग की ओर से किसी सहकारी कृषि समिति को अथवा व्यक्तियों को उसे सुधार कर कृषि करने के लिये दिया जायेगा? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं। कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम सुजानपुर में वन विभाग की कोई भमि वन विभाग से पथक नहीं की गई है किन्तु १०० एकड़ वृक्षारोपण के लिये अनुपयुक्त भूमि कृषकों को सालाना पट्टे पर दिये जाने के लिये अक्तूबर, १९७२ में शासन द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं। इच्छुक भूमिहीन व्यक्तियों को या उनकी किसी सहकारी समिति को चाहिये कि वे संबंधित उप अरण्यपाल से सम्पर्क स्थापित करके प्रश्नगत भूमि को कृषि हेतु पट्टे पर लें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

अक्तूबर, ७२ में जो शासन द्वारा आदेश दिये गये हैं वे किस प्रकार के आदेश हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

१०० एकड़ की भूमि अलग कर दी गयी थी और कहा गया था कि जो काश्तकार भूमिहीन हैं और वह वहां पट्टा लेना चाहें तो ५ साल के पट्टे पर भूमि उनको दी जा सकती है। ६ काश्तकारों को पट्टे पर दी जा चुकी है। माननीय सदस्य प्रयास करें और अगर कोई काश्तकार लेना चाहता है तो उसको भी दे देंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जैसा उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि १०० एकड़ भूमि वृक्षारोपण के लिये अनुपयुक्त भूमि है तो उसको पट्टे पर क्यों दे रहे हैं? सीरदारी अधिकार पर क्यों नहीं दे देते हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अभी १०० एकड़ भूमि ऐसी थी जहां पर वृक्षारोपण नहीं हो सकता था। उसको अलग करके यह किया है कि कोई काश्तकार उसे लेना चाहते हों तो दे देंगे। बाकी जमीन पर वृक्षारोपण हो सकता है। इसकी छानबीन कर रहे हैं और अगर उस पर वृक्षारोपण नहीं होगा तो उसे भी काश्तकारों को दे देंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मेरा सवाल यह था कि जब भूमि अनुपयुक्त है तो ५ साल के पट्टे पर काश्तकारों को न देकर २०, ३० अथवा ९० साल के पट्टे पर क्यों नहीं आप दे रहे हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वन विभाग में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि इतनी लम्बी अवधि के लिये पट्टा दिया जा सके सिर्फ ५ साल का पट्टा दिया जा सकता है ।

डेरापुर तहसील (कानपुर) के सहायक चकबन्दी अधिकारी का कार्यालय

*२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में चकबन्दी का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है डेरापुर "खास का सहायक चकबन्दी कार्यालय" डेरापुर में है परन्तु सहायक चकबन्दी कार्यालय के डेरापुर में न लग कर गलुआपुर में लगता है और डेरापुर के इलाके के लोगों को डेरापर के बजाय गलुआपुर जाना पड़ता है तथा फर्जी तौर पर कार्यालय डेरापुर में संचालित दिखाया जाता है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । डेरापुर खास का सहायक चकबन्दी अधिकारी का कार्यालय डेरापर खास में नहीं बल्कि उसी सहायक चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्र के अन्तर्गत गलुआपुर में स्थित है तथा आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र के कृषकगण गलुआपुर जाते हैं । यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र के सहायक चकबन्दी अधिकारी का कार्यालय फर्जी तौर पर डेरापुर में संचालित दिखाया जाता है । ऐसी दशा में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

सी० ओ० का कार्यालय डेरापुर में है और सहायक चकबन्दी अधिकारी का गलुआपुर में है जिससे काश्तकारों को ७-८ किलोमीटर का चक्कर लगाकर गलुआपुर जाना पड़ता है तो क्या सरकार सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय को डेरापुर में स्थापित करने का प्रबन्ध करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वैसे तो सहायक चकबन्दी अधिकारी का दफ्तर कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि सहायक चकबन्दी अधिकारी को मौके पर जाकर चक काटना पड़ता है लेकिन यों डेरापुर से गलुआपुर तक सीधी सड़क गई हुई है । यह आदेश भी हुए थे कि डेरापुर में उसका दफ्तर हो लेकिन स्टाफ और अधिकारी वहां पहुंचे तो आवास की कमी के कारण दफ्तर को गलुआपुर शिफ्ट कर दिया ।

श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित भूमि-व्यवस्था जांच समिति की संस्तुति

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३०—३—७४ को विशारद कमेटी ने जो भूमि की सीलिंग संबंधी रिपोर्ट दी, उस पर आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में गठित भूमि व्यवस्था जांच समिति की संस्तुतियों पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है । शासन ने रिपोर्ट का मुद्रण कराकर उसे सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया है और शीघ्र ही सभी संस्तुतियों पर मंत्रि परिषद् द्वारा विचार करके निर्णय लिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा ३ घंटे की स्वीकृति हो चुकी है और तारीख भी मुकर्रर हो गई है। आपको चर्चा करने का पूरा अधिकार होगा। इसलिये आज इसके लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मेरा नाम भी उसमें आप इन्क्लूड कर देंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल जब प्रतिवेदन रखा गया था तो माननीय माधव प्रसाद जी ने उठाया था कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिये। मैंने कहा कि इस पर यथासमय चर्चा का अवसर देंगे। अब उनकी तारीख भी निश्चित हो गयी है। एक दिन तीन घंटे इस पर चर्चा होगी और एक विधेयक भी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वह दिन जिस दिन चर्चा होगी निश्चित है और उसका टाइमटेबुल सरकार को मालूम है तो क्या सरकार तब तक कोई निर्णय ले लेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् जैसा कि कहा जा चुका है संबंधित अधिकारियों और विभागों के पास उनके विचार के लिये भेजा गया है। मंत्रि-परिषद् जब विचार करेगा तब निर्णय हो सकेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उस हालत में चर्चा निरर्थक हो जावेगी। इसलिये निवेदन है कि जिस दिन चर्चा हो रही है उससे पहले सरकार कोई निर्णय ले लेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी निर्णय लेना संभव नहीं है।

*४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री आशा राम यादव—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केराकत तहसील (जौनपुर) के हरिजनों को मकान हेतु भूमि का आवंटन

*५—श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के केराकत तहसील में कितने हरिजनों को मकान बनाने हेतु गांव समाज की जमीन दी गई? क्या उपरोक्त जमीन पर उन हरिजनों को कब्जा भी मिला? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत तहसील में कुल ३९९४ हरिजनों को मकान बनाने हेतु गांव सभा भूमि आवंटित की गई तथा सभी व्यक्तियों को सम्बन्धित भूमि पर कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रश्न का अगला भाग नहीं उठता।

श्री राम समझावन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनको भूमि आवंटित की गयी है, वह केवल कागज पर ही है और उनको उस पर अधिकार नहीं मिला है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य लिखकर दें कि किन-किन को नहीं मिला है तो इंक्वायरी करा लेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को मालूम है और सरकार को भी मालूम होगा कि यह जौनपुर का ही सवाल नहीं है, आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में किसी भी जगह हरिजन को भूमि नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन की तरफ से कौन-सी कार्यवाही हो रही है कि आप सर्टीफिकेट दे दें और उनको जमीन न मिले ?

श्री अध्यक्ष--

यह जौनपुर जिले का सवाल था। आप इसको व्यापक बना रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे अपनी जानकारी है, सारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि कहीं भी हरिजनों को भूमि नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष--

आप एक जागरूक और सचेत सदस्य मालूम पड़ते हैं। आप स्वयं सवाल करके अपने बुद्धि वैविध्य का परिचय दें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

सारे प्रदेश की बात न भी करें तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जौनपुर की केराकत तहसील में लोगों को जमीन एलाट की गयी लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला तो उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

केराकत तहसील में कुल ४,७५३ भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी इनमें ३९९४ परिवार अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें १२३.९३ एकड़ भूमि आवंटित की गयी। शेष ७५९ व्यक्ति ग्रामीण शिल्पकार तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की श्रेणी के हैं। इन्हें २३.२२ एकड़ भूमि दी गयी है। जसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कोई फर्जी काम है तो कृपया मेहनत करके हरिजनों के नाम लिखकर दें तो मैं ऐक्शन लूंगा।

श्री राम समझावन--

क्या माननीय मंत्री जी कोई गैर-सरकारी आदमियों की समिति बनाकर इसकी जांच करायेंगे कि कैसे सरकारी अधिकारियों ने दूसरों को पूरी जमीन पर कब्जा दिला दिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह मामला समिति के विचाराधीन है जोकि इस पर विचार करेगी।

श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

मैं जानना चाहती हूं कि जिन गांवों में हरिजनों की संख्या अधिक है और वहां जमीन उनके हिसाब से पर्याप्त नहीं है तो जो हरिजन शेष बच जाते हैं उन्हें जमीन देने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अगर पास वाले गांवों में भूमि उपलब्ध है तो उनको भी दी जा सकती है और यदि नहीं है तो और क्या व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों को भूमि दिये जाने के बारे में नियमतः कार्य हो रहा है परन्तु सारे प्रदेश में क्या वे इस बात की जांच करवायेंगे कि कितने हरिजनों को भूमि मिली और उस पर उनको कब्जा भी मिल गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया और एक कमेटी बनाने की बात भी उन्होंने बता दी ।

*६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*७--श्री त्रिवेणी सहाय--

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८--श्री भाभी--

[७वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९--श्री सीता राम निषाद--

[७वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०--श्री मधुकर दिघे--

[७वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फरेंदा तहसील (गोरखपुर) में ओले से फसल को क्षति

*११--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के फरेंदा तहसील में ४ अप्रैल, १९७४ को किन-किन गांवों में भयंकर ओला पड़ा और गेहूं की फसल की बरबादी हुई थी और कितनी प्रतिशत ? वहां के पीड़ित किसानों को अब तक क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

४ अप्रैल, १९७४ को फरेंदा तहसील के २२ ग्रामों में जिनकी सूची संलग्न है, अधिक ओला पड़ा जिसके फलस्वरूप रबी की खड़ी फसलों को ६० से ८० प्रतिशत तक हानि हुई ।

प्रभावित व्यक्तियों को कुल १५,३०० रु० निःशुल्क सहायता दी गई । मालगुजारी आदि में छूट/स्थगन की सुविधा भी नियमानुसार दी जायेगी ।

(देखिये नत्थी "क" आमे पृष्ठ ४२९ पर) ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १५,३०० रुपया आपने बांटा तो, वह किस नियम और आधार पर बांटा गया, किसको कितना-कितना दिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

किसको कितना दिया, इसकी तो सूचना नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जो निःशुल्क दिया गया वह कितनों को दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह तो वहां का जिलाधीश समझता है कि किसको कितना दिया जाय ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

अध्यक्ष जी, अब आप ही बतायें कि मैं क्या सप्लीमेन्टरी सवाल करूं । इन्होंने तो एक एकड़ की पाबन्दी लगा दी और अधिकारियों ने उसे बांट लिया । इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि किस आधार पर वह बांटा गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिसका जैसा नुकसान होता है उसी के आधार पर दिया जाता है । जिलाधिकारी इस बात के लिये स्वतः स्वतंत्र है कि वह किसको क्या दे । यदि ज्यादा नुकसान होता है तो वह प्रतिशत बढ़ा देगा और नुकसान कम है तो उसे घटा देगा । माननीय सदस्य ने पूछा कि किसको कितना दिया गया, तो इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है और यदि वे चाहेंगे तो वह भी सूचना मंगा ली जायेगी ।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुमानतः नुकसान इन गांवों में कितने का हुआ है और कितने गांवों में सरकार ने गेहूं की वसूली को रोक दिया है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, ५० गांव ऐसे हैं जिनमें ५० प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ । इसकी सूचना संलग्नक में दी हुई है, यदि वे चाहें तो उसे देख सकते हैं । जहां तक स्थगन का सवाल है, वसूली नहीं हो रही है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी को सूचना के रूप में यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को मैंने भी पूछा था कि गोरखपुर ओला वृष्टि से कितने प्रतिशत की हानि हुई थी ? उसमें करीब-करीब ३०० के आस-पास की क्षति हुई थी ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो फरेंदा तहसील के बारे में है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

उस समय भी यही सवाल आया था...

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निःशुल्क सहायता जो इस बात की दी गई है, उसके अतिरिक्त कुछ तकावी की शक्ल में भी देंगे ताकि उनकी आगे की फसल ठिकाने पर लग सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जो काश्तकार तकावी मागेगा, उसे दी जायेगी ।

*१२--श्री त्रिवेणी सहाय--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*१३--श्री गजाधर प्रसाद आर्य--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१४-१५--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[८वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के लिये निरस्त]

*१७-१८--श्री राम रति बिन्द, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री गिरजा शंकर पाठक--

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५५-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९-२०--श्री मोती लाल देहलवी--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२१--श्री गंगा सिंह यादव--

[७वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२२--श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री रघुवीर सिंह--

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील बीकापुर (फैजाबाद) के अन्तर्गत चकबन्दी का न होना और सदर तहसील में पुनः चकबन्दी की मांग

*२३--श्री सीता राम निषाद तथा श्री शिव चरन लाल (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद में तहसील बीकापुर में स्थित तेरह गांवों, भैरोपुर, टिकरा आदि जिनकी अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है, को सरकार चकबन्दी योजना में लेने की घोषणा निकट भविष्य में करने जा रही है, यदि हां तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

फैजाबाद जिले की तहसील बीकापुर में स्थित तेरह गांव, भैरोंपुर, टिकरा आदि पहले चकबन्दी के लिये उपयुक्त न माने जाने के कारण चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं लिये गये थे । जिला चकबन्दी परामर्शदात्री समिति की १८ मई, १९७४ की बैठक में इन ग्रामों में चकबन्दी कराने का प्रश्न उठाया गया था, जिसका परीक्षण उप संचालक, चकबन्दी द्वारा किया जा रहा है । उनकी आख्या प्राप्त होने पर इन ग्रामों की चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लेने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा ।

*२४--श्री सीताराम निषाद तथा श्री शिव चरन लाल--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद की सदर तहसील, जहां बिल्कुल प्रारम्भ में चकबन्दी हुई थी और एक-एक किसान को कई-कई चक दिये गये थे, जिससे

चकबन्दी योजना का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, वहां पर सरकार दुबारा चकों की चकबन्दी कराकर किसानों को लाभ पहुंचायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पूरे प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र समाप्त हो जाने के बाद ही किसी भी क्षेत्र में दुबारा चकबन्दी कराना सम्भव होगा ।

श्री सीता राम निषाद---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उप-संचालक महोदय से वह आख्या कब तक मंगा लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

शीघ्र मंगाने की कोशिश की जायगी ।

श्री सीताराम निषाद---

मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वह काम जिनको सौंपा गया है वह उप-संचालन महोदय, फैजाबाद का काम नहीं देख रहे हैं, सुल्तानपुर का काम देख रहे हैं, इसलिये वह आख्या तैयार करने का काम उनके सुपुर्द न करके दूसरों को दे दें तो वह जल्दी चली आवेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं ।

हरिजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

*२५---श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर) खीरी) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन हरिजन तथा भूतपूर्व सैनिकों को कृषि के लिये सरकार भूमि दिलाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां । भूमि आवंटन का कार्य निरन्तर हो रहा है और जब तक सीलिंग की भूमि उपलब्ध होती रहेगी, आवंटन भी होता रहेगा । जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ के अनुसार अनुसूचित जातियों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन में वरीयता प्राप्त है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

भूमिहीन हरिजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन के बारे में ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे वे जनता को बता सकें कि कितनी भूमि वे हरिजनों को बांटेंगे और कितनी एकड़ भूमि वे भूतपूर्व सैनिकों को देंगे ?

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या २५ श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जैसे-जैसे सीलिंग से भूमि निकलेगी, वैसे-वैसे देते जायेंगे । पहले से इसके आंकड़े देना असम्भव होगा ।

श्री राम मूर्ति---

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हरिजनों और भूतपूर्व सैनिकों को इस प्रकार की जमीन मिले, जिसमें सभी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, कागजी कार्यवाही न करके दी जाती है लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल पाता है । तो क्या सरकार उनको जमीन दिलाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्य विश्वास रखें मुझे सहायता देते रहें और इशारा करते रहें कि कहां-कहां घपला है, मैं अवश्य पूरा करूंगा ।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित सीलिंग विधेयक के लागू होने के उपरान्त अब तक सरकार को कितनी भूमि उपलब्ध हुई है और उसमें से कितनी हरिजनों और कितनी भूतपूर्व सैनिकों को बंट चुकी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत २ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर कब्जा लिया गया जिसमें से १,१७,३४८ एकड़ आवंटित की गयी और ४४ हजार अकृष्य है । शेष ४४ हजार आवंटन की प्रक्रिया में है और जैसे-जैसे सीलिंग से निकलती जायगी वह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों को जमीन देने का मतलब क्या उनका भूमिहीन होना जरूरी है या सब भूमिहीन सैनिकों को आप जमीन देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सेवा निवृत्त भूमिहीन जवानों को ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का प्रश्न है, एक तजुर्बा हम देख चुके हैं कि तमाम जनरल, कर्नल और बड़े-बड़े अफसरों की सैकड़ों एकड़ के तराई में फार्म है, तो भूतपूर्व सैनिको में जो प्राथमिकता दी जायगी क्या वह सिपाहियों को दी जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह तो बड़ा स्वाभाविक है कि गरीबों को और भूमिहीनों को पहले दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि वितरण के सम्बन्ध में तहसील के स्तर पर कोई कमेटी बनायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

भूमि आवंटन कमेटियां तो पहले बनी हुई हैं, प्रत्येक गांव में वह कार्य करती हैं ।

सहजनवां तथा पाली विकास क्षेत्र (गोरखपुर) के ग्रामों में बाढ़ से क्षति तथा मुफ्त बीजों का वितरण

*२६—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के सहजनवां तथा पाली विकास क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों को १९७१ व १९७३ में बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया था ? और क्या सन् १९७३ में अधिक बाढ़ आने के बावजूद भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनको बाढ़-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बाढ़-ग्रस्त होने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाती, परन्तु वास्तविक क्षति के आधार पर आवश्यक सहायता दी जाती है । जिला गोरखपुर के सहजनवां तथा पाली विकास क्षेत्र के वर्ष १९७१ में ८७ ग्राम तथा वर्ष १९७३ में ८० ग्राम ऐसे थे जिनमें बाढ़ से फसल को ५० प्रतिशत या तदधिक हानि पहुंची ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*२७—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के सहजनवां विकास क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त गांवों के सहायतार्थ रबी १९७३–७४ में सरकार द्वारा मुफ्त बीजों का वितरण किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त वितरण रबी की बोआई समाप्त होने के बाद शुरू हुआ ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमितता के संबंध में क्या कदम उठा रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सहजनवां विकास क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में रबी १९७३–७४ के लिये मुफ्त बीज वितरण दिनांक १६–११–७३ से प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक ३०–१२–७३ को समाप्त हुआ । यह सही नहीं ह कि उक्त बीज वितरण रबी की बोवाई समाप्त होने के बाद शुरू हुआ । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९७१ में बाढ़ अधिक थी जब ७३ गांव उसमें थे या सन् १९७३ की बाढ़ अधिक थी जब ८० गांव थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

१९७१ में १२१ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिसमें ८७ गांव में खरीफ की फसल ५० प्रतिशत से अधिक थी और ७३ में १८५ ग्राम बाढ़ से प्रभावित थे, जिसमें ८० ग्रामों में खरीफ की फसल ५० प्रतिशत से अधिक थी ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, वास्तविकता यह है कि जिन गांवों से तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह को पैसा मिला उनको बाढ़ एरिया घोषित किया, वहां के लड़कों की फीस माफ हुई, वहां के लोगों को मुफ्त बीज मिला । लेकिन जहां पर उन्हें नहीं मिलने वाला था राजनतिक जागरूकता थी वहां को बाढ़ का क्षेत्र नहीं दिखाया गया, तो मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि ७१ में बाढ़ ज्यादा थी या सन् ७३ में ज्यादा थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, १९७३ में मैंने जैसे पहले बताया कुल ग्राम १२५ बाढ़ग्रस्त हुए । उसमें से ८० ग्राम ५० फीसदी से ज्यादा क्षति के थे और १९७१ में १२१ गांव बाढ़ग्रस्त हुए, उसमें ८७ गांव ५० फीसदी से ज्यादा क्षति के थे । तो माननीय सदस्य उससे नतीजा निकाल सकते हैं कि १९७१ में जो ५० फीसदी से ज्यादा प्रभावित गांव थे ८७ थे, १९७३ में जो ५० फीसदी अधिक प्रभावित गांव थे, वे ८० थे । तो इससे अंदाजा लगा लें कि ज्यादा बाढ़ किस वर्ष थी ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

१९७३ में १२५ गांव हैं और १९७१ में १२१ गांव हैं । यह स्वतः सिद्ध है कि १९७३ में बाढ़ अधिक आयी थी । जहां तक ५० फीसदी का सवाल ह १९७३ में कम है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जानबूझ कर अधिकारियों ने कुछ गांवों को छोड़ दिया जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्वतः सिद्ध है, जबकि कोई खास चीज नहीं हुई कोई बांध वगैरह नहीं बंधा तो कैसे १९७१ में ८७ गांव प्रभावित हुए, १९७३ में ८० गांव ही रह गये ?

स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य मुझको सूचना दे दें मैं जरूर जांच कराऊंगा और अगर गलत है तो ऐक्शन लूंगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में ५० परसेंट से ज्यादा फसल बरबाद हो गयी कोई लगान माफी हो गयी, तकावी बांटी गयी, अगर नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तकावी उनकी इच्छा पर होती है । किसान तकावी चाहते हैं तो तकावी मिलती है । तकावी अपने आप नहीं दी जाती है । अगर किसान नहीं चाहता तो कैसे दी जाय ? लगान माफ नहीं होता है । लगान माफ तो मंत्रि-परिषद् करती है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन एजेंसियों के जरिये बाढ़ग्रस्त गांवों में मुफ्त बीजों का वितरण हुआ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

राजस्व विभाग से रुपया दे दिया गया था ए०पी०सी० को/ए०पी०सी० (ऐग्रीकल्चरल फूड कमिश्नर) ने बीज वितरण किया है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि कोआपरेटिव साधन सहकारी समितियों के माध्यम से जो उनके सदस्य थे उनको बीज उनके माध्यम से दिया गया और जो साधन सहकारी समितियों के सदस्य नहीं थे उनको ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिये बीज दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसी शिकायत नहीं आयी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

ऐसा ही हुआ है । तथ्य यह है, माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार ऐसा हुआ है । गड़बड़ यह है कि बोवाई खत्म होने के बाद बीज का वितरण हुआ जब बोवाई खत्म हो गयी । क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि बीज का वितरण साधन सहकारी समितियों के जरिये और एग्रीकल्चर विभाग के जरिये मार्च तक हुआ है, जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आज तक ऐसी कोई कम्प्लेंट नहीं आयी । माननीय सदस्य जब बीज वितरण हो रहा था तब कहते तो बहुत जल्द जांच हो जाती । अगर ऐसा समझते हैं तो दे दें, जांच करवा लूंगा ।

*२८---श्री भूप सिंह केन तथा श्री राज पाल---

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२९---श्री रेवती शरण मौर्य---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३०---श्री कल्याण सिंह---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*३१---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३२-३३---श्री मंजूर अहमद---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*३४---श्री हरिकेवल---

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*३५---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री मंजूर अहमद तथा श्री शिवचरन लाल---

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३६---श्री मुंशी लाल---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३७---श्री राम सेवक यादव, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री विश्राम---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८---श्री आशाराम यादव, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री शिवसम्पत्ति राम तथा श्री ओमप्रकाश सिंह-

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा

देवरिया बुद्धखां, ग्राम सभा की बची हुई भूमि

*३९—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धूखां पत्रालय बेतवा बाजार, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र रामपुर कारखाना जिला देवरिया के अन्तर्गत चकबन्दी क्रियाओं के दौरान, ग्राम सभा को कुल कितनी जमीन बंजर और अन्य ढंग सड़कों व गूलों के निर्माण के बाद, बचत रूप में मिली है क्या सब जमीन एक ही जगह है ? यदि नहीं, तो कितने-कितन रकबे का किस-किस आराजी नम्बर के पास में ?

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम सभा देवरिया बुद्धूखां में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु आहवाण अथवा उपयोग के पश्चात् कुल ०—७७ एकड़ भूमि बचत के रूप में मिली है । यह बचत की भूमि चार जगहों पर छूटी है ।

*४०—श्री रामअधार

क्या यह सही है कि ग्राम सभा की उपरोक्त बची जमीन को कुछ चन्द लोगों के चकों में दे दिया गया है और बचत के नाम पर थोड़ी सी जमीन छोड़ी गयी है । यदि हां, तो किन-किन लोगों के चक में उपरोक्त जमीन दी गयी है और क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं । ग्राम सभा की उपरोक्त बचत की जमीन किसी भी खातेदार के चक म नहीं दी गई है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बचत की भूमि ७ जगहों पर बिखरी पड़ी है, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको दुरुपयोग से बचाने के लिये ऐसे आदेश देंगे कि ऐसी भूमि सब ग्राम समाज की एक स्थान पर मिल सके?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, चकबन्दी का क्या स्टेज है, यह कहना मुश्किल होगा और दफा ५२ की कार्यवाही हुई या नहीं, लेकिन यह व्यवस्था की जायगी कि उस पर कोई नाजायज कब्जा नहीं कर पायेगा।

*४१—श्री राम रेखा यादव—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४२—४३ श्री अवधेश कुमार—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६४—६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[७वें मंगलवार में ताराकित प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४५—४६—श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—तथा श्री ऊदल—

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १५—१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४७—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४८—श्री इन्द्र लाल—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४९—श्री कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५०—डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल तथा श्री अवधेश कुमार—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षण लाइसेंस की मान्यता तथा प्रादेशिक पर्यटन विभाग द्वारा नियुक्ति का आश्वासन

*५१—श्री रघुबीर तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष पर्यटन विभाग ने कुछ टूरिस्ट गाइडों को जो प्रशिक्षित कर लाइसेंस दिया था उस लाइसेंस को केंद्रीय सरकार ने मान्यता दे दी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां। भारत सरकार ने इन टूरिस्ट गाइडों को आगरा एवं वाराणसी नगरों को छोड़कर अन्य नगरों के पर्यटक स्थलों में गाइड का कार्य करने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वाराणसी एवं आगरा नगरों के लिये भी अनुमति प्रदान करें।

*५२—श्री रघुबीर तथा श्री झिलमिट—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा प्रशिक्षत टूरिस्ट गाइडों को पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारियों ने अपने ही विभाग में विभिन्न पद पर रख लेने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो पिछले दो वर्षों में कितने प्रशिक्षित गाइडों को अपने विभाग में जगहें दी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं। इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री रघुबीर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरा, वाराणसी ट्रेनिंग सेंटर से परीक्षार्थियों क्यों वंचित किये गये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, भारत सरकार से लिखा पढ़ी की जा रही है उनके भी ट्रेनिंग गार्डस हैं इसलिये आपस में टकराव न हो, उनको अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे आशा है कि अनुमति मिल जायेगी।

श्री रघुबीर—

जो परीक्षार्थी परीक्षा पास कर चुके हैं, बाकी जो अन्य सेंटर बचे हैं उन पर सेवा कार्य कर रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जहां-जहां परीक्षार्थी थे वह लोग जाकर के अपना कार्य जरूर कर रहे होंगे।

श्री झिलमिट—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कितने हरिजन और अनुसूचित जाति के थे?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुबीर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन परीक्षार्थियों की तादाद कितनी थी और जो आपने कहा है कि जहां-जहां उनकी तबियत चाहेगी वहां जाकर सेवा कार्य करेंगे तो क्या वे अपनी इच्छा से कार्य करेंगे या आप उनको कार्य देंगे।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, उनकी तादाद ६५ थी। नौकरी के लिये हमारे विभाग में कोई जगह खाली हुई और उन्होंने दरख्वास्त दी और उनकी क्वालीफिकेशन्स उस जगह के अनुकूल थीं तो हमने उनको जगहें दी है। जैसे जैसे हमारे विभाग में जगह होती गई हमने उनको रखा है पर्यटक अधिकरी तथा सहायक पर्यटक अधिकारी तथा रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जगह पर उनको रखा है।

श्री मधुकर दिघे—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग ट्रेनिंग लेकर निकले तो उनको स्थान रिक्त होने पर बुलाया गया था और उनको अधिकार दिया गया था कि वे भी नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र दें?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जब जगह खाली होती हैं तो ऐडवरटाइज होती हैं और उन्होंने अगर एप्लाई किया है और उनकी क्वालीफिकेशंस उस जगह के अनुकूल है तो उनको लिया गया है। यदि नहीं है, तो नहीं लिया गया।

श्री मधुकर दिघे—

श्रीमन्, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उन लोगों को मौका दिया गया जिनकी क्वालीफिकेशन्स उपयुक्त थीं। बाकी लोग ट्रेंड थे तब भी मौका नहीं दिया गया। यदि ऐसा हुआ है तो उनको मौका देने के लिये क्या मंत्री जी आदेश निकालेंगे?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, हमारा कार्य ट्रेनिंग देने का था और यह जरूरी नहीं था कि जगह दें। यह आश्वासन उनको पहले ही दे दिया गया था कि यदि जगह खाली हुई तो उनको जगह देंगे। उनमें से ट्रेंड लोगों को जो क्वालीफाई कर रहे थे हमने जगहें दी हैं।

प्रधान, ग्राम सभा, भरसड़ा हसरमपुर (सुल्तानपुर) द्वारा दिए गए फर्जी पट्टे

*५३—डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जिले के बरौंसा परगना के अन्तर्गत ग्राम सभा भरसड़ा हसरमपुर के प्रधान के विरुद्ध भूमिहीन हरिजनों की उपेक्षा करके बड़े एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को फर्जी पट्टे देने की कोई शिकायत शासन को दिनांक १० अक्तूबर, १९७२ को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कायवाही की गई?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । प्रधान, गांव सभा, भरसड़ा हसरमपुर को दिनांक १६ फरवरी, १९७४ को निलम्बित कर दिया गया है, तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

डाक्टर जितेन्द्रकुमार अग्रवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रधान ४ महीने से निलम्बित किया गया है इसको चार्ज से मुक्त किया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, प्रधान ने चार्ज नहीं दिया इसलिये पुलिस को भेज दिया गया है कि जबरदस्ती लिया जाय।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

कब तक चार्ज हो जायेगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पुलिस को कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । इसकी सूचना नहीं है कि वह क्या कर रही है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

पुलिस को चार्ज लेने के लिये कब भेजा गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या ५५ ।

डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, एक प्रश्न बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा एक प्रश्न कर लें ।

डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अवैध और फर्जी पट्टों की शिकायत की गयी थी और उसकी जांच राजस्व परिषद् ने की तो क्या उनको निरस्त कर दिया गया है। या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रधान के खिलाफ शिकायत थी न। आपको सूचना हो तो बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामसेवक यादव--

जो फर्जी पट्टे हुए वह निरस्त हो गये या नहीं यह उसी से संबंधित है । चार्ज निलम्बन के बाद हो गया तो फर्जी पट्टे समाप्त किये गये अथवा नहीं ?

विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य के शायद पूछने का प्रश्न नहीं है कि जो पट्टे जांच में आये वह निरस्त न किये जायं।

*५४--श्री झाम लाल अहेरवार--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

कचनापुर गांव सभा (गोंडा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं भूमिहीनों को कथित मकान बनाकर दिया जाना

*५५--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कचनापुर तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में भूमि प्रबन्ध समिति ने पिछले वर्ष १९७२-७३ में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति तथा भूमिहीनों को मकान बनाकर देने हेतु प्लाटों का आवंटन किया था ? यदि हां, तो अब तक कितने ऐसे भूमिहीनों को मकान बना कर दिये गये हैं ? और कितनों को बाकी रखा गया है और कितनों को प्रतीक्षा सूची में दर्ज कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त सूची को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

राजस्व विभाग की मकान बनाकर देने की कोई योजना नहीं है। इस कारण गांव सभा कचनापुर द्वारा १९७२-७३ में किसी को मकान बनाकर देने हेतु प्लाटों के आवंटन करने, मकान बनाकर देने और उसके लिये प्रतीक्षा सूची बनाने और सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। हां, १२ भूमिहीन अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को आवास बनाने हेतु भूमि का आवंटन किया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो क्या आप ऐसा सोच रहे है कि जो ऐसा वर्ग है उसके लिये कुछ मकान बनाने का विचार आगे आपका है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, अभी कोई विचार नही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें ३ वर्गों का नाम है, अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति तथा भूमिहीन। तो जसा आपने २ वर्ग का बताया लेकिन एक वर्ग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। क्या इसकी भी जांच करवायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न फिर कर दें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा प्रश्न में लिखा गया है कि अनुसूचित, पिछड़ी जाति और भूमिहीन तो इन लोगों को अलग-अलग बसने हेतु कितने आवेदन-पत्र दिये गये ? अलग-अलग इनकी संख्या क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन् अनुसूचित ६, ३ पिछड़ी जाति और प्रत्येक व्यक्ति को ०.०३ एकड़ गृह निर्माण हेतु। इस प्रकार ०.३६ एकड़ भूमि आवंटन की गयी है और कब्जा भी दे दिया गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये मकान बनाने के लिये आपने कितने क्षेत्रफल में इसकी व्यवस्था किया है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका तो उत्तर दे चुके हैं।

*५६---श्री राम प्रकाश यादव---

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*५७---श्री वीर सिंह सेंगर---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५८---श्री बिमल प्रसाद तिवारी---

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

देवरिया जिले में हरिजनों को भूमि का आवंटन

*५९---श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में गत दो वित्तीय वर्षों में अर्थात् १ अप्रैल, १९७२ से ३१ मार्च, १९७४ तक कितने भूमिहीन हरिजन परिवारों को अधिकतम जोत से प्राप्त भूमि वितरित की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

देवरिया जिले में १ अप्रैल, १९७२ से ३१ मार्च, १९७४ तक २३७ भूमिहीन हरिजन परिवारों को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि वितरित की गई है।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी भूमि हरिजनों को दी गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन् इसमें २,७५९.१२ एकड़ भूमि का आवंटन हो चुका है।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सभी भूमि पर कब्जा हो गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अवश्य।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, पडरौना तहसील में कितनी भूमि दी गई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कितने भूमिहीनों को अभी तक कोई भूमि नही दी गई और कितनी भूमि वहां पर अभी आवंटन योग्य शेष है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पडरौना तहसील में कृषि के लिये ३०१/८ एकड़ भूमि है और मकान के लिये ००·०३ एकड़ भूमि है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । उन्होंने बताया है कि २,७५९.१२ एकड़ भूमि का आवंटन हो चुका है और कब्जा भी हो चुका है । तो मेरी सूचना को सही मानते हुये कि जितनी जमीन एलाट हो गई है अभी तक अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में है वह जमीनें हैं, उनसे कब्जा छोड़वाकर आवंटन प्राप्त व्यक्ति को कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य लिखकर भेज देंगे तो अवश्य उस पर कार्यवाही करेंगे ।

*६०--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

दपसौरा ग्राम (फतेहपुर) के भूमिहीनों को दिया गया पट्टा

१--श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फतेहपुर के ग्राम दपसौरा में कितने भूमिहीनों के पट्टे हैं और उनमें से कितने व्यक्ति कब्जा पा चुके हैं और जोतते हैं जिन व्यक्तियों को उनके पट्टे के अनुसार जमीन जोतने को नहीं मिलती क्या सरकार उनको जोतने का प्रबन्ध करायेगी तथा जबरदस्ती जोतने वाले आंकित व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला फतेहपुर के ग्राम दपसौरा में कुल ११६ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि के पट्टे दिये गये थे और स्थल पर सभी भूमिहीनों को कब्जा भी दिला दिया गया था । किसी भी पट्टेदार द्वारा कब्जा या अनधिकार कब्जे के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । परन्तु यह अवश्य है कि कुछ पट्टेदारों की भूमि बीहड़, टीला इत्यादि होने के कारण वे जोत नही रहे हैं । ३ मार्च, १९७२ से यह ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत ले लिया गया है जिसके कारण कोई कार्यवाही सम्भव नही है ।

२--श्री त्रिवेणी सहाय--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

३--श्री त्रिवेणी सहाय--

[९वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मझौवा शुमाल, इकौना (बहराइच) से चकबन्दी हेतु प्रार्थना-पत्र

४--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मंत्री को यह ज्ञात है कि ग्राम मझोवा शुमाल परगना इकौना, जनपद बहराइच के निवासियों ने वर्ष १९७३-७४ में चकबन्दी कराने हेतु प्रार्थना-पत्र एस०ओ०सी०, बहराइच एवं डी०डी०सी०, बहराइच को दिया है ? यदि हां, तो मझौवा शुमाल में चकबन्दी कब तक प्रारम्भ करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । परगना इकौना के चकबन्दी से छूटे हुये ग्रामों में चकबन्दी योजना का प्रसार करते समय प्रश्नगत ग्राम को भी चकबन्दी के अन्तर्गत ले लिया जावेगा ।

५--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[९वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

६-७--श्री सत्यपाल मलिक--

[९वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

८--श्री देव कुमार यादव, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री राम सजीवन, श्री प्रताप नारायण तथा श्री जमुना प्रसाद बोस--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

९--श्री दया कृष्ण पांडेय--

[६वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

१०--डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

(१०वें मंगलवार में प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

फैजाबाद के अन्तर्गत हरिजनों के आवास हेतु भूमि का आवंटन

११--श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९७४ से अब तक फैजाबाद जनपद के सदर तहसील में हरिजनों के आवास हेतु भूमि आवंटन हो चुकी है ? यदि हां, तो कितने गांवों में तथा कितने गांव वंचित रह गये हैं और जो ग्राम वंचित रह गये हैं इनके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत अवधि में फैजाबाद जनपद की सदर तहसील में हरिजनों को कोई भूमि आवास हेतु आवंटित नहीं हुई ।

इस तहसील में उक्त अवधि के पहले ही ४२२ गांवों में से ३४४ गांवों के समस्त ५२२४ जरूरतमन्द हरिजन परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित कर दी गई थी । शेष ग्रामों के हरिजन परिवारों को आवास-स्थल की आवश्यकता नहीं थी ।

१२--श्री रेवती शरण मौर्य--

[१०वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१३—श्री रेवती शरण मौर्य—

(१० वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

भैंसहिया तथा भानपुर (बस्ती) के भूमिहीनों को किया गया स्थायी पट्टा

१४—श्री मधुकर दिघे—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम भैंसहिया, तप्पा, भानपुर, परगना व रसूलपुर तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के अन्तर्गत सीलिंग की भूमि के अस्थाई पट्टे की अवधि दिनांक ३० जून, १९७२ को समाप्त हो गयी थी और दिनांक ५ जुलाई, १९७२ को परगना अधिकारी डुमरियागंज ने स्थाई पट्टा करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो स्थाई पट्टा कब किया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। प्रश्नगत ग्राम भैंसहिया, तप्पा, भानपुर में सीलिंग भूमि के अस्थायी पट्टे की अवधि दिनांक ३०-६-७२ को समाप्त हो गई थी। परगनाधिकारी द्वारा भूमि का स्थायी पट्टा करने का कोई आदेश दिनांक ५-७-७२ को नहीं दिया गया था। अपितु इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी ने दिनांक २४-२-७३ को आदेश दिया था जिसके अनुसार दिनांक ६-३-७३ को ४९ बीघा ६ बिस्वा ७ धुर भूमि के स्थायी पट्टे ३० भूमिहीनों के साथ कर दिये गये और अभिलेखों में अमल दरामद भी करा दिया गया।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बबीना (जालौन) के पेशकार का स्थानान्तरण

१५—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ए० सी० ओ० क्षेत्र बबीना, जिला जालौन के चकबन्दी के मौजूदा पेशकार कितनी अवधि से बबीना में नियुक्त हैं ? बबीना से अब तक कितनी बार किया गया व रोका गया स्थानान्तरण करने एवं रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत पेशकार सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र बबीना जिला जालौन के यहां २१ सितम्बर, १९७१ से नियुक्त हैं। इनका यहां से दो बार स्थानान्तरण किया गया था जिसे बाद में रोक दिया गया। स्थानान्तरण करने तथा रोक देने के आदेश प्रशासनिक कारणों पर आधारित थे।

१६—श्री मोहम्मद रफी खां—

[७वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१७—श्री मन्ना लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में विचाराधीन मुकदमें

१८—श्री गिरजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में डी० डी० सी०, एस० ओ० सी०, सी० ओ० चकबन्दी सी० ओ० के यहां कितने मुकदमें १ जून, १९७४ को जेर तजबीज हैं तथा कब तक इनका निस्तारण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तहसील ज्ञानपुर जिला बाराणसी में १ जून, १९७४ को डी० डी० सी० के यहां १०१२, एस० ओ० सी० के यहां ४९५, सी० ओ० के यहां ३१३० तथा ए० सी० ओ० के यहां ३५८० मुकदमें विचाराधीन थे जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। सभी मुकदमें निस्तारित हो जाने के लिए निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी में चकबन्दी योजना

१९--श्री राम रति बिन्द तथा श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में चकबन्दी योजना कब से लागू है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में चकबन्दी योजना वर्ष १९७४ से लागू की गई है तथा निकट भविष्य में उसके पूरे हो जाने की आशा है।

२०--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल के वन पंचायतों से निकाले हुए लीसे का वितरण

२१--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के वनों में पैदा होने वाले लीसे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसकी रूप-रेखा क्या है तथा वन पंचायतों से मिला हुआ लीसा किन-किन प्राइवेट फैक्ट्रीज को सन् १९७०-७१, १९७२-७३, १९७३-७४ में दिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

सन् १९७०-७१, ७२-७३ तथा ७३-७४ में वन पंचायतों से निकाला हुआ लीसा जिन फैक्ट्रीज को दिया गया उनकी सूची:--

१९७०-७१

सर्व श्री,

१--सैनिक रोजिन एण्ड टरपेटाइन फैक्ट्री, रानीबाग, जिला नैनीताल।

२--नैनीताल रोजिन एण्ड टरपेटाइन फैक्ट्री, गरमपानी, जिला नैनीताल।

३--कपूर इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

४--मनोरा ग्राम स्वराज्य संघ, रानीबाग, जिला नैनीताल।

५--शिव लीसा उद्योगशाला, चौकूनी, जिला अल्मोड़ा।

६--हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली, जिला अल्मोड़ा।

७--कालिका रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, कालिका, अल्मोड़ा।

सर्व श्री

८—प्रकाश रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, कालिका, अल्मोड़ा ।

९—लक्ष्मी बिरोजा इंडस्ट्रीज, चितई अल्मोड़ा ।

१०—ताकुला ग्राम स्वराज्य संघ, सोमेश्वर, अल्मोड़ा ।

११—साहलीसा उद्योग, खगमरा, अल्मोड़ा ।

१२—पर्वतीय ग्राम बिरोजा फैक्ट्री, जयन्ती, अल्मोड़ा ।

१३—जे० पी० खत्री थल, जिला पिथौरागढ़ ।

१४—मेहरा रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, जिला पिथौरागढ़ ।

१५—कैलाश रोजिन फैक्ट्री, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल ।

१६—मोहन एण्ड मोहन, पौड़ी, जिला गढ़वाल ।

१७—दशौली ग्राम स्वराज्य संघ गोपेश्वर, जिला गढ़वाल ।

१९७२–७३

सर्व श्री

१—सैनिक रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, रानीबाग, जिला नैनीताल ।

२—नैनीताल रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, गरमपानी, नैनीताल ।

३—कपूर इंडस्ट्रीज हल्द्वानी, चौकूनी, जिला अल्मोड़ा ।

४—शिवलीसा उद्योगशाला, मजखाली, जिला अल्मोड़ा ।

५—हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली, जिला अल्मोड़ा ।

६—प्रकाश रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, कालिका, जिला अल्मोड़ा ।

७—जगदम्बा लीसा उद्योग, चिलियानौना, जिला अल्मोड़ा ।

८—लक्ष्मी बिरोजा इण्डस्ट्रीज, चितई, जिला अल्मोड़ा ।

९—साह लीसा उद्योग, खगमरा, जिला अल्मोड़ा ।

१०—कत्यूर ग्राम स्वराज्य संघ, बैजनाथ, गरूड़, जिला अल्मोड़ा ।

११—जागेश्वर रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, पनुवानौला, अल्मोड़ा ।

१२—जे० पी० खत्री थल, जिला पिथौरागढ़ ।

१३—कैलाश रोजिन फैक्ट्री, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल ।

१४—मोहन एण्ड मोहन, पौढ़ी, जिला गढ़वाल ।

१५—दशौली ग्राम स्वराज्य संघ गोपेश्वर, गढ़वाल ।

१६—उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, ग्वालदम, गढ़वाल ।

१७—बैरीनाग ग्राम स्वराज्य संघ उड़ियारी, जिला पिथौरागढ़ ।

१९७३–७४

सर्व श्री

१—सैनिक रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, रानीबाग, जिला नैनीताल ।

२—नैनीताल रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, गरमपानी, जिला नैनीताल ।

३—कपूर इंडस्ट्रीज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।

४—शिवलीसा उद्योगशाला, चौकूनी, जिला अल्मोड़ा ।

५—हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली, जिला अल्मोड़ा ।

६—कालिका रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, कालिका, जिला अन्मोड़ा ।

७—प्रकाश रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन , कालिका, जिला अल्मोड़ा ।

८—जगदम्बा लीसा उद्योग, चिलियानौला, जिला अल्मोड़ा ।

९—लक्ष्मी बिरोजा इंडस्ट्रीज, चितई, जिला अल्मोड़ा ।

१०—ताकुला ग्राम स्वराज्य संघ, सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा ।

११—साह लीसा उद्योग, खगमरा, जिला अल्मोड़ा ।

१२—पर्वतीय ग्राम बिरोजा फैक्ट्री, जयंती, जिला अल्मोड़ा ।

१३—कत्यूर ग्राम स्वराज्य संघ, बैजनाथ, गरूड़, जिला अल्मोड़ा ।

१४—दशमेश रोजिन कारपोरेशन, गरूड़, जिला अल्मोड़ा ।

१५—जागेश्वर रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, पुनुवानौला, जिला अल्मोड़ा ।

१६—अल्मोड़ा लीसा उद्योग, कलानवंगा, जिला अल्मोड़ा ।

१७—जे० पी० खत्री थल, जिला पिथौरागढ़ ।

१८—बेरीनाग ग्राम स्वराज्य संघ, उड़ियारी, जिला पिथौरागढ़ ।

१९—मेहरा रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, जिला अल्मोड़ा ।

२०—कैलाश रोजिन फैक्ट्री, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल ।

२१—मोहन एण्ड मोहन, पौड़ी , जिला गढ़वाल ।

२२—दशौली ग्राम स्वराज्य संघ, गोपेश्वर, जिला चमोली ।

२३—उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, ग्वालदम, जिला चमोली ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३० पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि:—

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १२ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २० जून, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० जून, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १२ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १९ जून १९७४ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ जून, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया ।

नादन इन्डिया केनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

नार्दन इन्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १२ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १८ जून, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ११ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २५ जून, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १० जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २८ जून, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनमति दिनांक ५ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया ।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय सिंचाई मन्त्री के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार की सूचना मिली थी। सर्वश्री रामपाल सिंह यादव तथा रणधीर सिंह जी ने सूचना दी कि माननीय सिंचाई मन्त्री ने १० जुलाई, १९७४ को तारांकित प्रश्न संख्या ५ नत्थी (ख) के एक अंश का गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है। माननीय सदस्य ने अपने इस आरोप का यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जिस पत्र को माननीय सिंचाई मन्त्री ने प्राप्त हुआ स्वीकार नहीं किया है, उस पर उनके कार्यालय के मोहम्मद रशीद खां के प्राप्ति स्वीकृति के हस्ताक्षर हैं। माननीय सदस्य ने यही बात सदन में अनपूरक प्रश्नोत्तरों के समय भी कही थी लेकिन माननीय मन्त्री ने यही कहा था कि सम्बन्धित पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।

*सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० जुलाई, १९७४ को माननीय रणधीर सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के दूसरे हिस्से के सम्बन्ध में मैंने उत्तर दिया था कि "जी नहीं", यानी यह कि उत्तर प्रदेश के "बढ़ते कदम" नाम की बुलेटिन में दिखाई गई कानपुर जिले में जमुना पर अमराहाट पम्प कैनाल योजना के सम्बन्ध में मुझे विधायकों से पिछले मार्च में कोई पत्र नहीं मिला था। यह उत्तर उस वक्त तक जो जानकारी मेरे पास थी उसके हिसाब से दिया गया था। माननीय सदस्य ने बताया है कि श्री रणधीर सिंह विधायक का खत मेरे कार्यालय में १९ मार्च को प्राप्त हुआ था व उसकी रसीद के दस्तखत मेरे स्टाफ के श्री एम० आर० खान के मौजूद हैं। यह मालूम होने पर मैंने उस खत की कापी तलाश कराई लेकिन वह मेरे कार्यालय में नहीं मिल रहा है। यह मालूम होता है कि माननीय सदस्य का जो पत्र श्री एम० आर० खान ने रिसीव किया वह कहीं मिसप्लेस हो गया और मेरे सामने नहीं पेश हुआ। इस बाबत मैंने कोई जान-बूझ कर गलत बयानी नहीं की है। फिर भी अपने कार्यालय की गलती के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

जहां तक माननीय सदस्य के पत्र का सम्बन्ध है, उसकी कापी जो मुझे नोटिस के साथ मिली है, उसमें मांगी गई सूचना को मैं एकत्र कर रहा हूं और जल्द ही माननीय सदस्य को उससे अवगत करा दिया जायेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

इसमें १९ मार्च को प्राप्ति के दस्तखत हैं। अभी इनको मिला नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था।

श्री अध्यक्ष—

वह तो स्वीकार कर लिया उन्होंने और खेद प्रकट कर दिया और क्या करें?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

ऐसे ही खेद प्रकट कर दिया करेंगे तो पूरे प्रदेश का काम ठप्प हो जायगा।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने उनको वार्निंग भी दे दी है कि आइन्दा ऐसी बात न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी अपने स्टाफ पर ऐसा नियंत्रण रखें कि ऐसी बात न हुआ करे क्योंकि मुझे भी इस बात की शिकायत है कि जब मेरे दफ्तर से कोई पत्र जाता है तो उसे लेने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न की जाती है। एक चिट्ठी मैंने कल भेजी, उसको पहले टाल दिया गया, फिर कहा आधा घंटा बाद आना, फिर काफी देर बाद उसको लिया जब उसने यह कहा कि मुझे और जगह भी जाना है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

कल आपकी चिट्ठी आयी थी, मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने उसी समय ताकीद कर दी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जो पत्र जिसका हो वह लिया जाय और मेरे सामने पेश किया जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

किसी मिनिस्टर के यहां दो प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं हैं मगर इनके यहां दो हैं और एक केवल ट्रांस्फर रुकवाने तथा ट्रांस्फर करवाने का ही काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

सदन की यह परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य या मंत्री जब खेद प्रकाश कर देता है तो उसके बाद कोई चीज नहीं होना चाहिये।

"स्वतन्त्र भारत" दैनिक के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री ओम प्रकाश सिंह ने दिया है, लखनऊ के दैनिक हिन्दी पत्र "स्वतंत्र भारत" के सम्पादक के खिलाफ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

मेरा निवेदन सुन लें...

श्री अध्यक्ष---

मैं अभी दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न ले रहा हूं। आपको अभी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री ओम प्रकाश सिंह का है। १२ जुलाई के "स्वतंत्र भारत" नामक हिन्दी पत्र के पृष्ठ २ पर जनसंघ के बारे में जो लिखा है उससे शब्द "गुंडई" भी छपा है जिसके बारे में मैंने कल यहां कहा था कि यह कार्यवाही का अंश नहीं माना जायेगा। इसे अखबार में भी नहीं छापना चाहिये था। इसके बारे में पहले हम इस अखबार के सम्पादक से पूछेंगे, तब उसके बाद इसको लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

इसमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष महोदय का पहले का निर्णय मौजूद है।

श्री अध्यक्ष---

अभी उनसे पूछा जायेगा। उसके बाद आप उसे पढ़ें या जो कहना चाहें कहें। अभी मैं कहने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

"तरुण भारत" समाचार-पत्र में मुख्य मन्त्री के तथाकथित भाई की गिरफ्तारी के समाचार के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से, वैसे सदन में अखबारों के विषय में चर्चा नहीं होती, मैं "तरुण भारत" अखबार में मेरे सम्बन्ध में छपी एक गलत खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं ताकि जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उनके प्रति जनता में गलत धारणा पैदा न हो सके। १२ तारीख के "तरुण भारत" के प्रथम पृष्ठ पर यह छपा है कि बहुगुणा के भाई गिरफ्तार। नाम दिया है उसमें रेवतीनन्दन बहुगुणा। यह नाम मेरे स्वर्गीय पिता जी का अवश्य था, पर मेरे किसी भाई का यह नाम नहीं है। मेरे दादा भी एक भाई थे और मेरे पिता भी एक भाई थे। इसलिये मेरे चाचा का भी कोई लड़का इस नाम का नहीं है। मेरा एक सगा भाई है, उसका नाम है हृदय नन्दन बहुगुणा जो पिछले २० दिनों से योरोप में है और केन्द्रीय सरकार के एक बड़े कारखाने में सेल्स मैनेजर का काम करता है और भारत की बनी हुयी वस्तुओं की बिक्री के संबंध में विदेश यात्रा पर है। मैंने आज सबेरे सम्पादक जी को भी टेलीफोन किया और मैंने उनसे कहा कि खबर बरेली की और डेट लाइन है लखनऊ की। तो उन्होंने कहा कि आज हम इसका प्रतिकार छाप देंगे। क्योंकि मेरा चचेरा भाई भी दो पीढ़ी में नहीं है जैसा कि मैं जानता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

याद कर लीजिये, शायद कोई हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर त्रिवेणी सहाय जी को अपने परिवार की याद नहीं है तो मैं उनसे कह सकता हूं कि आप याद कर लीजिये। मेरे पास कुछ पीढ़ियों का पूरा सिलसिला रखा है। आशा है त्रिवेणी सहाय जी अपने पूरे परिवार के बारे में रखेंगे।

मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि मेरा कोई भाई, दो पीढ़ी का चचेरा भाई भी, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी किस्म की नौकरी में नहीं है और इसलिये "तरुण भारत" का जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसका माधव बाबू कैसे प्रतिकार करायेंगे, यह उन पर है। यह अखबार किसी विशेष दल का है इसलिये माधव बाबू का नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रथम पृष्ठ पर प्रतिकार छाप देंगे। मैंने उनसे कहा कि खबर बरेली की है और डेट लाइन लखनऊ की। इसमें लिखा है कि लखनऊ, १२ जुलाई, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के भाई श्री रेवती नन्दन बहुगुणा को बरेली में गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे इसका सख्त अफसोस है कि यह अखबार एक बड़ी पार्टी का है और उसने यह लिखा है।

मैं यह कहता हूं कि मेरे स्वर्गीय पिता जी का नाम तो रेवती नन्दन बहुगुणा अवश्य था पर मेरे रिश्तेदार, भाई भतीजों में दो पीढ़ी से जैसा मुझे पता है, इस नाम का कोई नहीं है। हम सिर्फ दो भाई हैं एक हृदय नन्दन बहुगुणा और दूसरा हेमवती नन्दन बहुगुणा जो आप लोगों के आशीर्वाद से इस कुर्सी पर बैठा है।

एक सदस्य--

इस स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--

हमारे सामने सवाल था और नियम ५६ के अन्तर्गत माननीय श्री एदल, श्री उदय नाथ, श्री मोहम्मद असरार अहमद ने दिया था कि मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के भाई श्री रेवती नन्दन बहुगुणा बरेली में गिरफ्तार। इसलिये मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया और आप सन्तुष्ट हो गये।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, न तो यह विशेषाधिकार की बात थी और न यह प्रश्न काम रोको प्रस्ताव का है और न ही मुख्य मंत्री जी को इसका स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी। जो उन्होंने यह सब कहा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर रामसेवक यादव जी चौधरी साहब से परामर्श करेंगे तो इसी राय पर आयेंगे :--

सीजर्स वाइफ मस्ट बी एबव सस्पिशन।

मैं इस जगह पर बैठा हूं, नहीं तो सम्भवतः हाउस का समय नष्ट न करता। आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान पर बठा हूं इसलिये समय को नष्ट किया और इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

विविध विषय

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इतनी बार मैं खड़ा हुआ हूं परन्तु मुझे आपने समय नहीं दिया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष जी, हमारे नियम ४९ की व्यवस्था है और ५२ की व्यवस्था है, प्रश्न के बारे में एक सवाल करना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जो सवाल आते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, जब से सदन शुरू हुआ है तबसे बराबर स्वास्थ्य विभाग के जितने प्रश्न हैं वे हम लोगों के स्थगित होते रहते हैं। इस पर आप व्यवस्था दें। इस महत्वपूर्ण सेसन में स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों के, जो कि वहां के कर्मचारियों के संबंध में, वहां के मरीजों के संबंध में हैं, का उत्तर नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष--

आप जो कहना चाहते हैं, उसको लिख कर दे दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इन प्रश्नों को लेने की क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष--

आप हमारे कक्ष में आ जावें वहां हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की पार्टी इनकी ही कांस्टीट्यूएन्सी में हार गई है। तो क्या यह इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कई हजार वोटों से इनकी पार्टी का आदमी पराजित हुआ है। यह सीट मुख्य मंत्री जी के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। इसलिये मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिये।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम ५६ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के बारे में बता रहा हूं। सर्वश्री जनार्दन प्रसाद ओझा, चौधरी रामपाल सिंह यादव की सूचना को अस्वीकार किया। दूसरी सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा चौथी सूचना श्री रणधीर सिंह क भी अस्वीकार किया। तीसरी सूचना सर्वश्री एदल सिंह, उदयनाथ तथा मोहम्मद असरार अहमद की है। इसके सिलसिले में आपको मुख्य मंत्री जी ने अपनी कुछ बातें भी बताईं। इसलिये इसको अस्वीकार किया, चंकि इस पर मख्य मंत्री जी का वक्तव्य हो चुका है। अब वित्तीय वर्ष १९७४–७५ के आय-व्ययक पर मतदान होगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्री टी० एन० सिंह जब चुनाव हार गये थे तो इन्हीं लोगों ने इस्तीफा मांगा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

एक सदस्य—

चौधरी साहब जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गये थे तो क्या उन्होंने भी इस्तीफा दिया था।

(व्यवधान)

१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या ६४—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या ८५—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९७—ऋण और अग्रिम परिवहन

*श्रम एवं न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,५२,३५,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पांडेय]

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६४—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१२,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५—सड़क परिवहन सेवाओं पर पंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९९,९९,१००रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९७—ऋण और अग्रिम—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुये १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—(जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैंने एग्रो-इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन से सम्बन्धित एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

जब आपको खाद्य की मांगों पर चर्चा का अवसर न मिले, तब हम उसको देखेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेज में जो यह लाउड-स्पीकर लगा हुआ है वह खराब हो गया है। इससे बड़ी परेशानी होती है और कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपने कमरे में जब आप नहीं थे तो जिक्र किया था कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी बार-बार झुक-झुक के सुनते हैं, लगता है उसमें कुछ गड़बड़ी है। मुझे बताया गया कि अगर आप पीछे की तरफ बैठें तो सुनाई पड़ेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आप वक्तव्य के लिये स्वीकृत कर लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

खाद्य-चर्चा हो जायेगी उसके बाद।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इस प्रदेश के कुछ मार्गों पर सन् १९४७ में हमने राष्ट्रीयकृत बस-सेवा प्रारम्भ की। सन् १९४७ से लेकर ३१ मई, १९७२ तक तो यह सेवा काम करती रही और जनता के सहयोग से दिन प्रतिदिन हमारी सेवाओं ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उससे वह लोकप्रिय होती गई और उसी के फलस्वरूप हमें और भी सेवाओं की आवश्यकता मालूम हुई कि इस विभाग के माध्यम से और भी सेवायें अपेक्षित हैं तथा बस भी अपेक्षित है तथा इस सेवा के सुदृढ़ीकरण की तरफ ध्यान जाना चाहिये। इसी चीज को ध्यान में रखकर १ जून, १९७२ को हमने इस राष्ट्रीयकृत बस सेवा को निगम का स्वरूप दिया और उसी दिन परिवहन निगम की स्थापना की गई जिसमें ९ डाइरेक्टर मनोनीत हुये। इस प्रदेशीय सरकार द्वारा चुने गये ४, नोमीनेटेड ४, ३ भारत सरकार द्वारा और २ गैर-सरकारी सदस्य।

इस तरह से मान्यवर, इन सदस्यों की सहायता और इनकी नीति निर्धारण करने की पालिसी के माध्यम से हम ने राष्ट्रीय कृत निगम की कार्यवाही शुरू की और मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि इस परिवहन निगम ने इतने कम समय में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वह प्रशंसनीय है। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि इन उपलब्धियों के बावजूद इस प्रदेश की जनता और माननीय सदस्य जो अपेक्षा चाहते हैं सेवाओं के बारे में, बसों के सही संचालन और समय के बारे में, जो कर्मचारी हैं उनकी निष्ठा और ईमानदारी के बारे में, इस विषय में समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं। लेकिन हमने उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की और उसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं। पिछली बार जब दिसम्बर, ७३ में रेलवे की हड़ताल हुई थी और फिर उसके बाद किसी न किसी रूप में रेलवे हड़ताल चलती रही और अभी कुछ महीने पहले जब रेलवे काफी प्रभावित थी तो जो हमारी बस सेवाओं में जो ४४ हजार लगे हुए कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और देश प्रेम की भावना से कार्य किया जिसके बारे में जगह-जगह से प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं। हमारी उपलब्धियां इस मायने में भी प्रशंसनीय हैं कि योजना में जहां एक हजार किलोमीटर के राष्ट्रीयकरण की बात थी वहां हमने ४२०० किलोमीटर का राष्ट्रीयकरण किया। ७३–७४ तक २०,५०० किलोमीटर पर बस चलाने का लक्ष्य भी लगभग पूरा कर लिया।

हमारे परिवहन विभाग में ४,७२२ बसें, ३३६ ट्रकें, ५३ टैक्सियां काम कर रही हैं और जनता को वे सुविधाएं दे रही हैं जिनकी कि जनता हमसे अपेक्षा करती है। मान्यवर, माननीय सदस्य सदन में या सदन के बाहर आग्रह करते हैं उन रूट्स को एक्सटेंड करने के लिए या नई सड़कों पर नई बसें चलाने के लिए या उन सड़कों के राष्ट्रीयकरण के लिए जिनकी हालत खराब हो गयी है तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहते हुए भी कि हम प्रदेश की जनता और माननीय सदस्यों की बात को ध्यान में रख कर कुछ कर सकें हमारे सामने विकट समस्या है। पूंजी की समस्या सबसे विकट समस्या है। जब परिवहन निगम बना तो हमने १२ करोड़ व्यय करने का निश्चय किया और वहीं हमें ३ करोड़ भारत सरकार से मिलने की बात थी। लेकिन उन तीन करोड़ में से एक पैसा भी हमें नहीं मिला है। इन्हीं वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम बस चेसिस नहीं खरीद सके। वे पार्ट्स जिनको बसों में लगा कर हम राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बसों को चला सकते हम नहीं खरीद सके। माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। उन्होंने हमारी कुछ सहायता की है और उसके परिणामस्वरूप पिछले महीने ५–७ जून को नेशनलाइज्ड बैंक के डायरेक्टर और प्रतिनिधियों को बुलाया उनसे बातचीत की। हमने उनसे यह अनुरोध किया कि कम से कम ८ करोड़ रुपया दे दें तो जनता की कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे और माननीय सदस्यों के अनुरोध का पालन कर सकेंगे। अभी तक उसका कोई ठोस और निश्चित फल नहीं निकला लेकिन आशा है कि निकट भविष्य में कोई अच्छा फल निकल सके।

१९७२–७३ के मुकाबले में ७३–७४ में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जहां १९७२–७३ में ४५ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है, वह इसलिये था कि १ करोड़ २४ लाख हमको अपने कर्मचारियों के वेतन वगैरह जो गवर्नमेंट से बढ़ चुके थे, उनके रूप में देना था। अगर वह न देते तो हमारा ख्याल है कि करीब ७९ लाख रुपये शुद्ध लाभ होता। १९७३–७४ में हमको करीब ३ करोड़ ५५ लाख रुपये अपने कर्मचारियों को वेतन-मान और महंगाई भत्ते और अन्य चीजों के रूप में दिया और करीब १० लाख अन्तरिम रिलीफ दिया और करीब ८३ लाख बोनस के रूप में दिया जा रहा है। १९७२–७३ में जहां ९ प्रतिशत का बोनस दिया, वहीं १९७३–७४ में साढ़े नौ प्रतिशत बोनस अपने कर्मचारियों को दिया कि जिनकी ईमानदा

[श्री राज मंगल पांडेय]

से हमको बहुत बड़ी उपलब्ध हुई। यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि जिसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिये। हरद्वार कुम्भ मेले में छः साढ़े-छे सौ बसों की सेवा के माध्यम से हमारे कर्मचारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है और उनको जनता से भी इसके लिये प्रशंसा मिली है। यह प्रशंसा उनकी सेवाओं, निष्ठा और नेकनीयती के लिये मिली है।

तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि परिवहन निगम के माध्यम से, जहां पर कि हमारी बहुत सी कठिनाइयां हैं, हमने जनता की अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास किया और जितना इस निगम से जनता अपेक्षा करती थी, भले ही हम उस हद तक सफल न हुए हों, लेकिन हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इसमें अभूतपूर्व और पर्याप्त सुधार हुआ है। और वह हो सका है हमारे कर्मचारियों की निष्ठा और सेवा की वजह से और इसलिये यह निश्चय किया गया है कि जो भी लाभ वे पैदा करेंगे, उस लाभ का एक अंश उनको मिलेगा। इसके लिये हमने कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार किया है। कन्डक्टर्स को गुड कन्डक्ट एलाउन्स और ड्राइवर्स के लिये इनामादि दिये हैं और जगह-जगह हमने और भी सुविधाओं के देने की बात की है, जैसे उनके परिवार को पास देना आदि, गुड कन्डक्ट एलाउन्स देना आदि। हमने उनसे कहा है कि जितनी ज्यादा लाभ कर वे इस सेवा को बनायेंगे, तो लाभ का जितना हिस्सा आयेगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिल जायेगा। इस बात से पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अलावा हमारे चेकिंग स्क्वायड्स ने ऐसे केसेज पकड़े हैं और उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है, जिनकी ईमानदारी में शंका थी। इससे इस सेवा में काफी सुधार हुआ है।

१९७३-७४ में चिकनाई के मसले में, बस चेसिस में, अल्मूनियम, लोहा आदि के मसले में बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है इस निगम पर लेकिन हमने कोई पैसा भी नहीं लिया और किराया भी नहीं बढ़ाया है। मान्यवर, जो बस १९७२-७३ में ७७ हजार की आती थी, वह आज ८८,५०० की आती है और जो बस ६७,००० की ७२ में आती थी, वह आज ८४,४०० की आ रही है। इतना बड़ा बोझ पड़ा है। इसके अलावा सेल्स टैक्स, लुब्रीकेन्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। सारे पार्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इतना बोझ हमारे ऊपर है, लेकिन हमने एक पैसा भी नहीं लिया और न फेयर्स ही बढ़ाये। इससे भी इस प्रदेश की जनता को इस निगम के माध्यम से आराम पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने एक परचेज के लिये एक कमेटी बना दी है जो परचेज के मसले को देखती है—और शिकायतों को दूर करने की कोशिश करती है। हमारी योजना है कि हम सारे लूप-होल्स को सील कर दें कि कभी कोई शिकायत न आ सके और डिपार्टमेंट स्टोर में कभी कोई चोरी की गई या कोई अनियमितता की गयी तो उससे विभाग के लोगों की पोजीशन फाल्स हो सके।

पिछले भाषण में इस बात का इशारा था और फिर मैं इस बात की जानकारी सदन में देना चाहूंगा कि इस कारपोरेशन को रीजनल कारपोरेशंस के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास हमारा है ताकि परिवहन सेवाओं का संगठित किया जा सके, लोगों को सुविधा तथा आराम मिल सके, एफिशियेंट कंट्रोल हो सके। इसके लिये हम ६ रीजनल कारपोरेशंस के रूप में इसे परिवर्तित करने की बात सोच रहे हैं। क्योंकि यह मसला जरा कानूनी है इसलिये उसे अध्ययन किया जा रहा है और आशा है इस कार्य को हम बहुत शीघ्र प्रदेश की जनता के हित में कर सकेंगे और इससे प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकेगा। भविष्य में जो कार्यवाही होगी उससे सदन को मैं अवगत करा दूंगा। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण उस हद तक हम इसे नहीं कर सके जिस हद तक करने की आशा करते थे। यह सब हो जाने पर हमारी एफिशियेंसी बढ़ जायगी, कर्मचारियों में काम करने की निष्ठा तथा ईमानदारी में वृद्धि हो जायगी। परिवहन निगम के अलावा एक स्क्वायड है जिसको ट्रान्सपोर्ट स्क्वायड कहते हैं। इसका काम प्रशासनिक है। प्रदेश में चलने वाली जितनी बसें हैं प्रशासनिक दृष्टि से यह देखना

उसका काम है कि वे नियमों का पालन करती हैं या नहीं, रोड टैक्स ठीक से वसूल होता है या नहीं तथा रजिस्ट्रेशन ठीक से हुआ है या नहीं। इससे बहुत बड़ा सुधार हुआ है। जहां पहले ७२–७३ में १८ करोड़ ९५ लाख की आय होती थी वह ७३–७४ में बढ़ कर २४ करोड़ ६० लाख हो गयी। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे जो अधिकारी तथा कर्मचारी हैं उनसे सहयोग का यह फल है जिससे इतनी बड़ी उपलब्धि हमको हुई है। ७४–७५ में उम्मीद है कि अपने माननीय सदस्यों के सहयोग से तथा अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग से शायद हम इस उपलब्धि को और अधिक बढ़ा सकेंगे।

चेकिंग स्क्वायड्स बहुत कम थे। १३ स्क्वायड्स के बारे में बजट एलाटमेंट हो चुका है। १३ स्क्वायड्स बन जाने के बाद हमारी चेकिंग में जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकेंगे और जिनकी प्वाइंट्स पर कर बंचना होती है उसको हम रोक सकेंगे। अन्त में मैं यह कहूंगा कि आदरणीय सदन के सहयोग से तथा प्रान्त की जनता के सहयोग से हमें आशा है कि हम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख कर, नेकनीयती तथा ईमानदारी से हमारे अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते हुए, अपने नैतिक स्तर को ऊंचा रख कर प्रदेश की सेवा करने में सक्षम होंगे और हम प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं के अनरूप कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या १२---मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६४---सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८५---सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९७---ऋण और अग्रिम---परिवहन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मेरे भाई ने जिन्होंने यह विभाग संभाल रखा है स्वयं ही अपनी सराहना कर डाली। शायद उनके पक्ष के लोग भी इतनी सराहना नहीं करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। जहां पर खाने की चीजों के बाद कपड़े की जरूरत होती है, मकान की जरूरत होती है वहीं पर किसी भी कौम की तरक्की के लिये परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि आदमी अपनी जरूरतों को पूरी कर सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

खाना और कपड़े के बाद मकान की जरूरत होती है या परिवहन की?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

पहले मैं अपना जवाब दे दूं उसके बाद आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्कूटर और कार के परमिट देने के सम्बन्ध में जो सलाहकार समिति थी, कार्यभार सम्भालने के बाद उसको भंग कर दिया ताकि उसमें अपनी मनमानी कर सकें मिश्रा जी को भी उसी में परमिट मिले . . . .।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने आज तक कोई परमिट नहीं लिया है। माननीय सदस्य की बसें चलती हैं। आज तक मैंने कोई सिफारिश भी इनके लिये किसी से नहीं की है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

महोदय, मैं एक दिन 'प्रेस' की लाबी में खड़ा था। माननीय मंत्री जी को उनके साथी रूलिंग पार्टी के लोग घेरे हुये थे और स्कूटर कार आदि के सम्बन्ध में क्या-क्या कह रहे थे मैंने करीब में जाकर देखा और खड़ा हो गया। मैंने कहा कि क्या किसी अपोजीशन के आदमी को भी परमिट मिल सकता है? तो कहा गया कि जरूर मिल सकता है लेकिन १-२ महीने गुजरने के बाद। मैंने १९६९ में दरख्वास्त परमिट के लिये दी थी और वही मंजूर हुआ। उसके बाद तीन वर्ष से मेरी दरख्वास्त वहां पड़ी हुई है, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। इसी बीच श्रीमती मालती पांडेय को और अपने लड़के को ४-४ स्कूटर के परमिट दिये गये

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय--

हम यह आपके ऊपर ही छोड़ देंगे कि आप यह बतायें कि विरोध पक्ष के लोगों को कितने परमिट मिले। उसी कोटे में आपको मिला है और उसी कोटे में इधर के लोगों को मिला है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब आपने खुद लिया है तो दूसरों के लिये क्या कह सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निगम के बारे में कहता हूं। निगम कहते हैं कि हम सरकार के अधीन हैं और सरकार कहती है कि इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी आपने क्या कहा? जब यह निगम बना था तो उस समय कहा गया था कि ३/४ करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलेगा लेकिन आज कहा जा रहा है कि वहां से नहीं मिला। लगभग डेढ़ हजार कंडक्टर्स की दरख्वास्तें आईं। उनमें से ११० तो माननीय मन्त्री जी की कांस्टीटुएंसी के हैं और उनमें से ९० प्रतिशत का पता लिखा है "केयर आफ श्रीमती मालती पांडेय".....

(व्यवधान)

(श्री राजमंगल पांडेय के खड़े होने पर)

आप बाद में जवाब दे दीजियेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या मन्त्री जी यही नियंत्रण रखते हैं जब कि निगम आज अलाहिदा हैं निगम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसमें लगभग ८० लाख का प्राफिट है। जबकि स्थिति यह है कि इसके ऊपर दो करोड़ रुपये का पैसेन्जर टैक्स बाकी है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी तक नहीं दिया गया है। फिर कैसे मुनाफा है। परिवहन विभाग की जो किताब आपकी बंटी है, उसके पृष्ठ २५ पर इस बारे में खुलासा लिखा है। उसमें लिखा है १८ करोड़ का पैसेन्जर टैक्स है, उसमें से रोडवेज का दो करोड़ का है। उसमें इस तरह दिया है--"इसमें निगम द्वारा देय यात्री कर को लगभग २ करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित नहीं है।" यानी निगम ने दो करोड़ रुपया अभी तक सरकार को नहीं दिया है। यह वह निगम है, जिसकी तारीफ आप कर रहे थे। पिछले वर्ष पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी गठित हुई थी। उसमें उस विभाग के निगम के आदमियों को साक्ष्य के हेतु बुलाया गया। किन्तु जितने बार उन्हें बुलाया गया, उन्होंने

कोई न कोई बहाना करके उस समिति के सामने आने से बचने का प्रयास किया और वह उसमें कामयाब भी हो गये । इस बात का जिक्र हमने उस निगम की रिपोर्ट में कर दिया है, जो सरकार को दी है ।

बसें बड़ी ही खराब हालत में हैं । कोई बस यहां पर छोड़कर किसी भी डिपो पर आप देखें सही सलामत नहीं मिलेगी । मुख्य मन्त्री जी देखें, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से हवा और पानी के पलूशन रोकने के लिए ऐक्ट बना है जो यहां भी लागू किया जाना है, किन्तु दारूल-शफा के सामने देखें कितना धुवां निकालती हुई चलती है । वह तो आप ठीक नहीं कर सके तो और आगे आपसे क्या उम्मीद की जाये । एक-एक गाड़ी इस काबिल नहीं है कि उन पर सफर किया जा सके । मन्त्री जी खुद जाकर देखें कि क्या वे इस काबिल हैं कि उन पर आदमी सफर करे । फिर भी अलापा यह जाएगा कि बहुत बढ़िया काम इस निगम का है । पिछले समय से जब-जब इस पर चर्चा हुई कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रहा है जिसने निगम की या जब सरकार के कब्जे में थीं, इनकी निन्दा न की हो । निगम हर सूरत में फेल हो चुका है, बस एक झटका और लगाया जाए, तो बिलकुल समाप्त हो जाये । क्योंकि रुपया आपने दिया उत्तर प्रदेश सरकार से, वह पहुंच गया, लग गया, लेकिन आज तक यात्रियों को सुविधायें क्या मिलती हैं यह आप बतायें । जिन सड़कों पर निगम की गाड़ियां चलती हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है––एक सरविस करें, दो सर्विस करें या चाहे, ३ सर्विस करें । पिछले वर्ष भी बताया था, इस वर्ष फिर बतलाता हूं जितनी दूरी की निगम की गाड़ी १५०-२०० किलोमीटर चलती है, जबकि प्राइवेट चलती है ८० किलोमीटर । प्राईवेट वालों को फिर भी फायदा है, जबकि आपको न जाने कितने टैक्स वे देते हैं । इसी तरह से प्राइवेट वाले फाइनेन्स कम्पनियों को अनगिनत फायदा देते हैं । लेकिन निगम को इतने रुपये की पूंजी देने के बाद कहा जाए कि फायदा हो रहा है तो वह सही नहीं होगा ।

पिछले साल मैंने यह भी बताया था कि सब चीजों की कीमत बढ़ गई हमने किराया नहीं बढ़ाया । निगम की गाड़ियों और सरकार की गाड़ियों का किराया प्राइवेट गाड़ियों के किराये से दुगुना है । आज भी प्राईवेट गाड़ियों का किराया उतनी दूरी के लिये प्राइवेट गाड़ियों का आधा है । आपके यहां कौन सी सुविधा है ? अब स्टेशन पर चलिए, वहां पर सामान चढ़ाने वाला है नहीं, अपने हाथ से अपना सामान चढ़ाओं । फिर गाड़ियां एक-एक इंच धक्का देकर चलेंगी और आगे चलकर रास्ते में फेल हो जायेंगी । आपके यहां जो करीब ४ हजार गाड़ियां हैं, उनमें से आधी वर्कशाप में पड़ी हुई है । वर्कशाप में जो गाड़ियां बनने आती हैं और जो स्टोर आता है वह आधे से ज्यादा चोरी हो जाती है और आप का ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना लूज है, मन्त्री जी आप परिवहन के मन्त्री होते हुए, भूतपूर्व मन्त्री के आदेश से अपने आत्मा के विरुद्ध उस शख्स को आपने अपना स्टोर परचेज का डिप्टी जनरल मैनेजर बना रखा है जो डाइरेक्टर टूरिज्म के बहनोई या साले हैं, जिसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं । बादशाह मोहम्मद तुगलक की तरह स्टोर परचेज करने के लिये २० आदमियों का कार्यालय है जो कानपुर रहता था परन्तु ६ जून को वह कार्यालय शिफ्ट किया गया लखनऊ को क्यों कि डाइरेक्टर टूरिज्म के भइया को यहां पर रहना है । जब कि उनकी नियुक्ति पौने दो वर्ष पहले हो चुकी है पहले वर्ष में उन्होंने एक काम स्टोर परचेज का नहीं किया, लेकिन २५ हजार रुपये का उन्होंने टी० ए० बिल तैयार किया है । वह बैंगलौर भी गये, अपनी शादी की, तो वहां पर अपने को ड्युटी पर दिखाया और टी० ए० बिल ड्रा किया जब कि स्टोर परचेज के सम्बन्ध में लगभग ६ या ७ आर्डर्स महीने भर में आते हैं, ६–७ आर्डर्स के सिलसिले में उन्होंने वहां से बिल में स्टोर परचेज दे दिया ।

[श्री मोहम्मद असरार अली]

दो किस्म के स्टोर्स हैं, एक तो जनरल स्टोर्स दूसरे मोटर पार्टस् । जनरल स्टोर्स में कीलें और शीट वगरह होती हैं, बकिया मोटर पार्टस का है । जब दूंद मचा, मन्त्री जी ने कहा होगा कि पिछली बात नहीं मानेंगे, बड़ा दूंद मचेगा, तो आधा मुहकमा कानपुर को शिफ्ट हो गया जनरल स्टोर का लेकिन परचेज का कार्यालय, जिसके साथ आर्डर देने पड़ते हैं, यहीं है । उनकी कार, टेलीफोन, रहना सहना भी है । मन्त्री जी ने कहा कि यह बात नहीं होगी आप से कहा गया था । चेयरमैन निगम ने कहा कि पिछले मन्त्री का आदेश है कि इनको डिप्टी जनरल मैनेजर को रखना होगा तो आपने भी कहा भाई क्या करें? आपको अभी कल परसों इत्तला मिली होगी कि नैनीताल काठगोदाम से एक ट्रक चलती है । उसमें कहा जाता है कि पुराने टायर ट्यूब रबड़ चढ़ाने के लिये आ रहे थे लगभग १०० टायर भरे थे । वे आपकी वर्कशाप में पहुंचे नहीं । अब दूसरा इंडेंट आया तो हुआ कि पहला कहां है । इनक्वायरी चली । आज की तारीख में सैकड़ों एफ० आई० आर० वहां पर चोरी के सम्बन्ध में सेंट्रल वर्कशाप की पड़ी हुई हैं आज तक कोई परवाह नहीं करता । जो स्टोर आता है उसका ६० परसेंट सेंट्रल वर्कशाप में खर्च हो जाता है क्योंकि वहां पर गाड़ियां बनती रहती हैं । वहां पर टेक्निकल इंजीनियर भी हैं । तो जब कन्ज्यूम वहां होता है तो कार्यालय कानपुर में होना चाहिये न कि लखनऊ में । लेकिन जब यहां से जायेंगे तो आने जाने का टी० ए०, डी० ए० मिलेगा । जहां तक मेरी जानकारी है शायद पौने दो साल में ४,६ बार से ज्यादा डिप्टी जनरल मैनेजर स्टोर परचेज कानपुर नहीं गये । और अगर मेरी जानकारी सही है और मैं समझता हूं कि सही है तो एक मुन्नू भारद्वाज हैं, उनके संबंध इनसे कुछ हैं । मैं इसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत गन्दी चीज हो जायेगी । चेयरमैन हैं उनके साथ जनरल मैनेजर दिल्ली होते हुए बम्बई जायं और एक आध पुंछल्ला जरूर उनके साथ जाता है चाहे वह औरत हो, मर्द हो । पहले जो परचेज हुआ था उसके मुताबिक अब [illegible] परसेंट भी नहीं है । इसकी जिम्मेदारी निगम और सरकार दोनों पर है । अगर मैं गलती नहीं करती हूं तो मैं मन्त्री जी का ध्यान एक वर्ष पूर्व के पायोनियर अखबार की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें सेंट्रल वर्कशाप के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा दिया गया था कि उसमें कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या क्या लूट हो रही है । उसका जिक्र करना मन्त्री जी ने उचित नहीं समझा । आज इतना समय नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूं ।

इस रीजन में हम लोग भी रहते हैं । लेकिन हमने डिप्टी जनरल मैनेजर को अपने दिपो पर जाना कभी नहीं सुना । हो सकता है कि कागज पर लिखा गया हो और डी० ए० टी० ए० बनाया गया हो । मन्त्री जी अपने जवाब में बतायें कि कितने रुपये का सामान जनरल वर्कशाप के लिये और कितने रुपये का सामान एम० पी० वर्कशाप के लिये खरीदा गया । क्या यह सच नहीं है कि इनके जमाने में प्रोडक्शन भी बहुत कम रहा? सेंट्रल वर्कशाप में तीन गाड़ियां रोजाना बन सकती थीं और मेरी जानकारी में है कि जिनकी मन्त्री जी ने बड़ी सराहना की है, लगभग डेढ़ गाड़ी ही बनने लगी हैं । मजदूर ओवर टाइम लेते थे वह खत्म हो गया । इनकी कार कुनिन्दगी डेढ़ वर्ष से ज्यादा नहीं रही । ब्लैक आउट वगैरा में मजबूरियां होंगी और समस्यायें पैदा होंगी कि बल्बे कैसे रोके जायें । लेकिन आपको इन सफेद हाथियों को तो रखना ही है । एक डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं । मन्त्री जी ने चाहा कि इनको उस जगह पर बदल दें जिसका ग्रेड एक ही है । लेकिन चेयरमैन ने कहा कि यह नहीं होने देंगे क्योंकि यह उनके भागीदार हैं । यह तस्वीर निगम की है जो मैंने माननीय सदस्य के सामने पेश की है ।

अब जगह-जगह जो सड़कें इनके पास हैं उनके बारे में सुनिये । आज की तारीख में हर वह सड़क जो निगम के कब्जे में है वह या तो स्पेशल क्लास रूट है या फिर 'ए' क्लास रूट है । इसमें सब से कम व्यय होता है और सब से ज्यादा आमदनी होती है । 'बी' क्लास और

'सी' क्लास रूट्स की भी कुछ सड़कें हैं और कच्चे पर इनकी गाड़ियां बहुत कम चलती है फिर भी निगम को गाड़ियों की हालत बहुत ही खराब है। यह आमदनी कम देती है और घाटे पर चलती हैं और निगम फिर भी बड़ा अच्छा काम करता है

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता श्री रामायण राम पीठासीन हुए)

मेरा तो अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी से एक अनुरोध है आपके द्वारा। मैं उस सम्बन्ध में उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि कम से कम जो उनके दिल की बात है तो मैं उनका साथ दूंगा। एक सन १९७२ में कानून पास किया। इसके द्वारा [illegible] परमिट कर दिये गये। कोई भी आदमी गाड़ी खरीदेगा। एक ही जगह पर सब बैठ जायेंगे। इसका नतीजा क्या होगा। कम्पटीशन होगा। जो गरीब आदमी होगा वह वहां चल नहीं पायगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मन्त्री जी ने यह चाहा था कि अगर विधायकगण दोनों पक्ष के सहयोग करेंगे तो हम यह कोशिश करेंगे कि इस अधिनियम को समाप्त करें। मेरा उनसे अनुरोध है कि उनको तुरन्त ही ऐसे आदेश देना चाहिये उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय––

समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप चाहते हैं कि परमिट्स का लिबलाइजेशन न किया जाय ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

न किया जाये। मान्यवर, निगम में मन्त्री जी ने यह भी देखा कि टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत होता है। निगम की गाड़ियों की हालत क्या है। जहां के मन्त्री महोदय पर दबाव डालने वाले लेजिस्लेटर्स होंगे वहां की स्थिति तो अच्छी हो सकती है लेकिन अन्य जगहों पर मन्त्री जी आपके व्यवहार से जनता इतना दुखी हो चुकी है कि आप इस चीज को महसूस करें कि जब कि एक तीस मील की सड़क पर २ बसें चलें रोडवेज की और ६ चलें प्राइवेट। इसके अलावा जो मिनी बसें भी चलती हैं। आपकी बसें जनता को पूरी सुविधा दे नहीं पाती है। आज भी सड़कों पर इनकी बसों की संख्या इतनी कम है कि शायद भविष्य में लड़ाई-झगड़ा और दंगा भी न होने लगे इनके कर्मचारियों से और जनता से। जनता को टिकट नहीं मिलते हैं, उनको बस में बैठने का स्थान नहीं मिलता है, उनको कष्ट होता है। मिनी बसें चलती हैं। आप सुविधा दे नहीं पाते हैं। तो आप इस बिना पर परमिट रोके हुए हैं जिनकी तादाद है ४००/१२०० परमिट मिनी बसेज के पड़े हुए हैं। आप उन्हें क्यों नहीं देते हैं। कहते हैं कि रोडवेज को नुक्सान होगा। क्या आपने इसे कमाने का खजाना बना रखा है। यह तो जनता को सहूलियत देने के लिये है। आपने सुना होगा कि किससे सुविधा ज्यादा हो सकती है। मैं इसको भी सुनाने के लिये तैयार हूं कि निगम प्रदेश की सभी सड़कों पर अपनी गाड़ी चलायें। मैं इससे सहमत हूं परन्तु साथ साथ प्राइवेट आपरेटर्स को भी उनके साथ पैरालेल रखें। प्राइवेट आपरेटर्स की भी गाड़ियां सड़कों पर चलें। तो उससे फायदा यह होगा कि अगर निगम में कमी है तो वह सफर करेंगे अगर प्राइवेट में सुविधा है तो उसमें सफर करेंगे। यह तो सफर करने का सवाल है। सफर के लिये सुविधा दी जाय।

जहां पर निगम गाड़ियों का इन्तजाम नहीं कर सकता है और वहां पर पब्लिक की मांग है तो वहां पर प्राइवेट गाड़ियों की सुविधा दी जाय। अगर निगम इन्तजाम नहीं कर सकता तो उनको हटा कर पब्लिक को दी जाय। अभी मन्त्री जी ने कहा हमने किराये नहीं बढ़ाये थे डीजल महंगा, टायर महंगा, हर चीज महंगी। अध्यक्ष जी, मन्त्री जी बतायें कि प्राइवेट

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

को डीजल भी महंगा मिलता है। टायर चाहिए कि कंट्रोल रेट पर पब्लिक को भी मिले लेकिन होता यह है कि प्राइवेट को मिले या न मिले निगम को अवश्य मिलेगा। निगम को तो एक टायर मिलता है ढ़ाई हजार रु० में और प्राइवेट आपरेटर्स को मिलता है ४ हजार रु० में। स्पेयर पार्टस तो आपको कन्ट्रोल रेट पर मिलता है और प्राइवेट आपरेटर्स को तिगुना और चौगुना रेट पर मिलता है। उसका आज तक आपने कोई इन्तजाम नहीं किया।

मद्रास में एक गाड़ी को २४ टायर मिल सकते हैं, महाराष्ट्र में साल भर में १८ मिल सकते हैं परन्तु यू० पी० के प्राइवेट आपरेटर्स को साल भर में २ टायर का भी नम्बर नहीं आता। ब्लैक मारकेट में प्राइवेट आपरेटर्स खरीदते हैं। टायर की आपने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है, जो कि आपके असली वोटर हैं और वह भविष्य बतायेगी। कोटा जो आपके यहां भारत सरकार से मिलता है किस-किस प्रान्त में किस हिसाब से मिलता है और हमारे प्रान्त में टायर-ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स, डीजल वगैरह किस हिसाब से आता है। कम आता है या ज्यादा आता है? जनसंख्या के हिसाब से अगर नहीं आता है तो आपका विभाग सोता रहा। उसने अपने को धोखा दिया। आपने उनके कहने पर अपने आपको धोखा दिया और प्रदेश की जनता को धोखा दिया और इस तरीके से आपने एक ऐसा चक्कर लगा दिया कि यहां के आदमी मजबूर हैं कि मन्त्री जी से लेकर नीचे तक जब तक कि भेंट नहीं चलेगी, पूजा नहीं चलेगी, पूजा नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं है। अगर मन्त्री जी किसी जगह चलें हमारे साथ हम उनको दिखा दें कि जनता कैसी हो रही है और फिर निगम को सब सुविधायें आप दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कांग्रेस की लाबी में बहुत बड़ा व्यवधान हो रहा है। वहां पर हल्ला मच रहा है। इधर हमारे माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सब चीजें इन्हें सस्ती मिलती हैं और कहते हैं कि रेट नहीं बढ़ाया। प्राइवेट आपरेटरों को दोगुने और ३ गुने दाम पर चीजें मिलती हैं।, उनसे भी कहते हैं कि रेट मत बढ़ाओ।

आज सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके प्राइवेट ओपरेटर्स हैं लेकिन क्या आपने कभी इस बात की परवाह की कि आर० टी० ओ० और एस० टी० ए० के कार्यालय में उनके बैठने की कोई जगह बनायी है, उनके लिये कोई सुविधा दी है। इनकम टैक्स के कार्यालय में भी उनके लिए जगह का प्रबन्ध है ताकि वे वहां बैठ सकें लेकिन सरकार ने इन दफ्तरों में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है। यही नहीं इन कार्यालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके बैठने के लिये भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। बरेली में जो आपका दफ्तर है वह तो एक ब्लैक होल के समान है। वहां के कर्मचारी बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि अगर माननीय मन्त्री जी बरेली के उस कार्यालय को देख लें तो पायेंगे कि वहां पर कर्मचारियों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है।

एक सदस्य—

आर० टी० ओ०, बरेली के ही दफ्तर के सम्बन्ध में आप इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

न गोरखपुर में न इलाहाबाद में। वहां पर इतना ज्यादा कन्जैशन है कि वहां पर आपके कर्मचारी भी नहीं बैठ सकते हैं, यहां तक कि अधिकारी भी नहीं बैठ सकते हैं। मैंने लिखकर भी माननीय मन्त्री जी को दिया है कि वह बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है लेकिन उसको बनाने का आज भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उसको टैक्स आप दूसरी मदों में इस्तेमाल

तो कर लेंगे, पैसेन्जर टैक्स, पथ टैक्स, माल टैक्स और न मालूम क्या-क्या टैक्स आपको वहां से मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इन्श्योरेन्स प्रिमियम भी देते हैं लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज वहां नहीं है।

यही नहीं जहां तक मेरी सूचना है अगर एक्सीडेन्ट हो जाते हैं तो उन्हें भुगतान भी करना पड़ता है लेकिन अगर निगम की गाड़ी से कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है तो उसके लिये पहले तो कुछ आदमी बैठेंगे, फिर सोचेंगे और अगर कम्पेंसेशन दे सकेंगे तो दे देंगे नहीं कह देंगे कि भागिये। तो ये २ चीजें क्यों हैं? मैं लखनऊ के विधायक से पूछना चाहूंगा कि ये २ बातें क्या यह सरकार अब तक करती रही है। क्यों उसी प्रकार की सुविधायें मरने वालों के वारसान को निगम की गाड़ियों से मिलती हैं?

आपने कहा कि हमने एक चैकिंग स्क्वेड बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने निगम की कितनी गाड़ियों का चैकिंग किया और प्राइवेट का कितना किया? क्या आपके कानून निगम की गाड़ियों के लिए अलग हैं और प्राइवेट गाड़ियों के लिये अलग? आपने यह भी देखा होगा कि निगम की गाड़ियां कभी भी आर० टी० ओ० के दफ्तर में नहीं जाती हैं, उस दफ्तर के आदमी ही वहां पर जायेंगे। दूसरे आपने गाड़ियों को पास करने और चेक करने के लिये एक ३ सदस्यों की कमेटी बनायी है। उसमें एक एस० डी० एम० हैं, एक आर० टी० ओ० और एक पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर हैं। कभी एक नहीं आयेगा तो मुआयना नहीं होगा और कभी दूसरा नहीं आयगा तो मुआयना नहीं होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि खराबी है तो यह हुआ कि यह नाराज हैं, इन्जीनियर साहब को बुलाकर लाओ। कोई तरीका नहीं है, यह गाड़ी खड़ी है, मुआयना करने वाले आयेंगे नहीं....

श्री राजमंगल पांडेय—

अब कुछ परेशानी बढ़ गयी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आपको भी बढ़ेगी। एक तो इलाहाबाद में आपको हो गयी। मंत्रि-मण्डल तो बहुत झगड़े में पड़ ही गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितनी देर और बोलना चाहते हैं?

एक सदस्य—

क्या बोल रहे हैं आखिर ये?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आधा घंटा और बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

३५ मिनट तो आप बोल ही चुके हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

२५ मिनट और बोल लेंगे।

एक सदस्य—

यह जो बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया है—प्रोनेंसिएशन समझ में नहीं आता आपका।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है, इनका प्रोनेंसिएशन इस प्रकार का है कि क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता ।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छा है कि आप कुछ इस ढंग से बोलें कि उनको सुनने में आसानी हो । वैसे जैसे आपकी इच्छा हो, बोलें ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अगर माननीय सदस्य खामोश रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से बोलूं कि उनके कान में सही रूप से पड़ सके । परन्तु मैं यह भी चाहूंगा कि मेरे भाषण के बाद उनके दिल की आत्मा जो कहे उस हिसाब से काम करना होगा, वरना वह अपने को भी धोखा देंगे, सरकार को धोखा देंगे और कौम को धोखा देंगे । और अगर यह न कर सकें पार्टी व्हिप की वजह से जो कम-अज-कम मंत्रि परिषद् में होने के नाते यह कहें कि कभी भी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की कोई भी मीटिंग बलाई ? आज तक ? आखिर वह क्यों बनी थी । अगर मीटिंग होती तो उनको बताया जा सकता कि यह सब पानी कहां है, दूध कहां है, शकर कहां है या सब काफी हाउस में है । तो मैं आपको बताऊं कि कहां से माननीय सदस्य बोल रहे हैं । क्या उनके इलाके में जितनी बातें मैंने कही हैं वह सही नहीं हैं ? आज लुब्रीकेशन के सिलसिले में जितना भी वैरेल्स के जरिये से मोबिलआयल आयेगा वह रोडवेज के लिए सुरक्षित कर दिया गया और प्राइवेट आपरेटर को टिन में मिलेगा और ड्योढ़े दाम का मिलेगा और वह भी मिलेगा क्या ? और मुनाफा ८० लाख. . . . इंडियन आइल ने यह तय कर लिया है और फिर भी पढ़त हैं कि ८० लाख का मनाफा हुआ । २ करोड़ का मैं देता हूं । सब रोडवज आप लेते जाइये । जितनी पूंजी तय कर लें, उसकी दगनी पूंजी के दाम देने को तैयार हूं, ऐडवांस में जमा कर लीजिये ।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

टर्म्स आफ कंडीशन्स क्या होंगी ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आप बैठिये, बैठ जाइये । २,११,३८८ हैं गाड़ियां । इनमें से कोई भी रोडवेज की नहीं हैं । इन चालानों के जरिये जो लाखों रुपये सरकार को मिले हैं वह भी आपने रोड-वेज में लगाये हैं । आपने कभी भी, मंत्रिमण्डल में आने के बाद या उससे पहले यह नहीं सोचा कि उनको अपने पास बुलाते और उनकी बात सुन कर आप निर्णय लेते । यही नहीं आपके अधिकारियों में भी संतोष नहीं है क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनते ।

श्री राजमंगल पांडेय—

ट्रांस्पोर्ट वालों से इतनी हमदर्दी आपको कैसे हो गयी ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जितना जुर्माना आपको प्राइवेट वाले देते हैं उससे दुगुनी आमदनी होनी चाहिये क्योंकि रोडवेज की गाड़ियों से मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट का बहुत उल्लंघन होता है । अगर वह दुगुनी आमदनी शामिल कर ली जाय तो मेरे ख्याल में ४ करोड़ का घाटा हो गया और जो २७ स्क्वैड थे अगर ये सब नियम के हिसाब से काम करते तो ये भी भूखों मरते और मोटर मैजिस्ट्रेट और उनसे संबंधित पेशकार वगैरह सब खत्म होते । पिछले साल इस सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम लोगों को सुविधा देने के लिये हर जिले में कोशिश करेंगे कि मैजिस्ट्रेट को

यह अख्तियार दे दिये जायें और जो लोगों को भागना पड़ता है और मजबूर होकर वह कन्टेस्ट नहीं करते तो उसके लिये कुछ और मैजिस्ट्रेट्स बढ़ा देंगे। हमारा पैसा है, आप मैजिस्ट्रेट बढ़ाते। पहली अप्रैल से नया सी० आर० पी० सी० लागू हो गया है, वहां कर देंगे तो आसानी हो जायगी वरना तकलीफ बढ़ती ही रहेगी। मैंने मन्त्री जी को और शायद आज के मख्य मन्त्री जी को लिखा है कि कुछ जगहों पर ऐसे लोग पैदा हो गये हैं कि पूरी बस की बस या तो बिला टिकट सफर करेंगे या उनके घरों पर चार मील कच्चे में पहुंचाना पड़ेगा नहीं तो रोज पिटेंगे। चैकिंग स्टाफ डर के मारे भाग जाता है कि इन गुन्डों से कौन निपटे। उन लोगों ने गोलियां चलायी हैं कि हमें भी ले चलो नहीं तो गाड़ी चलने नहीं देंगे। उसके लिये चैकिंग स्टाफ कुछ नहीं करता हालांकि उसके पास बन्दूक होती है, रिवाल्वर होता है।

अब मैं कुछ और बातें कहना चाहता (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य को कृपया बोलने दें। बीच में बोलें नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद––

अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। इस वक्त मैं बैठे जाता हूं। आप मुझे शाम को ४० मिनट का समय बोलने के लिये दें ताकि जो बातें इस समय रह गयी हैं उनको मैं कह सकूं।

एक सदस्य––

अब नहीं बोलेंगे, बैठ गये।

श्री अधिष्ठाता––

आप नाराज न हों, शाम को समय मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, ४० मिनट या १० मिनट, यह माननीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। आप बोलना चाहें तो इस समय और बोल सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद––

मैंने तो कटौती का प्रस्ताव रख दिया है, अब मैं बाद में ही बोलूंगा।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)––

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये तथा माननीय मंत्री महोदय की तरफ से जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट सेशन में यह देखने में आ रहा है कि यह इंसान जो ५ तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों में से एक तत्व जो अग्नि है वह विरोध पक्ष के सदस्यों की बहुत बढ़ गयी है और बुद्धि पर उसका असर पड़ा है। आज वे कोई चीज सुनने को तैयार नहीं हैं, समझने को तैयार नहीं हैं, कितना ही डाकूमेन्टरी प्रूफ उनके सामने क्यों न रखा जाय। वे तोते की तरह जो रट लेकर आते हैं उसी को यहां रटते रहते ह। हमारे मंत्री महोदय ने प्रस्ताव पेश करते हुये हर चीज को बड़े अच्छे ढंग से और डाकूमेन्टरी प्रूफ के साथ पे किया, लेकिन उसके बाद भी यहां क्रिटिसिज्म उस व्यक्ति का हुआ। हम तो इस युग में गांधी जी को महापुरुष समझते हैं। गांधी जी ने अपने समय में जो लहर चलायी थी उसमें हिस्सा लेने वाले बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों ने गांधी जी से कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुन क्षिण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठ]

कि अमुक व्यक्ति बदमाश है, चोर है, औरत भगाने का काम करता है, कुकर्म करता है, तो गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो, वह हमारी लहर में आकर जेल तो जा रहा है। खोटा सिक्का भी काम आता है। यह उनके विचार थे। उनका कहना था कि ये भी तो समाज के अन्दर ही हैं। हमारे मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं। वह इस तरीके से इन्सपेक्शन कर रहे हैं और जितनी संख्या में इंसपेक्शन कर रहे हैं कि जो हमारा परिवहन विभाग है वह सुन्दरता से चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे विरोधी दल ने बातें रखीं, प्रबन्ध के बारे में और अन्य बातों के बारे में उन पर मैं बोलना चाहता हूं।

वह तो युग चला गया। अब इंसान को, जन जीवन को व्यक्ति को काम करने के लिये, अपना कारोबार करने के लिये यातायात की जरूरत बहुत पड़ रही है। पुराना समय गुजर गया जब इंसान एक स्थान पर बैठकर अपना काम किया करता था, अब तो प्रतिदिन ४०–४० मील रोजाना सफर लोगों को करना पड़ता है।

यातायात की जो समस्या है, सरकार ने उसको हैंडलिंग करने की कोशिश की है, मैं तो यह कहता हूं कि यातायात की समस्या को ठीक करना आज का सबसे प्रथम काम है। पहले जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना, १९४७ में उसी समय हमारी सरकार ने इस चीज को भांपा, उन्होंने इधर रुख बदला और इसमें योगदान किया। इसका प्रबंध किया और समझा कि आम लोगों को क्या दिक्कतें हैं। १९४७ में इस विभाग के पास करीब १३०० बसें थीं। आप उस समय को याद कर लीजिये। प्राइवेट बसों का क्या हाल था। भेड़-बकरियों की तरह आदमी को चलना पड़ता था। इन सब बातों की ओर हुकूमत ने ध्यान दिया है।

सवारियों के बैठने में सुधार, स्टेशनों को सुन्दर बनाने का काम, बसों के बढ़ाने का जो काम था वह इन सब चैलेंजेज को सरकार ने महसूस किया है। और इस ओर अच्छे काम किये हैं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि प्राइवेट रूट वालों ने भी अपने रूट को सुन्दर बनाया है। उन्होंने भी सुन्दर कार्य किये हैं।

हुकूमत ने भी कई कार्य किये हैं। और यातायात की बढ़ोत्तरी को देखते हुये इन २५–२७ सालों में ४–साढ़े चार हजार तक बसों की संख्या को पहुंचा दिया है। और यातायात को सम्हालने के लिये बड़े-बड़े स्टेशनों को बनाया है। सुन्दर-सुन्दर स्टेशनों को बनाया है। जिसमें जल और अन्य चीजों की अच्छी व्यवस्था है। और यह कहा जाय कि अब भी कमी है तो मैं यह मानता हूं। पर यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है ठीक नहीं है।

गर तू अक्ले लतीफ है, काले लिखना लेख।

आप अपने गिरेबान में मुंह निभा कर देख ॥

आप योगदान को देखिये और अगर सुविधायें और बढ़ा दी जायें तो भी कमियां रहेंगी। हर काम में थोड़ी बहुत कमी तो हो सकती है। हमारे सामने जो काम हैं, जो योजनायें हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे सामने समस्या हैं उसको निपटायें। जब काम में कमी दिखायी पड़ती है तो उसको पूरा करने का जजबा पैदा होता है। समस्या को पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि हम उस पर हावी हो जायं।

तो मैं दूसरी बात की तरफ जरूर आऊंगा। यह जो परिवहन विभाग के बारे में मैंने आपके सामने रखा है और जो उसने सुन्दर-सुन्दर कार्य किये हैं उसका मैंने थोड़ा-सा वर्णन किया है। मान्यवर, मंत्री जी के सामने मैं इसमें थोड़ा-सा सुधार पेश करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला सुधार यह है कि बस स्टेशन पर बस सर्विस स्टेशन जो है उनके सुधार की जरूरत है। बस स्टेशन पर जब आती है तो यात्रियों को अपने कपड़े से सीटों की सफाई करनी पड़ती है। यह ठीक बात नहीं है। सर्विस इंचार्ज को बस निकलते समय उसकी प्रापर्ली चेकिंग करनी चाहिये। दूसरा

सवाल यह है कि कई दफे देखा गया है कि बस जब सर्विस स्टेशन से बाहर आती है तो उससे सवारियों को उतरना पड़ता है। यदि सख्ती से काम किया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। मेरठ में हमने देखा कि वहां १०० बसें जाने वाली हैं परन्तु १५० बसें तक जाती हैं। तो वहां के जनरल मैनेजर व सर्विस मैनेजर का काम है कि उसको देखें और आवश्यक स्थान तथा कर्मचारियों को बढ़ावें। परिवहन विभाग में ४,५०० गाड़ियां हैं जो कि अधिक नहीं हैं। सरकार ने इस विभाग में भी परिवार नियोजन की योजना को क्यों चलाया। धरती पर इन्सान की बहुत बढ़ोत्तरी न हो जाय इसलिये परिवार नियोजन की योजना को चालू किया। लेकिन परिवहन विभाग में ऐसा क्यों किया। इस विभाग में बसों की संख्या बहुत कम है जो कि अधिक होनी चाहिये।

मान्यवर, गाड़ियों के इंजन को ६० हजार किलोमीटर चलना चाहिये। परन्तु प्राईवेट गाड़ियों के इंजन इसके डबल चलते हैं। इस विभाग में ९ प्रतिशत बोनस भी दिया जाता है जबकि कोई फर्म ऐसा नहीं दे सकती है। पे के साथ माइलेज का भी पैसा मिलता है। लेकिन ६० हजार किलोमीटर सर्विस करने के बाद ड्राइवर का विचार हो जाता है कि इंजन खराब हो जाय। इसलिये उनको इन्सेन्टिव देना चाहिये जिससे कि वे गाड़ी को सम्भाल कर चलायें और इससे गाड़ी की उम्र बढ़ सकती है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि गाड़ी में यदि ५ रु० का लगने वाला सामान भी खराब हो जाय तो बस के यात्री वहीं उतर जांय और तब बस को बस सर्विस स्टेशन तक ले जाना पड़ता है जिससे कि वह ठीक की जा सके। इसमें बहुत समय खराब होता है। मैं थोड़ा सा प्राइवेट बसेज के मुतल्लिक कहना चाहूंगा। जो नान-नोटीफाइड ऐरियाज में गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि फ्री परमिट दिये जांय, तो इसके मुतल्लिक कहना चाहूंगा कि किसी ट्रेड को खतम न किया जाय बल्कि सुविधा दी जाय। आप पहले सर्वे करा लें कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां बसों की और जरूरत है और तब उस तरफ परमिट दिये जांय। टूट फूटे रास्ते हैं, बसें चलेंगीं नुकसना होगा तो कौन परमिट लेकर चलेगा। इससे ट्रेड को भी नुकसान होता है।

मैं एक बात थ्री व्हीलर्स के मुतल्लिक कहना चाहता हूं। अक्सर यह देखने में आता है कि जो सवारियां बैठाई जाती हैं वह स्टियरिंग के पास तक बैठी होती हैं। मेरा सुझाव है कि आर० टी० ओ० को काफी सख्ती के साथ काम करना चाहिये और जैसा मेरे विरोधी दोस्त ने कहा कि उस आफिस को जितना तन्दुरुस्त और सुन्दर बनाया जायगा उतना ही अच्छा है क्योंकि वहां पर टक्स देने वाले लोग आते हैं। कम से कम उनको बठने और पानी पीने की सुविधा तो होनी चाहिये जिससे यह लोग महसूस करें कि उन्हें रफली नहीं ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह ड्राइवर्स लोग हैं उनको इसी तरह से डील किया जाय तभी ठीक होता है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये बल्कि अपने व्यवहार को सुन्दर बनाया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बदायूं)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, एक जून, १९७२ से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित हुआ और आज दो वर्ष एक महीना और १० दिन हो गये हैं, इसमें घाटा ही घाटा दिखाया जा रहा है क्योंकि यह विभाग उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इस विभाग से सम्बन्धित जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि यह निगम से सम्बन्धित है और इसलिये इस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार मचाये हुये हैं कि टायर है, इंजन है, स्पेयर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा]

पार्टस हैं, खरीद कर बेच लिये जाते हैं क्योंकि उन्हें उस बात का डर नहीं है कि वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी सिलसिले में एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल में बस कन्डेक्टरों की नियुक्ति हुई है जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने ही जिले के व्यक्तियों को भर लिया है और उन कन्डक्टरों का पता है। "११, अशोक मार्ग, लखनऊ"। माननीय मंत्री जी बतायें यह किस का पता है। उसमें न तो हरिजनों का ही कोटा रखा गया है और न ही दूसरों के साथ न्याय हुआ है क्योंकि मंत्री जी ने अपने ही जिले के लोगों को भर लिया है।

अभी हाल में गोरखपुर में ड्राइवर्स की परीक्षा हुई थी। वहां की सारी कापियां लखनऊ मंगा ली गईं और लखनऊ में माननीय मंत्री जी ने मनमानें तरीके से अपाइन्टमेंट किया और उनसे पैसे भी लिये गये। स्कूटरों का जो राजकीय कोटा है उसके आवंटन हेतु एक कमेटी बनी हुई है, लेकिन उस कमेटी को बिना किसी कारण से भंग कर दिया है जो अवैधानिक है। मंत्री जी के कार्यकाल में १० हजार प्रार्थना-पत्र राजकीय कोटे से स्कूटरों तथा कारों के लिये आये लेकिन मंत्री जी ने बिना किसी सुनवाई के उन प्रार्थना-पत्रों पर ध्यान न देकर मनमाने तरीके से स्कूटरों और कारों का अलाटमेंट किया। टैक्सी तथा एम्बेसेडर मोटर कारों का जो कोटा भारत सरकार ने दिया है और उनका जो आबंटन हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन हुये हैं वह बहुत कम हैं और बाहर के लोगों को जैसे दिल्ली है वहां के लोगों को टैक्सी और एम्बेसेडर कारों के परमिट और लाइसेन्स मिले हैं। मान्यवर, इसकी जांच कराई जानी चाहिये।

दूसरी बात अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की है। इलाहाबाद और महेवाघाट के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर १४ प्राइवेट बसें चलती हैं जिनके पास न कोई परमिट है और न लाइसेन्स। मैंने पूछा कि आप यहां क्यों चलते हैं और इससे सरकारी रोडवेज का घाटा होता है तो उन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मुख्य मंत्री के आदमी हैं और हम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर के यहां भी कुछ लेते देते हैं। जो बसें वहां चलती हैं उनके नम्बर इस प्रकार हैं: यू० पी० जेड० १४६३, यू० पी० आई० ९९०, यू० पी० जेड० ६६१३, यू० पी० जेड०, १७०१, यू०टी० बी०, ५१५०, यू० पी० आई०, २७४४, डी० एल० पी० ४८९५, यू० टी० बी० ३५११, यू० एस० जी० ४९३१, यू० एस० जी० ५६५२, यू० एस० जी० ४६२३, यू० एस० एफ० ४९५०, यू० पी० एच० ४१८, यू० एस० जी० ३९१। इस प्रकार से यह बसें चल रही हैं और वे लोग कहते हैं कि हम मंत्री के रिस्तेदार हैं। रोडवेज के अधिकारियों से लिखापढ़ी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आर० टी० ओ० ५०० रु० प्रतिमास लेते हैं। मान्यवर, सरकार कहती है कि हमको रोडवेज से फायदा हो रहा है। जो घाटे के आंकड़े हैं वह इस प्रकार हैं: ५९-६० में २१.३३ परसेंट, ६०/६ में १९.४२ परसेंट, ६१-६२ में १६.३४ परसेंट, ६२-६३ में २४.२१ परसेंट, ६७/६८ में ७.५५ परसेंट, ७१-७२ में १०.८६ परसेंट। इस प्रकार से इस विभाग में घाटा हो रहा है। रोडवेज कर्मचारी यह करते हैं कि बस को लेट छोड़ते हैं। जो यात्री होते हैं वह प्राइवेट बसों से या टैक्सियों से चले जाते हैं। दूसरा तरीका यह होता है कि रोडवेज के कर्मचारी प्राइवेट बस वालों से दस पांच रुपया ले लेते हैं। प्राइवेट गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है और वह सवारी भर कर ल जाती हैं। रोडवेज के कर्मचारी समझते हैं कि हमें तो वेतन मिलता ही है निगम को घाटा होता हो तो हो।

मान्यवर, बांदा जिले में ६६ बसें थीं जिनमें से २८ बसें चल रही हैं। अमरौल गांव में दो महीने से कोई बस नहीं चलती। वहां इसलिये गाड़ी नहीं ले जाते क्योंकि वहां की जनता ड्राइवर और कंडक्टर को शराब नहीं पिलाती। कर्बी मानिकपुर में १४/१५ प्राइवेट बसें चलती थीं। अब वहां रोडवेज की एक दो बसें चल रही हैं। मैंने मंत्री जी को ३/४ महीने से लिखा भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो प्राइवेट बस चलती हैं तो एस० पी० इतना मारते हैं कि किसी का हाथ और किसी का पैर तोड़ देते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि बांदा जनपद में बसों की व्यवस्था की जाय। सरकार रोजाना टेक्स लगाती जाती है। ६०-६१ में ३३२ लाख था जो ६७-६८

में ५२४ लाख हो गया। सन् ६२ में यात्री कर लगा था जो ६७/६८ में ३९८ लाख हो गया। गुड्स टेक्स ६४-६५ में ५२ लाख था जो ६८-६९ में पथकर २०६ लाख हो गया। जितना रेवेन्यू ६०–६१ में परिवहन विभाग से आता था, वह था ६.४ और ६७–६८ में यह बढ़कर १२.५ हो गया। इस प्रकार प्राइवेट बस और ट्रक वाले लोग अब सोचने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं और चला जाय।

मान्यवर, इस विभाग में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। महोबा डिपो में वहां पर ए० आर० एम०, श्री आर० पी० श्रीवास्तव हैं। इनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। शिव नन्दन सिंह सिंघानिया एक कण्डक्टर ७२ में जा रहा था। इन्होंने चेकिंग की और उसको उस वक्त पकड़ लिया जब कि वह टिकट बना रहा था। उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। उसने जवाब भी दिया। वहां पर जब हड़ताल हुई तो उसको फिर रख लिया गया। ७२ में फिर सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। जो कन्डक्टर्स पैसा देते हैं उनको श्रीवास्तव महोदय सस्पेंड नहीं करते। मैं ऐसे कई कण्डक्टर्स के नाम दे रहा हूं जिनको बिला टिकट पैसेन्जर ले जाते हुये पकड़ा गया, लेकिन उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया :

कण्डेक्टर का नाम	बिला टिकट सवारियों की संख्या
जे०एन० राजपूत	.. साढ़े तेरह
अब्दुल वाहिद इनके पिता प्राइवेट बस ओनर हैं और श्रीवास्तव साहब को पसा देते हैं।)	साढ़े दस
चुन्नी सिंह	.. साढ़े छत्तीस
रशीद अहमद	.. ६५
ललित कुमार बाजपेयी	.. साढ़–१३

इन लोगों को श्री आर० पी० श्रीवास्तव महोदय ने सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि ये लोग इनको पैसा देते हैं। लेकिन श्री सिंघानिया, कन्डक्टर को नहीं लिया गया क्योंकि वह इनको पैसा नहीं देता।

मान्यवर, आज रोडवेज की हालत खराब है। स्टेशन पर बैठने की जगह नहीं, शौचालय नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। बांदा में तो पीने के लिये पानी नहीं मिलता स्टेशन पर और यात्रियों को महान यातनायें उठानी पड़ती हैं। मान्यवर, एक मेरा सुझाव है कि कर्बी में एक डिपो खोल दिया जाय। राजापुर–कर्बी और कर्बी–मानिकपुर, यहां १४-१५ प्राइवेट बसे चलती थीं। अब केवल १-२ रोडवेज की बस चलती है। अतः निवेदन है कि कर्बी को डिपो बनाया जाय। मान्यवर, बसें प्रायः लेट चलती हैं। १९५४–५५ में ठीक समय का प्रतिशत था ९७.७६ जो घटकर ७०–७१ में ८९–७२ पर आ गया। समय दिया जाता है ६ बजे का। फिर कहते हैं कि ७ बजे चलेगी और बाद में पता चला गया कि गाड़ी कैंसिल हो गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं इस विभाग को तीन कैटेगरी में रखकर कहूंगा। पहला है उत्तर प्रदेश रोड परिवहन निगम। दूसरा रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस एवं तीसरा परिवहन विभाग के "प्रवर्तन दल"। मान्यवर, यह निगम जब बनाया गया था तो ३० करोड़ रुपये की लागत रखी गयी थी। अप्रैल, मई १९७२ में जब निगम नहीं था, तो आमदनी हुई थी ६५,२७,५४९ रुपये की वर्ष १९७२ के अन्तिम दस माह में निगम को नुकसान हुआ, १,१०,८५,१६७ रुपये का आज माननीय परिवहन मंत्रीजी ने कहा कि इसमें फायदा १९ लाख का

[श्री राजेन्द्र सिंह]

हुआ। मान्यवर, अगर एलोवोरेट करके देखा जाय धो ४,७४५ गाड़ियां इनकी चलीं जिन्होंने २४,७६,७९,६०३–किलोमीटर माइलेज कवर किया। इस तरह से ३६५ दिन में गाड़ियों से और औसतन फायदा हुआ ४०२ रु० यानी की गाड़ी एक रुपया प्रति दिन लाभ हुआ जिस पर बहुत सब्ज बाग माननीय मंत्री ने दिखाया।

निगम के बन जाने से डे टु डे वर्किंग में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस नियम में थोड़ा परिवर्तन किया जाय।

वर्किंग कंडीशन के बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। एक तो यह कि किराया राउंड फीगर में कर दिया जाय। जैसे ९१ पैसे हैं तो ४ पैसे वापस नहीं होते। देहात का आदमी कहता है कि बुकिंग क्लर्क ने ले लिये। हो सकता है कि उसके पास चेंज न हो। इस कठिनाई को दूर करने के लिये राउंड फीगर में किराया होना चाहिये। दूसरे बस की छतों पर जो आये दिन चोरियां होती हैं उनका प्रबन्ध किया जाय। चाहे टोकन व्यवस्था रखें। इसके अलावा गाड़ियों को समय से चलाने की व्यवस्था की जाय। एक सुझाव मेरा यह भी है कि निगम का चेयरमैन नान आफिशियल हो। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि वर्किंग कंडीशन अच्छी रखने के लिये जरुरी है कि कंडक्टर तथा ड्राइवर को कुछ प्रलोभन दिया जाय। इस सुझाव से मैं सहमत हूं। वेतन के अलावा उनको कुछ परसेंटेज शाम को ही टेबिल पर ऊपर से दिया जाय तो ब्रेकडाउन नहीं होगा और गाड़ियां चलती रहेंगे और छोटी मोटी टूट फूट के कारण जो ड्राइवर तथा बस कंडक्टर गाड़ियों को छोड़ देते हैं नहीं छोड़ेंगे और वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जायगी। वर्कशाप में जा कर जब शाम को ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है तो वहां बठेगा और गाड़ी ठीक करायेगा ताकि दूसरे दिन गाड़ी ले जा सके और उनको भी फायदा पहुंच सके।

प्राइवेट आपरेटर्स की बात कही गयी। उनसे रोडवेज बसेज को नुकसान होता है। ए० जी० एस० तथा जी० एम० को अख्तियार है कि उनका चालान करें। स्पेयर पार्टस के बारे में कहा गया बहुत धांधली है, चोरी होती है, अलत पार्ट्स लगा दिये जाते हैं। इसके लिये एक स्पेशल रजिस्टर प्रत्येक गाड़ी का हो जिसमें लिखा हो कौन सा स्पेयर पार्ट लगा और उसका क्या ड्यूरेशन है। अगर आप और एफिशियेंसी निगम में लाना चाहते हैं तो दो गाड़ियां निगम अपनी चलाये और एक प्राइवेट आपरेटर की चलने दे। इससे वर्किंग एफिशियेंसी बढ़ेगी। वक्त से गाड़ियां चलेंगी और जनता को सुविधा पहुंचेगी।

सन् ७४–७५ में २०० किलोमीटर नये मार्ग लेने का प्रस्ताव है। इससे गाड़ियों में वृद्धि होगी। मेरा सुझाव है कि नये रूट्स न ले कर पुराने रूट्स ही रखे जायं और सर्विस ज्यादा एफिशियेंट दी जाय। आर० टी० ओज० के ट्रान्सफर के बारे में नकदनारायण चला है। टी० सी० महोदय ने अप्रैल, ७४ को प्रस्ताव मिनिस्टर के पास भेज दिये जो काफी दिन तक उनके पास पड़े रहे और ६, ७ जुलाई को फाइनलाइज हुए। इतन समय के बाद भी टी० सी० महोदय के प्रोपोजल्स टर्न डाउन हुए। अगर टी० सी० के प्रोपोजल्स एसेप्ट हो जाते तो भी कोई एतराज की बात न होती क्योंकि उनके प्रोपोजल्स सर्टेन प्रिन्सिपल पर बेस करते हैं यानी जो आर० टी० ओ० का स्टे तीन वर्ष से अधिक हो गया है उन्हीं के ट्रान्सफर का प्रस्ताव था।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

राजेन्द्र सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि टी० सी० महोदय ने अप्रैल में आये हुये प्रपोजल को जुलाई में टर्न डाउन कर दिया। एक बड़ी लिस्ट बनाकर भेज दी गई। मैं

माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको देखें। उस ड्यूरेशन में कितने ही आर०टी० ओज० यहां पर आये और कितने पैसा का लेन देन हुआ। मैं इसकी चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता कि श्री मालती देवी का इसमें स्पष्ट हाथ था।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि एक आर० टी० ओ० बांदा में थे जिनको कि वहां पर केवल ६ महीने ही हुये थे उनका ट्रांसफर अलीगढ़ कर दिया गया। एक चतुर्वेदी साहब थे जिनको कि पौड़ी में एक महीना हुआ था, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई नार्म नहीं है। एक श्री डी० एस० लाल गोरखपुर में थे, दो साल हुये थे उन्हें वहां पर, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। एक एस० डी० मिश्रा थे जो कि ए० आर० टी० ओ० थे उनको आर० टी० ओ० (रूट्स) बना दिया। एक बी० एस० खन्ना मुरादाबाद रीजन के रहने वाले हैं उनको वहां पर नहीं होना चाहिये। एक मिस्टर जे० बी० चन्द्रा हैं जो कि माननीय मंत्री जी के क्लास-फेलो भी रह चुके हैं उनको जल्दी ही लखनऊ बुला लिया गया। जब कि इनके बारे में बड़े करप्शन के केसेज हैं, चार्जेज हैं और इनके विरुद्ध विजिलेन्स की इन्क्वायरी भी हुई थी। माननीय मंत्री जी ने उसे टर्न डाउन कर दिया श्री गंगा देव चतुर्वेदी ए० आर० टी० ओ० थे उनको आर० टी० ओ० के रूप में प्रमोट कर दिया। इनके खिलाफ भी विजीलेन्स की इन्क्वायरी चल रही है। इसी प्रकार उसे भी टर्न टाउन करके उन्हें प्रमोट कर दिया। एक लल्लन सिंह हैं जो कि वाराणसी में ५ सालों से हैं और गवर्नर शासन के दौरान उनको एडवाइजर ने भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत विभाग से की उनका ट्रांसफर नहीं किया गया.....

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं समाप्त कर दूंगा। मेरा कुछ समय कोरम ने ले लिया। एक श्री बी० पी० सिंह हैं जो कि आर० टी० ओ० हैं और उनके विरुद्ध कई कम्प्लेन्टस थीं। उनका ट्रांसफर कर दिया गया परन्तु पुनः उन्हें मेरठ ही भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक श्री सेठ हुकुम चन्द्र गुप्त का रोडवेज के प्रधान कार्यालय में एक ५०-६० हजार का बिल पड़ा हुआ था, मंत्री जी के दबाव के बावजूद भी सत्यनारायण डिप्टी जनरल मैनेजर (एकाउन्टस) ने पास नहीं किया और सौंपा और स्तीफा दे दिया उसके बाद में श्री डी० एन० श्रीवास्तव चीफ एकाउन्टस आफिसर से उसे पास करवा लिया। जो कि नहीं दिया जाना चाहिये था।

श्री राज मंगल पांडेय---

कौन सी तारीख की बात है? मैं इन्हें नहीं जानता।

श्री राजेन्द्र सिंह---

तारीख तो मैं इस समय नहीं बता सकता। लेकिन यह मेरी इत्तला है, वह मैं आपको बता रहा हूं। वे आपके पास आते-जाते रहते हैं। रोडवेज के एक रामानुज जी हैं उनको एप्वाइन्ट किया गया है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजपाल (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिवहन बजट की डिबेट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, रेलवे स्ट्राइक हुई थी और वह एक चैलेंज था, वह एक इम्तहान था रोडवेज के इस विभाग के लिये, जिसमें यह निर्णय होना था कि इसकी एफीशियेंसी कसी है। मान्यवर, हमें जानकर खुशी है कि उसमें विभाग ने अपने सुप्रबन्ध को साबित कर दिया। उस समय मुसाफिरों को कोई दिक्कत नहीं हुई, आवागमन सुचारु रूप से चलता रहा, जिससे सिद्ध हो गया कि विभाग सक्षम है और मंत्री जी का कार्य बहुत सुन्दर है। आज हमारे मंत्री जी को ८ महीने लगभग हुये हैं, लेकिन यह एक सराहनीय बात है कि इस दरम्यान में कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं हुई। इससे जाहिर है कि कार्यकर्ताओं को वेजेज वगैरह बहुत ठीक दिये गये हैं। इस समय में बिजली की, अल्यूनियम की, टायर-ट्यूब्स वगैरह की बहुत कमी रही, डीजेल तेज हुआ, लेकिन ऐसे वक्त भी यह प्रशंसनीय है कि कोई किराया नहीं यहां बढ़ाया गया है। सन् १९५१ में १०० बसें थीं और आज ४७२२ के करीब हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि बसों की तादाद और ज्यादा होनी चाहिये, जिससे कि पैसेन्जर्स को अधिक से अधिक सुविधा हो। जैसे हमारा मेरठ, मेरठ रोडवेज स्टेशन बहुत विजी स्टेशन है, यहां काफी भीड़ होती है, इसलिये वहां पर्याप्त बसें बढ़ाई जायें, जिसे करीब-करीब एक आदमी को १० मिनट में टिकट मिल जाया करे।

मान्यवर, आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा मोदीनगर रोडवेज बस स्टेशन की तरफ। यह स्टेशन बीच मार्ग में आ गया है और वहां पहले से ही बहुत भीड़ रहती थी और आज भी वहां बहुत भीड़ है, खास तौर से विन्टर सीजन में, जबकि शुगर फैक्ट्री चालू होती है, तो गन्ने की गाड़ियां और ट्रकों के कारण आमदरफ्त इतना ज्यादा हो जाती है कि रोडवेज की बसों का वहां खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दूसरा उपयुक्त स्थान चुनकर वहां रोडवेज स्टैन्ड बना दिया जाय।

इसी प्रकार मुरादनगर रोडवेज स्टेशन का मामला है। हालांकि उसके बारे में मालूम हुआ कि कोई अन्य स्थान ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा निवेदन है उसे शीघ्र किया जाय। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि ये ट्रकवाले जो रात के राजा कहलाते हैं, उनके ड्राइवर्स शराब पीते हैं और शराब पीकर अन्धाधुन्ध बिना किसी की जान की परवाह किये हुये बहुत तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं, जिससे काफी एक्सीडेन्ट्स देखने में आते हैं--मनुष्यों के और भैंसा गाड़ियों वगरह के भी। खास कर डनलप की गाड़ियों में यह बड़ी भयंकर स्थिति होती है। अतः उन पर कोई न कोई कन्ट्रोल अवश्य लगना चाहिये। दिन के वक्त तो वे किराये के लिये सामान की तलाश में रहते हैं और सोते नहीं हैं, तथा रात में पी कर ट्रक चलाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एक्सीडेन्ट्स होते हैं। तो इसका तरीका यह हो सकता है कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाय या फिर कंट्रोल किया जाय। लेकिन मेरा अन्दाज यह है कि एक न एक दिन यह समस्या राष्ट्रीकरण से ही सुलझेगी। मान्यवर, जो बस स्टैण्ड पर गंदगी वगैरह रहती है इस तरफ माननीय मंत्री जी काफी ध्यान दें। सफाई आदि का इंतजाम सुचारु रूप से होना चाहिये।

हमारा जो मोदीनगर का बस स्टैण्ड है इस पर सफाई का इंतजाम बहुत ही कम है। इसमें काफी ध्यान देना चाहिये। यही मेरे प्वाइंट्स थे जिनको मैं निवेदन करना चाहता था।

*श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर यह जो परिवहन के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसी के सम्बन्धमें हमको अपनी बात कहनी है। मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है और मैं उसमें जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीति का प्रतिपादन हुआ है उसमें बहुत से अंशों से हमारा मतभेद होते भी सरकारी पक्ष का जो अनुदान है उसके बारे में मैं कुछ आंकड़ों से सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग ३० लाख किलोमीटर नेशनलाइज्ड रोड है। इसमें केवल २० लाख किलोमीटर पर हमारी बस चलती है और एक तिहाई भाग पर जो कुल नेशनलाइज्ड रूट्स हैं प्राइवेट बसेज चलती हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो सरकार अपने को समाजवाद की तरफ जाने की बात करती है वह इस तरह से एक तिहाई हिस्से में प्राइवेट बस वालों को, जनता को लूटने का या मुनाफा कमाने का अधिकार छोड़ रखी है, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार की जो नीति राष्ट्रीयकरण की है उसमें कितनी बड़ी कमजोरी है।

मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं। ४७ सौ अधिक बसें तो सरकारी हैं। यह तो १९७४ तक का आंकड़ा है। लेकिन १९७३ तक जो प्राइवेट बसें सड़कों पर चलती हैं ६ हजार १७९ हैं, ट्रक २२ हजार ८५ हैं, टैक्सीज ६ हजार ७१ हैं और कारें ३३,३२७ हैं। तो इस तरह से प्राइवेट बसेज की मानोपली अभी तक कायम ही है। इसका तोड़ना बहुत जरूरी है इसलिये कि जिससे हमारा विभाग जो आमदनी का जरिया है, वह बढ़ाया जा सके। भ्रष्टाचार की बात तो की जाती है लेकिन जो सरकारी बस स्टैंड हैं वहीं पर प्राइवेट टैक्सियां, प्राइवेट कारें खड़ी होने का स्टैंड बनता है। थोड़ी सी बसों की देरी होने पर सारे मुसाफिर उन्हीं गाड़ियों पर चले जाते हैं। इस तरह से बसों में जितने मुसाफिर मिलने चाहिये उतने मुसाफिर नहीं मिल पाते। उसके कारण और भी हैं। जो इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें भी कुछ असंतोष है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना असंतोष जाहिर करने के लिये आंदोलन किया था और उस समय परिवहन मंत्री जी ने बोनस और छुट्टी वगैरा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। इस विभाग में एवजी में काम करने वाले मजदूरों को जो दसियों साल से काम कर रहे थे नौकरियों में रेगुलेराइज नहीं किया। लेकिन पिछले साल जो नये मजदूर आये उनकी भर्ती की गई। इससे सारे मजदूरों में बड़ा असंतोष है और यह शिकायत है कि जो मजदूरों की भर्ती हुई है वह ज्यादातर देवरिया जिले और परिवहन मंत्री के क्षेत्र के ही लोग हैं। इसकी आम चर्चा है और हमारी जानकारी से भी मालूम होता है कि नये लोगों की भर्ती हुई है और जो दसियों साल से काम करने वाले मजदूर थे उनकी नहीं हुई। इसकी जांच होनी चाहिये कि जो मजदूर भर्ती हुये हैं वह कैसे मजदूर हैं, कितना उनका कार्यकाल रहा है और कितने दिन उन्होंने काम किया है। उनकी जगह पर जो वर्षों से काम करते चले आ रहे थे उनको नौकरी नहीं दी गई। जिस विभाग में मजदूरों का अधिकारियों की वजह से असंतोष रहेगा तो यह मानी हुई बात है कि वह विभाग ठीक से काम नहीं कर सकता है जब तक कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे।

कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की सरविसेज को भी रेगुलराइज नहीं किया गया। राष्ट्रीयकृत संस्थाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिये मजदूर वर्ग को संतुष्ट रखना होगा और उनमें यह भावना पैदा करनी होगी कि जो इस संस्था से मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा भी अंशदान होगा। जब यह होगा तब मजदूर ज्यादा ईमानदारी और परिश्रम से काम करेंगे।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि इस बीच रोडवेज की हड़ताल नहीं हुई। आपकी समझदारी गलत है। उनमें भी असंतोष है और वह किसी भी समय फूट सकता है अगर आप अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे। आप आन्दोलनों को डंडे के बल पर दबाना चाहते हैं तो वह दब नहीं सकता है। जितना आप दबायेंगे उतना ही वह और सुलगेगा और यह आग परेशानी की बात होगी। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पर रोडवेज की बस नहीं चलती हैं और जिन सड़कों पर मुमानियत है उन पर भी प्राइवेट बसेज चलती है। चाहे चोरी से चलती या अधिकारियों से मिल कर चलती हों। गोरखपुर में महाराजगंज सड़क, फरेंदा सड़क और सुनाली सड़क पर देखा जाय

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे]

तो जो राष्ट्रीयकृत सड़कें हैं वहां पर कायदे की बसें चलायी जायें। यह आवश्यक है। इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होनी चाहिये। (लाल बत्ती होने पर) मैं मान्यवर, २ मिनट और चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो फिटनेस कमेटी बनी हुई है, उसकी कभी बैठक नहीं होती है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि पैसा देकर काम हो जाता है। इसी तरह से दूसरी बात ध्यान देने की है कि बसों पर यात्री बिना टिकट बैठ जाते हैं और उस पर ओवरलोडिंग करते हैं। इस कारण कन्डक्टर और ड्राइवर परेशान हो जाता है। बसों पर ओवर लोडिंग होती है और जब ओवर लोडिंग की जांच होती है तो बस का ड्राइवर और कन्डक्टर उसका शिकार हो जाता है। हमारा यह सुझाव है कि जो पैसेन्जर उसमें बैठते हैं उनकी भी यह जिम्मेवारी है कि वह टिकट लेकर बैठें और जो लोग बिना टिकट यात्रा करें उनके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिये। हालत यह है कि बसें स्टेशन पर ड्राइवर और कन्डक्टर रोकते नहीं हैं अपनी जान बचाकर भागते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन पर एक तरफा हमला न करें। वहां पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिये। जो बिना टिकट यात्रा करते हैं उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय--

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। दूसरी बात बुन्देलखंड के इलाके की कहना चाहता हूं। झांसी में डिपो नहीं है। मध्य प्रदेश से प्राइवेट बसें हमारे सूबे के ललितपुर तक आती हैं। चूंकि झांसी में डिपो नहीं है वहां पर रोडवेज की बसों की सर्विस नहीं हो पाती है। वहां पर उसको चालू किया जाय। अब सवाल पैदा होगा कि बसों की कमी है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्राइवेट बसों को नेशनलाइज कर देना चाहिये और उन बसों को लेकर चलावें तो इससे बसों की कमी पूरी हो जावेगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सारी सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और उन पर रोडवेज की बसों को चलाया जाये और अगर कमी है तो प्राइवेट बसों को लेकर उस कमी को पूरा किया जाये।

श्री अबुल [illegible] (मिर्जापुर)--

अध्यक्षता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमको इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य श्री असरार अहमद ने कटौती का प्रस्ताव रखा और उस कटौती के प्रस्ताव पर जो भाषण उन्होंने दिया उसको देने से पहले यह सोच लेना चाहिये था कि जो आदमी शीशे के मकान में रहता है वह दूसरे मकान में ढेला नहीं फेंकता है। उन्होंने अपने भाषण में मिनी बसेज को परमिट नहीं दिया जा रहा है। उसको देने की वकालत की। वह उत्तर प्रदेश के अन्दर मोनोपली चाहते हैं वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिनी बसें चलें। मान्यवर, उन्होंने आर०टी०ओ० की बड़ी वकालत की। आर०टी०ओ० एक ऐसा आफिसर है जिसके बारे में हमेशा इस सदन में चर्चा होती रहती है कि आर०टी०ओ० के कार्यालय में बड़ा भ्रष्टाचार है वहां पर बड़ी अनियमिततायें हैं वहां पर बड़ी रिश्वत ली जाती है। उन्होंने उसका पक्ष इसलिये किया कि आर०टी०ओ० के ऊपर एक मजिस्ट्रेट और एक इन्जीनियर नियुक्त कर दिया गया है तो इस बात की वजह से आर० टी० ओ० को जो कठिनाई पैदा हो रही है। जो गलत और सही काम उससे लिया जाता रहा है, वह सही और गलत कामों को अब नहीं कर पा रहा है। इसलिये उन्होंने आर० टी० ओ० की वकालत की वरना आर०टी०ओ० की वकालत करने वाला कोई है नहीं।

मान्यवर दूसरी बात मैं आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूं कि आप सामने हमारे मंत्री महोदय ने एक बात बतलाई, मैं मंत्री महोदय का बहुत ही इस बात का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट में ९४५ बसें इस साल और मजीद चलाने का निर्णय लिया है और ४,४०० बसें आने वाले पंचशाला में सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है और १,००० कि० २०,५०० कि० मी० से १,००० कि० मीटर और इससे बढ़ोत्तरी की जायगी। जिन रोड्स को नेशनलाइज किया जायगा इस पर भी हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने नेशनलाइजेशन के खिलाफ बात कही है। यह कोई नई बात मान्यवर, नहीं कही है। जहां कोई नेशनलाइजेशन की बात कही है पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही जाती है जहां पर पूंजीपति के लोग उस पर उत्तर आते हैं क्योंकि वह प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं और खुद भी उसी काम में लगे रहना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं बसों के सिलसिले में प्राइवेट बसें और प्राइवेट गाड़ियां चलें मैं इसके कोई मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन मान्यवर, जिस वक्त सरकार द्वारा इन गाड़ियों और बसों को चलाना बंद कर दिया जायगा तो जिस तरह से पहले प्राइवेट बसों द्वारा लोगों का, यात्रियों का शोषण होता था उसी प्रकार से पुनः शोषण होने लगेगा। हमारी सरकार जिस तरह से नेशनलाइजेशन करने जा रही है वह काबिले मुबारकबाद है। यही समाजवादी कदम है। मान्यवर, मैं इसी के साथ साथ आपके सामने कानपुर की भी कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। कानपुर के अन्दर सिटी में चलने वाली बसों की तादाद ९० है। उन ९० बसों में चलने वाली तादाद जो है वह रोड के ऊपर २०–२२ से ज्यादा कभी नहीं रहीं। कानपुर शहर १५ लाख की आबादी का सबसे बड़ा नगर और मजदूर बस्ती है वहां पर सिर्फ २०–२२ बसें रोड पर चलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी के द्वारा मालूम हुआ कि २५ और बसें कानपुर को गई हैं। मैं उस बात के लिये उनका आभारी हूं कि वहां पर २५ बसों की बढ़ोत्तरी का इन्तजाम किया है लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट की एक कमेटी कानपुर आई थी और उसने वहां पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के द्वारा उसने इस बात के लिये कहा था कि कानपुर नगर ४० मील की-इर्द गिर्द में फैला हुआ है इसमें कम से कम ३०० बसों के चलाये बिना इस शहर के रहने वालों को यातायात के मामले में आराम नहीं मिल सकेगा लेकिन अगर हमारे माननीय मंत्री जी इतनी संख्या में बसों का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो सिटी के अन्दर जो प्राइवेट बसें यात्रा के लिये चलाना चाहते हैं, उनको अधिकार देकर वहां के लोगों की समस्या का समाधान करें। कानपुर में टैम्पो चलते हैं लेकिन उनसे वह टैक्स लिया जाता है जो कि टैक्सियों से पूरे प्रदेश में चलने पर लिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जो टैम्पो कानपुर में चलते हैं कम से कम उनकी सीमा उन्नाव तक बढ़ा दी जाय ताकि कानपुर की बढ़ती हुयी आबादी जो उन्नाव में रह रही है, और जो इन्डस्ट्रीज गंगा के इस पार डेवलप कर रही हैं, उनमें काम करने वाले मजदूरों को आने जाने की सहूलियत मिल सके।

मेरी माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि कानपुर के अन्दर जो सड़कें पी० डब्लू० डी० की हैं, उनकी व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और उनका कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही कारण यह है कि इन पर निगम की जो बसें चलती हैं वे बहुत जल्द टूट रही हैं और खराब हो रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने प्रभाव से सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा शहर की इन सड़कों का जल्दी से सुधार करायें।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अन्त में मंत्री जी को ४ सुझाव देना चाहता हूं सुझाव यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक कमेटी जरूर बनायी जाय जो कि वहां के आर० एम० या ए० आर० एम० के कार्यालयों का निरीक्षण कर सके और यह देख सके कि जो कार्यवाही पर हो रहे हैं, वे सही रूप से हो रहे हैं और उन कार्यों में तेजी ला सकें, उनके कार्यों को देखने की उनमें

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर]

मान्यता हो क्योंकि बहुत से निर्णय हमारे मंत्रि मंडल से तय हो जाने के बावजूद भी वे इतनी सुस्त रफ्तार से कार्यान्वित किये जाते हैं कि उनका जो महत्व होता है, वह ही समाप्त हो जाता है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि ये जो क्षेत्र कुछ बढ़ाये जा रहे हैं, इनको बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि वहां पर कितनी बसें हैं, उनकी क्या दशा है, उनकी हालत ठीक है या नहीं। और अगर वहां पर खराब बसें हैं तो वहां पर नयी बसें देकर तभी कोई नया क्षेत्र बढ़ाया जाय वरना क्षेत्र तो बढ़ा दिये जाते हैं लेकिन वहां की बसों की हालत अगर खराब है तो जनता को बहुत तकलीफ होती है।

एक बात और जो मुझे कहनी है वह यह है कि इस वक्त बसों के ड्राइवरों और कन्डक्टरों को अगर कोई बिना टिकट सफर करता है मुजरिम करार दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जो लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जायं, उनको भी मुजरिम करार दिया जाय और उन्हें दंडित किया जाय। तो उस दशा में अगर ये कन्डक्टर और ड्राइवर स्वयं भी कोशिश करेंगे कि बिना टिकट किसी को बिठाल भी लें, तो लोग उसे से गुरेज करेंगे और बिना टिकट यात्रा करना कम हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता जी, यह परिवहन विभाग की कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कहा गया है कि परिवहन विभाग ने मुनाफा दिखाया है या हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सेशन और दूसरे तरीके से चीजें जोड़ दी गयी हैं। जहां तक रोडवेज का सवाल है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि गाड़ियों की संख्या इधर कम हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं जानता, लेकिन आजमगढ़ की जानता हूं। सौ से ऊपर गाड़ियां चलती हैं, ६०-६५ चल रही हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अन्दर भीड़ बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या कम हुई है। नयी सड़कें लेने के बाद प्राइवेट बसों को आपने हटा दिया, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ी है उस तरह से गाड़ियों का प्रबन्ध नहीं किया। उसके कारण हर जगह चूंकि लिमिटेड सीट थीं, आज मनमाने तरीके से निगम बनने के बाद गाड़ियों में भीड़ और परेशानियां बढ़ी हैं, भले ही आपकी इनकम बढ़ जाय।

दूसरी चीज आपके पूरे बजट में कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। इसमें हेलीकाप्टर हैं, उड्डयन विभाग हैं, कितनी बसें आपकी रोडवेज की खराब हैं, कितनी टैक्सियां हैं, कितनी जीपें खराब हैं, कुछ पता नहीं चलता। टोटल मरम्मत में कितना लगायेंगे, किस तरह से आगे चलेंगे, यह अपने जवाब में बतला दें। पिछले सालों से, मैं जानता हूं कि ३०-३० गाड़ियां बिगड़ी पड़ी हैं, इंजन गायब हैं, गाड़ियों की कमी है, लेकिन यह सत्य है कि निगम बनने के बाद गाड़ियों में ज्यादा खराबी आयी है और अधिकतर रोडवेज के अन्दर, वर्कशाप के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनपा है। आप मानें चाहे न मानें, लेकिन हर भ्रष्टाचार में मन्त्री जी का हाथ है यह मैं नहीं मानता। लेकिन यह मानता हूं कि जबसे निगम बना दिया है तब से उस भ्रष्टाचार पर सरकार का अंकुश कम हुआ है, जैसा कि सरकार कहती है। एक बात जरूर है कि रोडवेज में कर्मचारी हैं जो २०-२० साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आप काम करने का अवसर नहीं देते, जगह नहीं देते। फरवरी महीने में आपने जिन नये कंडक्टरों और ड्राइवरों की नियुक्ति मन्त्री जी और उनके परिवार के लोगों की सिफारिश से हुयी उनको आपने स्थान दे दिया, लेकिन बीसियों साल से कंडक्टर और ड्राइवर बेकार पड़े हुए हैं जिन्हें कभी अवसर ही नहीं मिलता है। इस तरह से आपने पूरे विभाग के अन्दर कसया के लोगों को रखा है, चुनाव क्षेत्र का ध्यान रखकर आपने उनको स्थान दिये। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था, लेकिन बाई-चांस वह नहीं आया। मेरा तो

स्पष्ट चार्ज है मन्त्री जी, कि अगर आपके विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है तो मेरी चुनौती है कि आप पूरी लिस्ट कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की रख दीजिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अन्दर कितनों को आपने भर्ती किया और किस आधार पर और नाम पर की। अपने जवाब में कह दीजिएगा।

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर आप सुनने को तैयार हों तो एक मिनट के लिए बैठ जाइये, मैं इस समय भी तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जाइये राय साहब।

श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय सदस्यों को स्वतः जानकारी न होकर कुछ ऐसे लोगों से जिनकी हमदर्दी उन लोगों से है जिनके ट्रांसफर नवम्बर में नहीं दिसम्बर में हो गये थे, सुनकर यह सब कहा है। वे लोग जो इस परिवहन विभाग में अपनी ऐसी जड़ राजनीतिक जमा रहे थे, जो यूनियन बाजी के नाम से डीजल बेंच लेते थे, जो एक यूनियन के अन्दर दूसरी यूनियन वालों को सताते थे और चेज करके भगा देते थे और अपनी यूनियन में आने के लिए दबाव डालते थे, जबसे उनके ट्रांसफर हुए हैं तबसे वह सारी चीजें हो रही हैं।

मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कारपोरेशन से इसका ताल्लुक है। सैकड़ों लोग इम्तहान में बैठे और कसया के केवल २१ रेगुलर में आये, ९ या १० आज भी वेटिंग लिस्ट पर हैं और वह भी नियम के अन्दर। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम गये, उनकी कापियां एग्जामिन हुईं, इंटरव्यू हुआ और मार्च या अप्रैल में उनको नौकरी मिली व चुनाव फरवरी में हो चुके थे। आप समझने की कोशिश करें बजाय इसके जिन लोगों का स्थानान्तरण हुआ है और जो इधर-उधर दौड़ कर हार गये उनके कहने से कहेंगे तो यह बड़े शर्म और दुःख की बात है। मैं सारे लोगों की लिस्ट उपस्थित कर दूंगा।

श्री राम अधार—

मैं अब भी फर्म हूं अपनी बात पर कि कसया के लोगों को गलत तरीके से ड्राइवर और कंडक्टर बनाया गया। माननीय मन्त्री जी लिस्ट रख दें तो मैं मान लूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं जरूर रख दूंगा। आप कहते हैं कि यूनियन वालों के कहने पर मैं कह रहा हूं।

श्री राम अधार—

यह स्पष्ट है कि देवरिया में एक फोरमैन ने ३०–३५ हजार रुपये के सामान की चोरी की, वह दंडित हो रहा था लेकिन वह आपका रिश्तेदार था इसलिए आपने उसे मुक्त कर दिया।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

या तो आप तारीख बतायें कि उसका ट्रांसफर कब हुआ देवरिया से.....

श्री राम अधार--

मैं जब तक बैठूं नहीं मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी को उतावला नहीं होना चाहिए ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

तारीख तो बता दीजिए ।

श्री राम अधार--

सन् ७३ में हुआ है । ठीक तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं है । आप कहते हैं कि पैसे की कमी है, बसों के दाम बढ़ गये हैं इसलिए बसों की सं या बढ़ाने में दिक्कत है लेकिन आपने परिवहन विभाग से हेलीकाप्टर खरीदा । आपने उसका कहीं जिक्र नहीं किया और हमारे एक मित्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि २५ करोड़ ६४ लाख कुछ हजार रुपये में वह हेलीकाप्टर खरीदा गया है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

२५ करोड़ ?

श्री राम अधार--

टाइप्ड कापी में २५ करोड़ ही लिखा हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि २५ करोड़ की फीगर सही होगी ।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर) आप बैठिए, यह मुनासिब बात नहीं है । आप ही के दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप उनके बगल में खड़े हो गए ।

श्री राम अधार--

और उस हेलीकाप्टर का इस्तेमाल माननीय मन्त्री जी अपनी श्रीमती जी के चुनाव में करते हैं । एक प्रश्न मैंने किया था तो मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि बलिया में विद्युत कर्मचारियों की सभा का उद्घाटन करने के लिए गया था ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपा करके आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम आधार--

बहुत अच्छा । मैंने पूछा था कि उससे कितना किराया आया तो उसका उत्तर दिया कि अभी लिस्ट नहीं आयी । इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि आपके विभाग में यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज कंडक्टरों और ड्राइवरों को बड़ी परेशानी है । कभी-कभी १०-१०, २०-२० लड़के बस में चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं लेते हैं । कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो कंडक्टरों और ड्राइवरों से दो-दो, तीन-तीन रुपये लेते हैं । लेकिन इस तरीके से कहीं कंडक्टरों का ट्रांसफर करके कहीं अन्य तरह से परेशान किया जाता है । इस तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और उनकी सुविधाओं के लिए भी बजट में कुछ होना चाहिए ।

जो बसें आपकी हैं उनमें टायर इतने खराब किस्म के लगे रहते हैं कि वे थोड़ी देर चलने के बाद ही फट जाते हैं । नाइलान या अच्छे किस्म के टायर इस्तेमाल किए जाने

चाहिए। जब से यह निगम बना है तब से बसों की हालत बहुत खराब हो गयी है। ८० फीसदी बसें खराब पड़ी हैं। वर्कशाप में उनको ठीक करने के लिए सामान नहीं दिया जाता है। बसें टाइम से चलती नहीं हैं। मोटर पार्ट्स की चोरी बहुत होती है। निगम को ही आपने सारे अधिकार दे दिये हैं जिससे भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ा है।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां परिवहन का एक मात्र साधन केवल बसें ही हैं। काठगोदाम में एक रेलवे स्टेशन है। उसके आगे सड़क परिवहन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन आने-जाने के लिए नहीं हैं। मैदानी इलाकों में तो रेल रिक्शा, तांगा इत्यादि अन्य साधन भी हैं, मगर पहाड़ों पर केवल एक मात्र साधन बसें ही हैं।

आज परिवहन विभाग से सम्बन्धित चर्चा है। माननीय मन्त्री महोदय द्वारा इस विभाग में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो समाज के हित में हैं, यात्रा करने वालों के हित में हैं। कर्मचारियों के हित में हैं। प्रबन्ध को और सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इस सब के होते हुए भी मैं कुछ आवश्यक सुझाव भी देना चाहता हूं।

हमारे क्षेत्र में १०० से अधिक गाड़ियां इस विभाग की चलती हैं, मगर उनमें ३० प्रतिशत गाड़ियां वर्कशाप में ही खड़ी रहती हैं। वर्कशाप में भी स्पेयर पार्ट्स के अभाव में उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि एक प्राइवेट आपरेटर ५ वर्ष के अन्दर अपनी गाड़ी की कीमत निकाल लेता है, जबकि आपकी मोनोपोली होते हुए भी आमदनी बहुत ही कम है। जितनी आमदनी आपके इस विभाग में होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। इसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो अलग-अलग क्षेत्र हैं उनके ऊपर उसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। कोई भी मामला हो, स्पेयर पार्ट्स का हो, भर्ती का हो, आमदनी का हो, या नियन्त्रण की बात हो, या वहां पर कितनी गाड़ियां हैं और उनकी कितनी माइलेज हैं। यह सब व्यवस्था उनके द्वारा होनी चाहिए और वहां क्षेत्रीय आधार पर रखना चाहिए तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकों को एकाउन्टेबिल बनाना चाहिए कि इतना प्राफिट आपको होना चाहिए। इतना-इतना लाभ आपके क्षेत्र को लाना है। इस प्रकार के आदेश होने चाहिए। यह व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक निगम ठीक से नहीं चलेगा। क्योंकि निगम बनाने में अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं और एल० आई० सी० आदि से लोन लेना पड़ता है तो निगम को फायदा तभी होगा जब बिजनेस मैनेजमेंट के तौर पर यह विभाग चलाया जायेगा। अगर एक स्पेयर पार्ट लगना होता है और वह मिल नहीं पाता है तो बार-बार उसके लिए सेंक्शन लीजिए, एक लम्बी प्रक्रिया की जरूरत होती है। अतः नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए जिससे गाड़ी एक जगह खड़ी न रहे, क्योंकि इस तरह जो लाभ होना होता है वह हानि में बदल जाता है। मैं समझता हूं कि निगम को क्षेत्रीय आधार पर छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाय, चाहे उसके लिए अलग अलग नियम क्यों न बनाने पड़ें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह हमारे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। वहां पर रोडवेज के जो स्टेशन हैं, परिवहन विभाग का जो स्टेशन है, न तो वहां पर शौचालय है और न यात्रियों के लिए बैठने का कोई स्थान है। यह अव्यवस्था है। यहीं हल्द्वानी की भी बात है। वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

कुछ वर्ष हुए नैनीताल में यात्रियों के बैठन के लिए एक स्थान बनाया गया था, जो पैसेंजरों के काम आयेगा बनाया गया। परन्तु उसको विभाग के अधिकारियों ने अपनी छुट्टी बिताने का एक जरिया बना लिया है। गर्मियों में वह या उनके रिश्तेदार बाहर से जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वह जनता के काम में नहीं आता। वहां पर एक स्थान ड्राइवरों और कंडक्टरों के रहने के लिये बनाया गया था पर उसको रिसेप्शन सेन्टर में परिवर्तित कर दिया गया है। परिवहन विभाग के ड्राइवर और कंडक्टर रात को जाड़े में आते हैं और रात भर जाड़े में ठिठुरते हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय में वह उचित निर्देश दें। और जहां जहां पर बस स्टेशनों में शौचालय और यात्रियों के बैठने के लिए शेड्स की व्यवस्था नहीं है वहां पर उनके बनवाने की कृपा करें।

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव रखने वाले प्रस्तावक महोदय ने कुछ इस तरह की बातें कहीं हैं और कुछ उन व्यक्तियों के प्रति कहा है जो यहां सदन में आकर उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तियों का नाम लें। जो उन्होंने अपनी बात को यहां पर रखा है उसके सम्बन्ध में उन्होंने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे परिवहन विभाग को सुधारने में सुविधा मिलती।

मैं एक बात और रखता हूं कि परिवहन विभाग ने श्रेणियां जो अपर और लोवर थीं, उनको समाप्त कर एक समाजवादी कदम उठाया है। और यह बात भी सत्य है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर रोडवेज विभाग न होता तो प्राइवेट बस वाले हमसे अधिक दाम लेते और जनता का शोषण करते।

एक बात और बड़े गौरव की है कि जब रेलवे में हड़ताल हुयी तो उस अवसर पर हमार राज्य परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को सुविधाएं पहुंचायीं। यह एक सराहनीय विषय है। इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को तथा उन कर्मचारियों को और उन अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे समय में उन्होंने देशभक्ति का और अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। इन शब्दों के साथ मैं, जो प्रस्तुत मांगे हैं उनका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे समाज में भ्रष्टाचार नियम बन गया है और यह भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में बढ़ा है। यदि इन विभागों की मेरिट लिस्ट बनाई जाय तो उसमें टाप के विभाग जो आयेंगे उसमें परिवहन विभाग भी है। जैसे कुएं में भांग पड़ी हो तो कहना अनावश्यक है कि कण कण नशे में है। रोडवेज की खिड़की से लेकर लाइसेंस देने तक सर्वत्र भ्रष्टाचार दिखाई देगा। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इस पर लम्बी चर्चा हो चुकी है। मैं केवल संकेत करना चाहूंगा। टिकटों पर सरचार्ज सरकार ने लगाया और कुछ गैर सरकारी सरचार्ज टिकट बेचने वाले क्लर्क ने लगा दिया। बसों में बिना टिकट लिए हुए यात्री चल रहे हैं। नियुक्तियों में पक्षपात किया जा रहा है। निजी बसों को जो परमिट दिए जाते हैं उनका कोई विचार नहीं है। केवल भ्रष्टाचार, पक्षपात व्याप्त है। इससे मेरा सुझाव है कि निजी परमिट व्यवस्था को समाप्त किया जाय और जो बस लेकर आये उसको परमिट दे दिया जाय। संभागीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार का नमूना किसी समय कोई जाकर देख सकता है।

(इस समय २ बजकर ५७ मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुयीं।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ट्राफिक बढ़ रही है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आजकल ट्राफिक के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो जैसे अन्य प्रदेशों में हाई वे पुलिस की ट्राफिक व्यवस्था है वैसे ही इस प्रदेश में भी होनी चाहिए। जो रात और दिन सड़कों के ऊपर मोटर साइकिल से गश्त करें। इससे सुधार होगा।

मान्यवर, दूसरे जो ड्राइविंग लाइसेंस आर० टी० ओ० के आफिस से दिये जाते हैं उसमें कड़ाई होनी चाहिए। बिना जांच किए हुए ड्राइविंग लाइसेंस दे दिये जाते हैं बिना देखे हुए बसों को फिटनेस सर्टिफेट दिये जाते हैं। इस प्रकार अस्वस्थ बसें तथा कच्चे चालक उन दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी करते हैं।

इधर देखा जाता है कि छोटी मिनी बसों द्वारा बहुत दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अकेले लखनऊ और कानपुर मार्ग पर आये दिन इन दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त होते हैं। जिनमें कई-कई लोग मर जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये मिनी बसें डिफेक्टिव बनी हैं। इसकी जांच की जाय और यदि उनके ढांचे डिफेक्टिव बने हैं तो उनके परमिट कैंसिल कर दिये जाने चाहिए। जब से निगम बना है तब से राजकीय बसों की अक्षमता बढ़ी है। निगम बनने के बाद इस विभाग की हालत गिरती जा रही है। आप देखें कि १९७२–७३ में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि इस विभाग में ७५ लाख रु० की हानि हुई।

१९७३–७४ में १९ लाख रुपये का मुनाफा दिखाया जाता है। यह कहा गया कि अगर पुर्जों की कीमत न बढ़ती, डीजल के दाम न बढ़ते तो यह मुनाफा ३.७५ करोड़ हो जाता। मैं कहता हूं कि अगर कोई खर्चा नहीं होता तो यह मुनाफा ३३.३९ करोड़ हो जाता। यह कोई कहने की बात है। अगर ४,७४५ बसें जो इस निगम की चल रही हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि इन सारी बसों का परमिट निजी लोगों को दे दिया जाय तो शायद रोड टैक्स और पैसेन्जर टैक्स से ही यह १९ लाख रुपया आ सकता है। प्राइवेट बसों का किराया भी रोडवेज के किराये से कम है। हमने यात्री-कर बहुत बढ़ाया है, उसे खतम करना चाहिए। निगम की जो कार्य-विवरण पुस्तिका निकाली है उसमें जो परिशिष्ट दिया है उसमें यह लिख दिया कि १९५०–५१ से, उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सम्पूर्ण प्राप्तियों और व्ययों का शुद्ध लाभ का विवरण पत्र। यह निगम तो बना जून, १९७२ से और इसकी प्राप्तियां और शुद्ध लाभ को ५०–५१ से दिखाया गया है। कम से कम जून के पहले जो गवर्नमेंट का रोडवेज डिपार्टमेंट था उसके अन्दर दिया जाना चाहिए था उतना रुपया, और उसके बाद निगम के अन्तर्गत। जो रोड-वेज थी उसमें कम बसों के होते हुए भी लाभ अधिक हुआ है और निगम के कार्यकाल में बसों के बढ़ने के बाद भी लाभ बहुत कम हुआ और हानि अधिक हुई है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि निगम को समाप्त करके फिर से रोडवेज सरकारी विभाग की तरह से काम करना चाहिए।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि बसों की संख्या घट रही है। लगभग एक-तिहाई बस हर वर्कशाप में खड़ी हुई है, किसी में इंजन नहीं है, किसी में पुर्जा नहीं है और जब बस से सफर करते हैं तो यह देखा जाता है कि बसों की हालत ठीक नहीं होती है, फिटनेस नहीं है और अगर पहिया पंचर होता है तो उन बसों में उसको बनाने के लिए टूल्स भी नहीं होते हैं और जब कोई रिलीवर आता है तब बस चलती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अक्षमता निगम के कार्यकाल में बढ़ी है और उसको देखने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि इसको खतम कर देना चाहिए।

[डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

जो निगम के कर्मचारी हैं उनमें भी बड़ा असन्तोष है और अगर कर्मचारियों में असन्तोष होता है और असन्तोष इसलिए बढ़ता है कि निगम के अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है चाहें नियुक्ति का प्रश्न हो और चाहें उन्नति का प्रश्न हो अगर वह उदासीन हो गया तो काम ठीक से नहीं करेगा। इस प्रकार के और भी उदाहरण मौजूद हैं कि जब ड्राइवरों को जिन्होंने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होने दिया और एक लाख किलो मीटर पर भी इंजन को खुलने से बचाया है और उन बसों को चलाया है तो उनके लिए कुछ भत्ता मिला करता था, लेकिन कई वर्षों से यह भत्ता भी नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त जो परिचालक को भत्ता दिया जाता है रात के लिये वह १.५० रुपया होता है। आज की महंगाई को देखते हुये डेढ़ रुपये में कौन भोजन या जलपान उन कन्डक्टरों या ड्राइवरों को मिलेगा। और न ही उनके विश्राम की कोई व्यवस्था है। कलेक्टरगंज कानपुर में एक कमरा भी नहीं है कि वहां पर ड्राइवर और कन्डक्टर आराम कर सकें। कलेक्टरगंज स्टेशन के पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि अगर कोई मरम्मत हो छोटी-मोटी उसको बनवा सके। उसके लिये चुन्नीगंज जाना पड़ता ह। कहीं रेडिएटर लीक हो रहा है और कहीं पर स्टेयरिंग डिफेक्ट है और कहीं पर मोबिल चू रहा ह और उसी हालत में वह सफर जो ५ घंटे में तय हो जाना चाहिये वह १०–१२ घंटे में होता है इससे यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है।

इसके अतिरिक्त जो बिना परमिट की बसें चल रही हैं, जिन्होंने अपने परमिट सरेण्डर कर रखे हैं वह भी गाड़ियां चल रही हैं। बिना फिटनेस के भी गाड़ियां चल रही हैं। यह समझ में नहीं आता। इस पुस्तिका में भी लिखा है कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा ह क्योंकि हमारी सड़कों पर प्राइवेट बस वाले और टैक्सी वाले आ जाते हैं। यह रोना तो इसमें रोया गया है लेकिन इसका उपचार तो सरकार स्वयं ही कर सकती है। इसकी रोकथाम करना सरकार की जिम्मेदारी ह। खाली रोना रोने से इस विभाग का भला नहीं हो सकता। ये कुछ बातें और सुझाव हैं जो इस विभाग के विषय में मैंने प्रस्तुत किये। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक सड़क परिवहन निगम का सवाल है तो समूचे प्रदेश में सरकार ने जिन सड़कों को अपने अधिकार में लिया है उन पर भी प्राइवेट बसें चल रही हैं। ८ नवम्बर ७३, से अब तक देखा जाय तो यह देखेंगे कि माननीय परिवहन मंत्री ने अपने सत्ताधारी लोगों को और 'चहेते' लोगों को बसों के, फिएट कार के और स्कूटर के परिमिट्स दिये हैं। ८ नवम्बर, ७३ से अब तक जितने परमिट्स जिन लोगों को दिये गये हैं अगर उनकी सूची देखी जाय तो इस सदन में सारी कलई खुल जायगी। इसी सन्दर्भ में जहां तक नियुक्तियां का सवाल ह तो ऐसे कंडक्टरों की नियुक्ति हुई है जो माननीय परिवहन मंत्री के परिवार के लोगों के माध्यम से उनके पते से नियुक्ति पत्र लेकर गये और निगम में उनकी नियुक्ति हो गयी। हमारे बहुत से साथियों ने इन सवालों को उठाया ह। हमको सबसे बड़ा ऐतराज इस बात का है कि माननीय मंत्री जी के यहां से जो नियुक्ति होती है वह स्थायी होती है। उस विभाग में जो कर्मचारी सेवारत हैं उनमें से ५० प्रतिशत अस्थायी तौर पर हैं। लेकिन जो नियुक्ति परिवहन मंत्री जी के निवास से उनकी श्रीमती जी के द्वारा होती है वह स्थायी होती है इसलिए कि उसमें स्वार्थ की भावना झलकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो एक सवाल आपके सामने और पेश करना चाहूंगा। स्पेयर पार्ट्स के भंडार की जांच से लाखों रुपये की खरीद का मामला प्रकट हो गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ३५ हजार रुपये का टायर ट्यूब देवरिया जिले में बेंच दिया गया और वही अधिकारी पुनः लखनऊ में आकर १० हजार रुपये का सामान चोरी से बेच गया कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीमन्, राष्ट्रपति शासन में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी। उस कमेटी ने १२ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और कहा कि इन लोगों की सेवाएं विभाग के लिए उचित नहीं हैं। जैसे स्याल, बिलसन और अनिरुद्ध पाण्डे आदि। लेकिन जब से श्रम मंत्री जी के हाथ में यह विभाग आया, स्याल और बिलसन को पुनः इन्होंने नियुक्त कर लिया। इसी तरह से एक बी० सी० पाण्डे हैं जिनके ऊपर कर्मचारियों की जमानत का पैसा हड़प लेने का आरोप था, श्रम मंत्री जी के हाथ इस विभाग के आने पर बजाय इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के, उसकी पदोन्नति कर दी गयी। महोदया, प्रति वर्ष इस सदन में आश्वासन दे दिया जाता है कि जो ३ वर्ष तक सेवारत कर्मचारी हैं, उनको स्थायी कर देंगे लेकिन आज भी वह केवल आश्वासन और कागज पर काम चलाया जा रहा है। ऐसे ७५ प्रतिशत कर्मचारी पड़े हैं जो टेम्परेरी हैं। महोदया, देवरिया और गोरखपुर डिपो में जो मिनी बस और कारों के परमिट दी गयी हैं और जो प्रायवेट बसें वहां चल रही हैं, उन सभी से धन अर्जित करने का काम किया गया है। उसी पर रोडवेज की बस चलती है और उसी पर ये प्रायवेट बसें और कारें चल रही हैं और कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

गोरखपुर डिपो में एक बंश बहादुर तिवारी हैं, जो वहां १८ वर्षों से पड़े हैं, कोई काम धाम नहीं, लेकिन महीने में वेतन मिल जाता है। इसलिये कि वह माननीय श्रम मंत्री के कृपापात्र हैं। बसों की हालत आज यह है कि १००–१०० आदमी भरकर चलते हैं। बैठने की जगह नहीं। यात्रियों को कोई सुविधा नहीं। स्टेशनों पर रोशनी, पाखाने और पीने के पानी की सुविधा नहीं। केवल मंत्री जी के कागज पर रोशनी और पाखाना है। ४० प्रतिशत बसें ऐसी हैं जो रोडवेज की वर्कशाप में खड़ी हैं, किसी का पांव टूटा है तो किसी का कुछ। उसका कारण यह है कि बसों के लिये जो सामान खरीदा जाता है, वह घटिया किस्म का होता है और उसका कमीशन निगम के अधिकारियों और मंत्री जी को भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिये इस तरह के घटिया पार्ट्स खरीदे जाते हैं। गोरखपुर रीजन है। वहां पर एक श्री रामजीत तिवारी हैं जो वर्कशाप में परचेज सेक्शन के इंचार्ज हैं और साथ ही अशोक आटो मोबाइल कम्पनी, शिवान छपरा गढ़वा शाखा के मैनेजर भी हैं। एक आदमी दो पदों से पैसा लेता है। हरिजनों को इस सम्पूर्ण विभाग में मुश्किल से ४ प्रतिशत जगह मिली हो। आज तक यह जो हरिजनों के बल पर चलने वाली सरकार है उसके इस परिवहन निगम में केवल ४ प्रतिशत हरिजनों को स्थान मिला है।

इसके अलावा, महोदया जी, मैं तीन-चार और सुझाव देना चाहता हूं। परिवहन मंत्री जी, इस निगम में जो भ्रष्ट काम है, इसको कैसे रोकें; सरकार स्वच्छ प्रशासन कैसे दे सकती है? इसके लिये मेरे दो तीन सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं : राज्य सड़क परिवहन निगम एक स्वायत्त संस्था है उसमें गैर सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो। संचालक मंडल में एक तिहाई मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो। भर्ती के लिये एक बोर्ड बने और प्रान्तीय स्तर पर रेलवे की भांति भर्ती की जाय। कर्मचारियों के मामलों को देखने के लिये एक ट्रायबुनल बने जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज हो। सामूहिक बीमा स्कीम लागू की जाय। जो परमिट की कमेटी थी उसे पुनः बनाया जाय ताकि सब को परमिट मिल सकें। कमेटी में जन प्रतिनिधि भी रहें। बसों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये जो दूर तक जाने वाली बसें हों। विभाग में सीधी भर्ती केवल परिचालकों की ही होनी चाहिये। बाकी पदों पर विभागीय पदोन्नति के

[श्री हरिकेवल]

आधार पर की जाय जिससे विभाग की कार्य कुशलता बढ़ेगी। चालक परिचालक विभाग के रीढ़ हैं। उनका वेतन बहुत कम ह। वह कम से कम ३०० रुपया होना चाहिये। अन्य भत्ते महंगाई की दर से बढ़ाये जायं। विभाग में एक विजिलेंस सेल हो इसके भ्रष्टाचार को देखे। हाटा–सिसवा बाजार–गोरखपुर सड़क का राष्ट्रीयकरण कर उस पर राजकीय बसें चलाई जायं।

माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि एक ए० टी० आई० ने पर्चा छाप कर माननीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं और उनको चुनौती दी है कि उन अभियोगों की वह जांच कराने को तैयार हैं और क्या उसकी चुनौती को वह स्वीकार करने तथा जांच कराने हेतु एक जांच समिति बैठाने को तैयार हैं ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)––

अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो उपलब्धियां इस विभाग ने अब तक प्राप्त की हैं वे इस प्रकार ह ३१ मार्च, ५१ को जहां मार्गों की संख्या २४२ थी वह ३१ मार्च, ७४ को १२०८ हो गयी। बसों की संख्या ३१ मार्च, ५१ को १,३६० थी वह बढ़ कर ३१ मार्च, ७४ को लगभग हजार हो गयी। इसी तरह से मार्गों की लम्बाई ३१ मार्च, ५१ को १५,७८७ किलोमीटर थी वह मार्च, ७४ में बढ़ कर १,४५,४९२ किलोमीटर हो गयी। रोडवेज का अब निगम सन् ७२ से बन गया है और उसके द्वारा जनता की काफी सेवा हुई है। छोटे-छोटे कस्बों तथा गांवों तक राजकीय परिवहन निगम की बसें चल रही हैं जिनसे जनता को काफी सुविधा पहुंचाई गयी है।

कुछ साथियों ने उधर से काफी आरोप मंत्री महोदय तथा विभाग पर लगाये। विरोधी पक्ष के लोग बहुत अधिक भ्रष्टाचार की बातें आज कल करते हैं लेकिन मैंने अपने जिले गोंडा में देखा कि विरोधी पक्ष के ही लोग यहां तक कि उनके एम० एल० एज० ने थाने में जाकर दलाली की है। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिये. .

एक सदस्य––

आप भी शायद कमीशन एजेंट मालूम होते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

आप भी कमीशन एजेन्ट मालूम पड़ते हैं।

श्री दीप नारायण पांडेय––

मैं तो साबित कर सकता हूं कि विरोध पक्ष के कितने एम० एल० एज०, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने थाने में बैठ कर ब्लैक मार्केटियरों की जमानत करवायी है, घूसखोरी करवायी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

वे तो सत्ता पार्टी के लोग ही हो सकते हैं।

श्री दीप नारायण पांडेय––

मेरे मित्र बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कर रहे थे लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले अपने जीवन को देख लें कि आपका जीवन कितना पवित्र और स्वच्छ है। भ्रष्टाचार की बात कहना तो बड़ा आसान है। अधिष्ठाता महोदया, मैं सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक राजकीय परिवहन सेवायें काफी नहीं हुई क्योंकि पेट्रोल आदि की कमी के कारण जनता को काफी परेशानी हुई। यह परेशानी हमारे प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हैं। अनेक प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। जब विरोध पक्ष के लोग सत्ता में थे तब उन्होंने कितनी ईमानदारी की थी यह तथ्य में हमारे सामने है। सारी जनता जानती है कि हम लोग आज ऐसे समय में चुनाव जीत कर आये हैं जब कि यह मालूम पड़ता था कि अब कांग्रेस का नामोनिशान मिट गया है। लेकिन यह तथ्य भी सामने है। जनता जानती है कि कौन कितना गुनहगार है। भ्रष्टाचार की बात जो आज उस तरफ से कही जाती है उसके सम्बन्ध में मैं साफ कर दूं कि आप इन्क्वायरी करा लें और उसके बाद उसे सजा दीजिये । भ्रष्टाचार कह देने से वह समाप्त नहीं हो जायेगा।

महोदया, अब मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले की परिवहन व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां से एक रोड गोंडा सोन्नुला जाती है जिसमें कि प्राइवेट बसें और लारियां दौड़ती हैं। इनकी संख्या 14 है। इस रोड पर सवारियां बहुत ज्यादा हैं। प्राइवेट बस ओनर्स यात्रियों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाय, वहां पर सरकारी बसें चलाई जायं और जो 14 प्राइवेट बसें वहां पर चल रही हैं उनको समाप्त किया जाय।

हमारी सरकार की ओर से दिखाया गया कि बसों से हमको काफी लाभ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लाभ तो अवश्य हो रहा है किन्तु उसमें आज स्थिति यह है कि किसी भी बस स्टेशन पर आप जाकर देखिये कि किस तरह से यहां पर यात्री खड़े रहते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। ऐसी हालत में हमको उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने गोंडा में बस-स्टेशन पर देखा कि बसों को रोक लिया जाता है, कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को परेशान किया जाता है। खुद हम लोग जब आते हैं यह देखते हैं। इसकी रोकथाम के लिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे सख्ती करें ताकि जनता परेशान न हो। जो लाभ आज इन बसों से हो रहा है वह मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है। अतः अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा वैसे तो मैं मंत्री जी की तारीफ ही करता हूं क्योंकि इस मामले में वे सख्त दिखाई ही पड़ते हैं जब भी उनके सामने कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उसे वे सख्ती से डील करते हैं। मैं कह देना चाहूंगा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स में जो छोटे-छोटे भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि वे बिना टिकट के यात्रियों को बिठा लेते हैं और कभी-कभी पूरी बस बिना टिकट ही के चलती हैं, इनको मंत्री जी अगर रोकें तो मैं समझता हूं और मेरा अनुमान है कि कम से कम 10 हजार रुपया रोजाना की वृद्धि आप अपनी आय में कर सकते हैं और इस तरह से तीन-चार लाख रुपये महीने का रोडवेज विभाग को फायदा हो सकता है और हमारी आय बढ़ सकती है। इससे हमारा लाभ भी बढ़ सकता है और प्रदेश का रोडवेज विभाग उन्नति कर सकता है।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा जो मैंने, सामान्य बजट की चर्चा के समय भी कहा था कि छोटे-छोटे विजीलेंस-सेल स्थापित किये जायें, तो आपको काफी कामयाबी मिलेगी, अपने प्रदेश की आय बढ़ाने के लिये और गुनाहगारों को सजा देने के लिये जो इस तरह का भ्रष्ट काम कर रहे हैं। महोदया, एक चीज की ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि इस समय टायरों की कमी है, जिससे वे ब्लैक में बढ़े हुए दामों पर मिल रहे हैं और उससे ट्रक आनर्स वगैरह को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि सन् 1947 के बाद से बहुगुणा जी के कायकाल में जितने अधिक ब्लैकमार्केटियर्स और होर्डर्ड को बन्दी बनाया गया है, उतना शायद इस प्रदेश के इतिहास में

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

कभी नहीं हुआ है। यह तथ्य हमारे सबके सामने है। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि जो टायरों के ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मोटर पार्टर्स की कर रहे हैं, विभाग में तेल और मोटर पार्ट्स को चुराने का काम कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ यदि शिकायत आती है, तो सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये, चाहे वह छोटा या बड़ा कोई अधिकारी हो। उसके साथ कोई रियायत नहीं होना चाहिये। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, रोडवेज विभाग का स्तर ऊपर उठेगा और प्रदेश उन्नति करेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन पर बोलने का अवसर दिया। मैं वैसे तो मंत्री जी से पहले ही निवेदन कर दूं कि जो आपकी तरफ से, शासन के जरिये हम लोगों के लिये सरकुलर जारी होते हैं, यह इतने थोथे और गलत साबित हुए हैं जिसका कुछ कहना नहीं। जैसा परिवहन मंत्री को भी ज्ञात है और आपको लिखकर भी दिया है, बसों में जो व्यवस्था है विधायकों के लिये दो सीटें रिजर्व रखने की, उसमें बहुत से विधायक अपमानित भी हो गये हैं। मैं अपने विषय में कह रहा हूं। यह सुविधा बस परिचालक से मिल सकती है, लेकिन जिन बसों में यह नहीं लिखा होता है, उस बसों में बहुत दिक्कतें होती हैं, अपने को विधायक बता देने पर भी किसी हालत में जगह नहीं मिल पाती है। कहने पर जवाब मिलता है कि इस पर लिखा नहीं है, मंत्री जी खुद आकर कर दें, मेरी ड्यूटी ऐसी नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी सोमवार को जब हम श्री शारदा प्रसाद रावत विधायक के साथ गोरखपुर से चले, तो वहां गोरखपुर शहर के जो रोडवेज इंचार्ज हैं, उनकी जानकारी में यह बात लायी गयी थी कि हम लोग भी विधायक हैं और विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने लखनऊ जा रहे हैं फिर भी कोई गौर नहीं किया गया। कंडक्टर विनोद कुमार और चालक गुप्ता के बताने पर भी हम दोनों को जगह नहीं दिया और हम लोग गोरखपुर से फैजाबाद तक खड़े-खड़े आये और फिर फैजाबाद में वहां के अधिकारी से हमने शिकायत किया कि ऐसी दुरावस्था है, वहां पर लिखकर भी कम्पलेंट बुक में शिकायत किया, किन्तु कोई असर नहीं हुआ। हम लोग जनता से तो कह नहीं सकते हैं, हम लोगों के कहने का माध्यम परिचालकों से संकेत कर देना रहता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कर्मचारियों को आगाह कर दें कि विधायकों को इस तरह से अपमानित न किया जाया करे।

मैं अपने यहां बसों की दुर्व्यवस्था के बारे में कुछ बताऊंगा। रविवार दिनांक ७-७-७४ वर्डघाट वाली बस, जो झंगहा तक जाती है। उस दिन मैं लास्ट बस से आना चाहता था, लेकिन वह बस उस दिन गयी ही नहीं।

जिसके नाते मैं छूट गया और सोमवार को मैं करीब छः बजे शाम को यहां पहुंचा। किस अधिकारी ने इस बस को रोका, क्यों रोका जिससे विधान सभा में कार्यवाही में भाग नहीं ले सका, उस अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होना जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि आपने मिनी बसों को आज्ञा दे दी है प्राइवेट पार्टीज को ले जाने की। लेकिन उसमें काफी अनियमितता करके शासन के जैसे शुद्ध इंस्ट्रक्शन्स हैं वैसा नहीं करते हैं।

इसके अलावा गोरखपुर में बस परिचालकों की परीक्षा कई बार होते-होते रुक गयी। मुझे ऐसा पता चला है, हरिजनों के लिये 18 प्रतिशत की पूर्ति न होने की वजह से 50 प्रतिशत जो रखा गया है, उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। वहां के अधिकारीगण मनमानी करने जा रहे हैं। वहां के लोगों ने आपका नाम भी बदनाम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि मंत्री जी की अलग से सूची आती है।

श्री राजमंगल पान्डेय—

मैं आपको यकीन दिला दूं, 50 परसेंट हरिजन निश्चित रूप से लिये जायेंगे। यह असंभव है कि न लिये जायं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

उसमें यह कहा जा रहा है कि माननीय परिवहन मंत्री की अलग से सूची चली आ रही है। ऐसे लोग हैं जो कि आपकी तरफ से उसी क्षेत्र के हैं। (व्यवधान) मुझे भी सूचना मिली है वहां के लोगों ने बताया है। जो वहां के वर्कशाप में क्रय बिक्रय होता है उसकी भी जांच करवा लें। उसमें बड़ा घोटाला है। पुराने सामानों को इधर-उधर करके फिर वही पुराने सामान गाड़ियों में लगा दिये जाते हैं फिर तुरन्त बेकार हो जाते हैं।

इसके साथ-साथ जो आपके कंडक्टर हैं इनका कहना निश्चित रूप से नाम भी जानता हूं कहते हैं कि जो वहां की चैकिंग करने वाली पार्टी है उनसे कहती है कि पांच रुपये दस रुपये दो जिस पर अपनी बुकिंग करते हैं, जो आफिस से बुकिंग की हुई लिस्ट मिलती है। जो ईमानदार भी हैं उनको भी बेइमान बनाकर पैसा लेते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उनकी रास्ते में खड़े होकर चैकिंग करते हैं, उसमें बगैर टिकट के न होते हुए भी दो एक डब्लू टी बना देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा उड़ाकू दल बना दें ताकि वह सरप्राइज विजिट करता रहे। इसके अलावा कोई आई० ए० एस० आफिसर भी आप रख दें। मेरा सुझाव यह है। जब वहीं के लोग रहेंगे तो काफी घोटाला होने की सम्भावना रहेगी। ऐसी मेरी धारणा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोरखपुर जिले में श्री वातल साहब जो डी० सी० हैं, एस० डी० एम० व ए० डी० एम० के पदों पर रह चुके हैं, उनकी ईमानदारी की काफी बात कही जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसे अधिकारी जब आपके विभाग में वरिष्ठ स्थान पर हैं तो उनको भी चाहिये, आपके माध्यम से सजग कर दिया जाय कि उनके नीचे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वह न पनपने पाये। उधर के एक माननीय सदस्य ने इल्जाम लगाया कि विरोधी ऐसा करते हैं। इससे किसी की प्रतिभा बढ़ती नहीं है। आप हम पर इल्जाम लगायें तो हम आप पर लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार कहीं भी मिले उसकी दवा होनी चाहिये। जिस स्तर से गड़बड़ी करे उसी स्तर से सजा होनी चाहिये। मैं अधिक न कह कर यही समाप्त करता हूं ताकि अन्य लोगों को मौका मिल सके। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा उसको शायद मन्त्री जी ने नोट नहीं किया होगा। उनका यह मेटर ५-६ जिलों में आया है। रेलवे के स्ट्राइक पीरियड में प्राइवेट बस वालों को परमिट दिये गये थे जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। इसके अलावा जैसा कि मुझे बताया है कि जिनके पास परमिट नहीं है वह बसें भी सारे प्रदेश में चल रही हैं और करोड़ों रुपये का इस परिवहन निगम को नुक्सान हो रहा है। मैरिज सीजन में ढिलाई की जा सकती है। रोडवेज के बस कर्मचारी कहते हैं कि जिनके पास परमिट नहीं है वे हमारी बस से आगे चल जाते हैं और हमको आगे नहीं निकलने देते हैं। रास्ते में यह सारी सवारियां बटोर लेते हैं। यह ५०-६० मील तक चलती हैं। लिहाजा ऐसी बसेज को जिलों में तार देकर तुरन्त बन्द करवा दिया जाय ताकि जो करोड़ों रुपये का नुक्सान परिवहन निगम को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोरेलाल शाक्य]

पहुंच रहा है वह बन्द हो जाय। राष्ट्रीयकरण का मतलब ही होता है कि जन सेवा अच्छी हो और सरकार की आमदनी बढ़े।

दूसरा हमारा सुझाव आमदनी बढ़ाने के लिये यह है कि जहां-जहां हमारी बसेज के अड्डे हैं, वहां पर परमीशन हो या न हो, वहीं पर टैक्सी और मिनी बसेज के भी अड्डे हैं। जितनी सवारी वहां आती हैं उनको यह लोग ले जाते हैं। जैसे नगरपालिका बैटरमेंट चार्ज लगाती है उसके लिये सुविधा प्रदान करती है। ये लोग हमारे बस अड्डे से यह सुविधा उठाते हैं जिससे हमारी आमदनी कम होती है। इसलिये इनके अड्डे यहां से हटाये जायें।

तीसरी बात यह है कि ५०-६० किलोमीटर के सुन्दर मार्ग हैं उन पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं। उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय और उन पर रोडवेज की बसेज चलाई जायं। आखिर क्या बात है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि आमदनी नहीं है और दूसरी तरफ इतने सुन्दर मार्गों को नहीं लिया जा रहा है। कानपुर से ललितपुर तथा झांसी से ललितपुर, ये कितने अच्छे मार्ग हैं। इन पर रोडवेज की बसेज नहीं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में एक रोडवज की सेवा भोपाल से दिल्ली तक चलती है। इसमें आनरेरी चैकिंग का काम विद्यार्थियों को दिया गया है। इसी तरह से यहां भी होना चाहिये। यदि विद्यार्थियों को चैकिंग का काम दिया जायगा तो यह ईमानदारी से करेंगे और अच्छा काम होगा। वह अधिक से अधिक लोगों को पकड़वाने का काम करेंगे क्योंकि वह समझेंगे कि इस तरह से सरकार हमारी बात सुनेगी और हो सकता है कि हमें नौकरी भी मिल जाय। इसी तरह की प्रक्रिया हमारे यहां भी लागू की जानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओवरलोडिंग के बारे में कम से कम मैं हिमायती हूं। इससे सरकार की आमदनी होगी, लेकिन इतना अधिक ओवर लोडिंग नहीं होनी चाहिये जिससे पैसेन्जर को दिक्कत हो। मैं प्राइवेट बसों में देखता हूं कि वहां जितनी जगह होती है उससे अधिक भर लेते हैं। एक बार मैं एक प्राइवेट बस से जा रहा था। उसमें बहुत से यात्रियों को भर लिया। मैं चिल्लाया लेकिन उस प्राइवेट बस के स्टाफ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो इतनी अधिक ओवर लोडिंग नहीं होनी चाहिये जिससे यात्रियों को असुविधा हो। यहां पर डबल पालिसी चल रही है। जब हम स्टेशन पर अधीक्षक से कहते हैं कि बस का प्रबन्ध नहीं है तो वह कहता है कि फोरमैन के पास जाइये वही गाड़ी का मालिक है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहरा दें। मैंने वहां पूछा कि इसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं आखिर कौन है तो उन्होंने बताया कि ड्वेल पालिसी है। तो मान्यवर, यह ड्वेल पालिसी समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं प्रमोशन की भी बात करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोशन आमदनी के हिसाब से किया जाय। जिस कन्डक्टर की आमदनी ज्यादा हो उसका प्रमोशन पहले होना चाहिये। और जो फोरमैन है उसकी तरक्की इस हिसाब से हो कि वह अधिक से अधिक बसें चालू हालत में दे सका हो। उसी की तरक्की हो। कारपोरेशन बनाया.....

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि प्रमोशन हो आमदनी के आधार पर लेकिन कुछ रूटों पर अधिक पैसेन्जर चलते हैं और कुछ रूटों पर कम यात्री चलते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री शकील साहेब आप कृपया बैठें।

श्री गोरेलाल शाक्य––

जब से यह कारपोरेशन बन गया है, वहां के लोग निष्क्रिय हो गये हैं। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। एक आपकी बस है जिसका नम्बर है ५९९० यह २०–१०–७३ को कानपुर से लखनऊ के लिये चली और उन्नाव आकर सभी यात्रियों को उतार दिया गया। लोगों ने मांग की कि हमारा कोई दूसरा इन्तजाम कर दिया जाय, लेकिन कोई इन्तजाम नहीं किया गया। पता नहीं वह बस वहां खराब दिखायी गयी या पेट्रोल बेंच लिया गया। माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायें कि वह उस दिन डिफेक्टिव दिखायी गयी या नहीं। दूसरी बस नं० ५८७९ है। दिनांक २१–५–१९७४ को यह कानपुर से लखनऊ के लिये चली और उसने यात्रियों को उन्नाव के आगे ४–५ मील पर छोड़ दिया। उस समय रात्रि के ९ बजे थे और हम लोगों ने कहा कि दूसरा प्रबन्ध कर दो लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। टिकट का पैसा दे चुके हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप पता लगायें कि यह गाड़ी खराब दिखायी गयी है या दूसरी जगह पर किराये पर ले जायी गयी है इसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि एक बार मैं लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चला उसका बस नं० था ८०८८ और रायबरेली जाकर उसकी बस खराब हो गई। फिर दूसरी बस वहां पर आई वह भी प्रतापगढ़ जाते-जाते खराब हो गई। वहां पर जब दूसरी बस आई तो उसने हमको बस पर चढ़ने नहीं दिया और वह ड्राइबर जो है भगवानदास, वह मुझे बस पर चढ़ने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि मैं चढ़ूंगा तब उसने कहा कि यह कारपोरेशन है आप कुछ नहीं कर सकते। इसी हाथ से तुम्हारा मुंह भी नोच लेंगे। तो इस प्रकार से यह है आपका कार्पोरेशन। उसने मुझे आगाह किया। उसने कहा कि अब आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते हैं। बस कंडक्टर का कोई दोष नहीं था केवल बस ड्राइबर का दोष था। उसने कहा कि हम तम्हारा मुंह खींच लेंगे, अब यह सरकारी डिपार्टमेन्ट नहीं है।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)––

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आज मनुष्य की व्यस्तता बहुत बढ़ गई है और इस वक्त राजकीय बस सेवा जो है वह हमारे जीवन की सहायक सिद्ध हुई है। इस सेवा से कितने लोगों को राहत मिलती है यह स्वयं सिद्ध है। इस सेवा से व्यापारियों को राहत मिलती है। इस सेवा से पर्यटकों को राहत मिलती है। इस सेवा से सर्वसाधारण जनता को राहत मिलती है। इसका वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो इस सेवा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि जनता में बस सेवायें काफी अधिक चालू हो गई हैं। हमारी जनता की यह मांग है कि बस सेवायें और अधिक विस्तृत कर दी जायं जिससे कि लोगों को और अधिक लाभ मिल सके। मैं अल्मोड़ा क्षेत्र से आती हूं। हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र की जनता की यह मांग है कि अल्मोड़ा से सीधी बस सेवा दिल्ली के लिये हो जाय। अब तक जो दिल्ली के लिये बस सेवा है, पहले अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक आना पड़ता है तब हल्द्वानी से दिल्ली के लिए बस बदलनी पड़ती है।

हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है कि अल्मोड़ा से दिल्ली तक सीधी बस सेवा कर दी जाय, जिससे यात्रियों को बीच में बस न बदलना पड़े। इस बस बदलने में जनता को कठिनाई होती है। जनता की मांग है कि जो बस हल्द्वानी में बदलनी होती है, उससे जनता को राहत दिला दी जाय। जनता की वहां पर यह भी मांग है कि वहां पर एक ही बस सेवा न हो बल्कि वहां दिल्ली के लिये रात्रि बस सेवा पर कई बस सेवायें चलाई जायं। यात्रियों के लिये वहां पर एक डीलक्स बस सेवा भी होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त और भी बस सेवा अल्मोड़ा से

[कुमारी रमा पन्त]

लखनऊ के लिये, बरेली के लिये, मुरादाबाद, देहरादून, हरद्वार के लिये होनी चाहिये और यदि सम्भव हो तो बद्रीनाथ रूट पर भी बस सेवा चलाई जाय। हमारे प्रदेश में राजकीय बस सेवा ने सराहनीय काम किये हैं। कुम्भ मेले के अवसर पर और जब रेलवे हड़ताल हो रही थी उस अवसर पर जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है उसको देखते हुए सरकार प्रसंशा की पात्र है। अगर विरोधी पक्ष से हमारी सरकार की प्रशंसा नहीं भी होती है तो जो तथ्य हैं तो वह तो हैं ही, जनता उनको देख रही है।

माननीया महोदया, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बातें कही हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें इस विभाग के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की कही वह तो उन्होंने अपनी आदत के रूप में कही है। यह तो विरोधी पक्ष की आदत पड़ गई है कि उनको और कोई शिकायत किसी विभाग के संबंध में न मिले तो भ्रष्टाचार की ही बात कहें चाहे परिवहन विभाग हो या दूसरे विभाग हों। वे इस अन्दाज से कहते हैं जैसे भ्रष्टाचार के लिये सरकार की ओर से इशारा हो रहा हो, प्रोत्साहन हो रहा हो। जबकि सरकार की ओर से जब भी भाषण होत हैं, उनमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है भ्रष्टाचार जहां जहां भी व्याप्त है, उसको कुचलने के लिये यह सरकार दृढ़ संकल्प है। जहां तक मेरा कहना है वह यह है कि यह तो व्यक्तिगत चारित्रिक पतन की बात होती है, सरकार तो इसे रोकने के लिये प्रयत्नशील है ही।

परिवहन विभाग में आमतौर से जनता को जो शिकायतें हैं, वे टिकटों के ब्लेक में बिक्री के सिलसिले में है। उसको रोकने के लिये सरकार ने इन्सपेक्टर नियुक्त किये हैं और इसको रोकने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध भी है। मेरा माननीय मन्त्री जी को यह सुझाव है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो चरित्रहीन हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि कर्मचारियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति न पनपे और सजा पाने से वे लोग बचें।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहती हूं जहां पर हमारी राजकीय बसें चल रही हैं, वहां पर तो हमें केवल पैसेन्जर टैक्स ही देना पड़ता है और किराये की हमें छूट मिलती है लेकिन प्राइवेट बसें जहां पर चलती हैं, वहां पर विधायकों को वे सुविधायें नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्राइवेट गाड़ियों को इजाजत देते समय उन्हें यह निर्देश कर दिया जाय कि विधायकों को जो सरकारी बसों में सुविधायें मिलती हैं, प्राइवेट गाड़ियों में भी वही सुविधायें उन्हें प्राप्त हों।

मेरा एक और सुझाव यह है कि जहां भी रोडवेज के डिपो हैं, वहां पर एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिये, जिसमें लोकल एम० एल० एज० भी हों ताकि वहां पर रोडवेज के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है, उसे देख सकें और उनको ठीक से चलाने में सुविधा हो सके।

इस परिवहन का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और जिसको इसका अनुभव है, वह हमेशा इसकी सराहना ही करता है। जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है वहां पर राजकीय बस सेवा को विस्तृत करने की स्पष्ट मांग है और जहां तक मैं समझती हूं और क्षेत्रों से भी यह मांग रही होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस परिवहन के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

जहां तक विभाग में गड़बड़ी का सम्बन्ध है सत्ता पक्ष क हमारे माननीय सदस्य कहा करते हैं कि विरोध पक्ष भ्रष्टाचार की चर्चा करता है, सरकार का भ्रष्टाचार से क्या सम्बन्ध है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गंगा गंगोत्री से, न निकले, यमुना यमनोत्री से न निकले, नर्बदा और कंटक से न निकले तो कहां से निकले? सरकार तो उद्गम श्रोत है। रह गयी बात

कारपोरेशन्स की इनसे बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तीन चीजें हैं, कोआपरेशन, कारपोशिन और करप्शन। ये त्रीकंटक हैं। सरकार के द्वारा जब से इसका कार्पोरेशन बना है, सत्यानाश हो गया है। मैंने एक कन्डक्टर और ड्राइवर से पूछा कि अब तो आपकी कार्पोरेशन हो गयी है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी हो गयी है ? मैं तो इनके बारे में कहूंगा कि इनका रूप चिड़ियाघरों के समान हो गया है जहां बड़े-बड़े जिराफ, तेंदुए, सांप, गेंडे और घड़ियाल पल रहे हैं। वे बिना सूंड के सफेद हाथी हैं जिन्होंने इस विभाग को चूस लिया है। इनको बन्द होना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि परिवहन विभाग में आमदनी बढ़ी है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल झूठ है। बसों में इस प्रकार की भीड़ होती है जिस प्रकार से जानवरों को पकड़-पकड़ कर ठूंसा जाता है। जब गर्मियों में इस प्रकार से ठूंसा जाता है तो मैंने यह कहा कि इन गर्मियों के दिनों में अगर इनको कोलरा हो जाय तो क्या होगा? यह कारपोरेशन क्या बला हो गयी है? अब तो ऐसे २७ चिड़ियाघर बनने वाले हैं, तब तो इस देश का महान् अनिष्ट हो जायगा। छोटे-छोटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे जो पिछड़े हुए थे उनमें परिवहन विभाग की ऐसी शानदार व्यवस्था है कि अगर कोई बस २ बजकर १५ मिनट पर छूटनी है तो १६ मिनट नहीं होगा—ऐसी व्यवस्था है हरियाणा में। हमारे प्रदेश में ५ घंटे, ६ घंटे, ७ घंटे लेट। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो अधिकारी ने जवाब दिया कि हमसे ही कहते हो ? वैशाली ८ घंटे लेट, जी० एल० ९ घंटे, लेट, सभी रेलें इतनी लेट चल रही हैं तो बसें क्यों नहीं होंगी ? हां, दो-चार ठीक समय से खुलती हैं। सौभाग्य से जहां से मैं आता हूं वह मन्त्री जी का क्षेत्र है तो भला वहां किसकी मजाल है जो बस को लेट करे ?

एक बात आपको बतला दूं कि ८० प्रतिशत बसें ऐसी हैं जिनके पार्ट्स खराब हो गये हैं, नष्ट हो गये हैं। और हमारे यहां कौन बसें आती हैं? साउथ इंडिया से, मैसूर से, केरला से, मद्रास से तो बसें खरीदी जाती हैं जो वहां चल चुकी रहती हैं। वह हमारे यहां खरीदी जाती हैं। ८ करोड़ रुपये मांगे गये हैं रिजर्वबैंक से ऋण के रूप में परिवहन विभाग से। काहे के लिये ? बसें बढ़ायेंगे। कल-पुर्जे बढ़ायेंगे। इस विभाग में इतने कल-पुर्जों की चोरी हुई है कि कोई भी बस ठीक नहीं है और सबसे बड़ा खतरा क्या है ? वह यह कि नायलोन टायर की जगह रबर टायर लगे हुए हैं जिससे जनता को खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं उदाहरण देता हूं कि गोंडा में जो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी उसका कारण यही था कि नाइलोन की जगह रबरिंग लगा हुआ था और बस रफ्तार में जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि टायर फट गया और ड्राइवर मर गया और २०—२५ यात्री घायल हो गये। उसमें कितने ही मरे होंगे। बसों की आज यह दशा हो गयी है और इस राज्य सड़क परिवहन निगम ने, पहले सुना करते थे कि बधासुर होते थे, नरकासुर होते थे, अघासुर होते थे, अब इस निगम की कृपा से "बसासुर" होते हैं और "ट्रकासुर" होते हैं। आज कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है, कोई शासन नहीं, ट्रैफिक पुलिस को कोई अधिकार नहीं। जो चाहे जिस ढंग से बस चलाये।

मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में तो ब्रिटेन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस समय चर्चिल प्रधान मन्त्री थे तो उनकी लड़की सड़क पर कार से गुजर रही थी। वह गलत ढंग से जाने लगी, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया और पुलिस-स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया और चर्चिल की लड़की खड़ी हो गयी जाकर कोर्ट में। उस पर जुर्माना हुआ। यह है लोकतंत्र। यह है डेमोक्रेसी ! ऐसी यहां व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां यह है कि अभी हमारे माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं, मेरे एक मित्र ने कहा कि जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको वर्दी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, बीमारों की दवा के लिए पैसा नहीं है, मुफलिसों, बेकारों और असहायों के लिये उनके कष्टों से उनको राहत देने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

परिवहन विभाग की तफरीह के लिये हेलीकाप्टर खरीदा जाता है । यह रहा परिवहन मन्त्री जी के हाथ से लिखा हुआ जो उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें है कि २५,६४,६९,७९४ रुपये रखे गये हैं । गलती उनकी हो सकती है, २५ करोड़ नहीं होगा, ढाई करोड़ होगा । लेकिन किस लिये ये और आठ करोड़ रुपये मांगे जा रहे हैं रिजर्व बैंक से ? बड़ा लम्बा घोटाला करने के लिये । हो सकता है मन्त्री जी न करें, लेकिन जो उनके विभाग में बड़े-बड़े मगरमच्छ कारपोरेशन में फैल हुए हैं वह अवश्य कर रहे हैं । अगर सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था किसी विभाग में है तो वह परिवहन विभाग में है ।

मैं पडरौना का रहने वाला हूं । वह अच्छा पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है, खूबसूरत छोटा सा शहर है । वहां की दशा यह है कि बस स्टेशन जाकर आप स्वयं देख लें । अगर मैं गलत हूं तो मुझसे त्याग-पत्र मांग सकते हैं, मैं सहर्ष अपने नेता से अनुमति लेकर त्याग-पत्र दे दूंगा वहां पर पानी बरस जाय तो घुटनों-घुटनों तक खड़ा हो जाता है । कहीं शौचालय नहीं, कहीं रोशनी नहीं । उत्तर प्रदेश ऐसा शानदार प्रदेश जहां गंगा और यमुना बहती है वहां ऐसी दुर्व्यवस्था और हरियाणा और राजस्थान ऐसे प्रदेश जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन है वहां ऐसी शानदार व्यवस्था ।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्या कहूं--
भ्रष्टाचार सुनहु सब सन्ता,
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता ।

बड़ी खराब हलत कर दी है । एक तरफ आप कहते हैं कि तरक्की हो रही है । मैं भी आप ही की बात कहता हूं । मैं तो मानता हूं कि बढ़ोत्तरी ही रही है ? और ऐसी बढ़ोत्तरी हो रही है कि मैं आपसे क्या कहूं--

महलों की रौनक, राग रंग और खुशियां बढ़ती जाती हैं,
पर दिन-दिन दीन -दुखी के घर खुदकशियां बढ़ती जाती हैं ।
दिन-दिन गरीब के घर आटे में घाटा बढ़ता जाता है,
बहुगुना राज में दिन-दिन बिड़ला टाटा बढ़ता जाता है ।

फूट डालो और शासन करो, केवल एक नीति है इनकी । कथनी और करनी में आज निरन्तर अन्तर बढ़ता जाता है । अगर नतिकता का कोई तकाजा है तो हम उन बेन्चों पर बठे हुए लोगों से पूछते हैं कि जब मुल्क पर इतनी बड़ी आफत है, कटौतियां हो रही हैं, लोग सर्विसेज से हटाये जा रहे हैं, अस्पतालों के लिये पसा नहीं, शिक्षण संस्थायें बन्द की जा रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों के पढ़ने के लिये व्यवस्था नहीं, केन्द्र कहता है कि कटौतियां होंगी, ओवर-ड्राफ्ट नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा उस दिन मिट्टी में मिल गयी जब सरकारी चैक रेफ्यूज कर दिये गये । ऐसे लोग जो दिवालिया हों और बैंक पर चेक काट दें तो उनके चैक भुनेंगे ? सरकारी चैक बैंक से रेफ्यूज किये गये । फिर यह हैलीकाप्टर क्यों खरीदा गया ? आज कंडक्टर, ड्राइवर की हालत बहुत खराब है, बस स्टेशनों की हालत खराब है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया ।

*डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं परिवहन विभाग के अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । म इस निगम के घोर दुर्व्यवहार की कुछ घटनायें आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामने रखूंगा। एक निगम के प्रति आजकल जनता में रोष व्याप्त है और जो जनता को परेशानी हो रही है उसकी ओर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपको अपने जिले के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उरई से झांसी और कालपी से झांसी प्राइवेट बसें चलती थीं। पहले ४० बसें चलती थीं लेकिन जब से वहां पर प्राइवेट बसें बन्द करके राज्य सरकार की बसें चलनी शुरू हो गयी हैं तब से उनकी संख्या इतनी कम है कि आज सवारियां परेशान हैं। उनको दिन भर बैठे रहना पड़ता है और निगम की बसें सवारियों को नहीं बिठती हैं। जनता ने तमाम शिकायतों की और जनता की शिकायतों के आधार पर मैं स्वयं झांसी रूट पर २९-४-७४ को देखने गया। मैंने जखौली, परेना और एटा बस स्टेशनों पर रुक कर देखा और सवारियों की परेशानियों को खुद महसूस करता रहा। रोडवेज बस स्टेशन पर नहीं खड़ी करेंगे बल्कि स्टेशन से एक किलोमीटर आगे या पीछे खड़ी करेंगे। इससे सवारियों को बड़ी दिक्कत होती है। खासतौर से स्त्रियों और बच्चों को एक किलोमीटर पैदल चल कर गरमी के दिनों में भयंकर लू की चपेट का सामना करना पड़ता था। तमाम सवारियों से रुपये वगैरह छीने गये, उनको मारा पीटा भी गया। तो यह हालत है और इस पर भी निगम की तारीफ कांग्रेस पक्ष से की जाती है। बीच में स्टेशनों पर बसों को रोका नहीं जाता है। सवारियां खड़ी हुई दोपहर के समय गर्मियों में परेशान हुआ करती हैं। २९-४-७२ को, झांसी से कोटरा जो बस चलती है उस रूट पर बीच में एक जखौली स्टेशन पड़ता है, वहां पर उस दिन कोई बस रुकी ही नहीं। एक बस नं० ३९२८ जो बिदन्की से झांसी जा रही थी, वह भी नहीं रुकी। बस नं० ३७५८, ३५५७, ३२८७, ३९४३ उस दिन आयीं मगर उस स्टेशन पर कोई नहीं रुकीं और सवारियां खड़ी परेशान होती रहीं और निगम को कोसती रहीं। जब से यह निगम बना है तब से बस सेवा बहुत खराब हो गयी है।

जलौन से झांसी के लिये ८ बसें चलती थीं। प्राइवेट बसों को बन्द कर दिया गया। जब मैंने देखा कि सरकारी बसें भी नहीं चल रहीं हैं तो मैंने ए० जी० एम० झांसी से पूंछा कि यह ८ बसें भी क्यों नहीं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि ३ डाउन और ३ अप बसें ही चल रही हैं। मैंने जब जालौन जाकर देखा तो केवल एक ही बस चलती हुई दिखाई दी और उसका भी कोई समय निश्चित नही था, कभी सुबह ७ बजे, कभी सुबह ९ बजे, कभी दो बजे वह छूटती थी। जालौन-झांसी रूट पर जो कोंच तक प्राइवेट बसें झेलती थीं वे बन्द कर दी गयीं। अब समझ सकते हैं कि जनता को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। न सरकारी बसें चल रही हैं न प्राइवेट बसें चल रही हैं। इस मुख्य रूट पर एक बस क्या सेवा कर सकती है? मैंने ए० जी० एम०, झांसी से कहा कि प्राइवेट बसों को अलाऊ कर दीजिये, उन्होंने कहा कि इससे हमारे निगम को घाटा होता है।

मैंने ए० जी० एम०, झांसी को दिनांक ३ अप्रैल को एक पत्र लिखा जिसमें यह मांग की कि जनता की सुविधा के लिये जालौन से कौंच रूट के बीच लैहचूरा पर एक बस स्टेशन बना दिया जाय। १० अप्रैल को उनका एक पत्र मुझे मिला जिसमें उन्होंने कहा कि वहां बस स्टेशन कायम कर दिया गया है। मैंने उसके बाद वहां जाकर देखा कि न तो बस स्टेशन बना है, न ही वहां कोई बस खड़ी होती है।

जब से यह परिवहन निगम बना है तब से इसके कर्मचारी कितने निर्भीक हो गये हैं उसका बयान नहीं किया जा सकता। १ जून, १९७४ को जब उरई से लखनऊ के लिये बस आ रही थी, मैं उसमें बैठ गया। उसमें २० सवारियां बेटिकट बैठी हुई थीं। मैंने बस कन्डक्टर से कहा कि इनका टिकट क्यों नहीं बनाया। उसनें कहा सवारियां बैठ गयीं, जल्दी में टिकट नहीं बना पाया। फिर मेरे कहने पर उसने टिकट उनका बनाया मगर १० किलोमीटर आगे जाकर।

[डा० मलखान सिंह]

उसके बाद एक और घटना मैं बता रहा हूं। ४ जून को अपने क्षेत्र का दौरा करने में जा रहा था। वही बस लखनऊ से झांसी वाली—नं० ५०८२ मिली जिसके कंडक्टर गुलाब सेनी और ड्राइवर का नाम शहीद अहमद है। मुझे कंडक्टर ने बस पर बैठकर नहीं जाने दिया। पर मैं गाड़ी पर बैठ गया पर उसनें गाड़ी को नहीं चलाया और वहीं रोके रखा। और कहा कि मैं गाड़ी आगे नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बैठा हूं आप टिकट बनाइये और पैसेन्जर टैक्स ले लीजिये। उसने कहा कि आप काऊंटर पर टिकट बनवाइये। मैं काउंटर पर जाने के लिये मजबूर किया गया। सौभाग्य से उसी दिन जनरल मैनेजर उसी रूट से गुजरे। मैंने उनसे कहा कि कंडक्टर टिकट बस में नहीं बना रहा है। तब जनरल मैनेजर ने टिकट बनवाया और इस तरह से मुझे आगे जाने दिया गया। एटा में जहां मुझे उतरना था वहां कंडक्टर ने गाड़ी नहीं रोकी और २ किलोमीटर आगे मुझे उसने गाड़ी से उतारा। यह घटना ४ जून, १९७४ की है जब मुझे एटा से २ किलोमीटर आगे उतारा गया। निगम की परिस्थिति यह है कि आज जनता का निगम के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है। मंत्री जी आप निगम की सेवाओं को ऐसी बनाइये जिससे जनता को लाभ हो। जालौन—झांसी, कोंच-झांसी, उरई-झांसी रूट पर पर्याप्त बसों को सुविधा उपलब्ध कराइये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

डाक्टर मलखान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री भगवती चरण निर्मोही का नाम पुकारे जाने पर)

अधिष्ठात्री महोदया, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जहां आपने हम लोगों को पास दे दिया है, और जो हमको टैक्स जमा करना पड़ता है इसमें परेशानी होती है और इसे काउन्टर पर जमा करना पड़ता है, इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आपने जहां किराया माफ किया है वहां पर यह टैक्स भी माफ कर दीजिये।

श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं भी एक निवेदन कर रहा हूं। अभी जब मैं सिकन्दराराऊ से अलीगढ़ जा रहा था तो मैंने बस में जाकर कहा कि टिकट दे दीजिये। कंडक्टर ने कहा कि काउन्टर पर मिलेगा। जब मैं काउन्टर पर गया तो वहां से कहा गया कि आपको टिकट कंडक्टर देगा। इस तरह से परेशानी हुयी।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपनी अपनी बात लिख कर मंत्री जी के पास भेज दीजिये। मंत्री जी इस पर ऐक्शन लेंगे।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह परिवहन विभाग का बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीया, मैं पर्वतीय अंचल का निवासी हूं जिसके नाम से यहां कुछ माननीय सदस्य चोंकते हैं। लेकिन अपनी बात तो कहनी ही पड़ती है और उसी को कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीया, परिवहन विभाग से हमारा बहुत कम संबंध है। और वह इसलिये कि हमारे यहां आज भी हमारा परिवहन विभाग, हमारे दो पांव (पैर) हैं। आज गढ़वाल का सारा परिवहन २ पांवों के बल पर चल रहा है। प्रकृति ने भी हमारे लिये एक परिवहन विभाग खोल रखा है। वह विभाग क्या है? वह विभाग है, अलकनंदा-भागीरथी-पिंडल आदि नदियों का और हमारे यहां यही यातायात का साधन है। मान्यवर, पर यह यातायात हमारे देवदार, भोजपत्र, आंगू, अखरोट, चीड़ आदि पेड़ों के तख्ते, स्लीपर को नीचे बहा कर ले आता है।

(इस समय ४ बज कर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन हम उस परिवहन का इस्तेमाल करें तो मान्यवर, फिर हम अपने देश को नहीं लौट सकते हैं। इसलिये हम उन वाहनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मृत्यु होने पर ही हम इन वाहनों का प्रयोग करते हैं। मान्यवर, यह खुशी की बात है कि आजादी के बाद हमें कुछ परिवहन की सुविधायें मिली हैं। लेकिन जितनी मिलनी चाहिये थी उतनी नहीं मिली हैं। उसके शतांश भी नहीं मिली है।

मान्यवर, यह खुशी की बात है कि कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कुटीर उद्योग खुलें। पर कुटीर उद्योग में उदाहरणार्थ हम कहीं कुर्सियों का या मेज बनाने का कारखाना खोलते हैं तो जब यातायात की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कुलियों के सिर पर इस सामान को मोटर स्टेशन तक पहुंचायेंगे। ऐसी दशा में उनकी कीमत दूसरे स्थान की कुर्सियों की अपेक्षा काफी बढ़ जायेगी जिससे बाजार में उनके मुकाबले ये कुर्सियां नहीं टिक सकेंगी।

मान्यवर, आज पहाड़ों के लोग फलउद्यान लगा रहे हैं। हजारों पेड़ सेब, अखरोट नाशपाती तथा अंगूर के लग रहे हैं। लेकिन मुझे भय है कि अगर परिवहन की व्यवस्था न हुई तो ये फल जहां के तहां सड़ेंगे। यदि उनको कुलियों के सिर पर स्टेशन तक लायेंगे तो दूसरे स्थानों के मुकाबले बाजार में ये फल मंहगे पड़ेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिये भी परिवहन की व्यवस्था हो और जहां हम परिवहन का नाम लेते हैं वहां मार्ग का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आज हमारे लिये मार्ग अवरुद्ध है मार्ग कण्टकाकीर्ण है, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इन ५ वर्षों के भीतर हमारे लिये भी मार्ग प्रशस्त करे।

अध्यक्ष महोदय, जिन विभागों की यहां चर्चा हुई उसमें भ्रष्टाचार का बराबर नाम लिया गया। मैं मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार है। पक्ष और विपक्ष की इस संबंध में एक राय है कि भ्रष्टाचार है और उसको मिटाना चाहिये और भ्रष्टाचारियों को दंड मिलना चाहिये। इसमें सब एक मत के हैं। लेकिन आज हमने सब धान बाईस पसेरी कर दिया है। टका सेर भाजी टका सेर खाजा कर दिया है क्योंकि आज क्या उत्तर प्रदेश में चरित्रवान तथा ईमानदार कर्मचारी और अधिकारी नहीं है। आज हमें सब को एक ही नाप से तोलते हैं। तो जो चरित्रवान और ईमानदार अधिकारी हैं वे सोचते हैं कि हमें भी भ्रष्टाचारी का नाम दिया जाता है। इसलिये वे लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। इसलिये इसकी दो श्रेणी होनी चाहिये। एक नैतिक कर्मचारियों की और दूसरी अनैतिक कर्मचारियों की। मैं यह चाहता हूं कि हमारा मापदंड कर्मचारियों व अधिकारियों की उन्नति और अवनति की कार्य क्षमता और चरित्रता के आधार पर होना चाहिये। किसी अधिकारी को चाहे वह किसी विभाग का हो बदलने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कानून में ऐसा संशोधन हो कि भ्रष्टाचारी अधिकारी को बिलकुल छोटा कर्मचारी बना दिया जाय जैसे कि आर० टी० ओ० को एकदम कंडक्टर बना दिया जाय और यदि कंडक्टर की कार्यक्षमता और चरित्र अच्छा हो तो

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

उसको आर० टी० ओ० बना दिया जाय। तभी देश का कल्याण हो सकता है। मान्यवर, दो-एक सुझाव म देना चाहता हूं। हमारे कोटद्वार में ए० जी० एम० कार्यालय खुल चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर ए० जी० एम० नहीं पहुंचे ह। जिन सड़कों पर रोडवेज की मोटर पाली है वहां कुछ गाड़ियां ऐसी चलती ह जिनको अगर सड़ी-गली कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। बीच में खड़ी हो जाती है और फिर मुसाफिरों से कहा जाता है कि ठेलो, उस समय विभाग की बड़ी बदनामी होती है। वहां की गाड़ियों का नवीनीकरण किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी जगहों से एक गाड़ी लखनऊ को आती है। पौढ़ी हमारे जिले की राजधानी है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां से कोटद्वार होकर एक गाड़ी प्रतिदिन लखनऊ की ओर रवाना होनी चाहिये ताकि वहां के आने वालों को कुछ सुविधा मिल सके। इसी तरह से टेहरी जिला तो हमारे जिले से भी पिछड़ा हुआ है। टेहरी वहां की राजधानी है। डाम बन जाने के बाद पता नहीं टेहरी कहा चला जायेगा, लेकिन वर्तमान में मैं यह चाहता हूं कि टेहरी से भी एक गाड़ी लखनऊ के लिये रोडवेज की रवाना हो ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सके और वहां की जनता लाभान्वित हो सके। श्रीमान्, हमारी बहुत सी समस्या हैं जो परिवहन के कारण हमें काफी असुविधा उठानी पड़ती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि छोटे कर्मचारियों को जैसा अभी कहा गया कि उनके लिये रहने का कोई स्थान नहीं ह अगर कोटद्वार में जहां रात में गाड़ी ठहरती है, वहां ड्राइवर और क्लीनर तथा जो टिकट बाबू है वहां रहने की व्यवस्था नहीं है। उनकी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं ने जो विचार प्रस्तुत किये है, मेरा ख्याल है माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे और पर्वतीय प्रदेश के लिये भी परिवहन का कुछ विशेष इन्तजाम करेंगे। धन्यवाद।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मेरे पैर में चोट आ गई है, इसलिये मैं बैठकर बोलने की इजाजत चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप बोल सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन में रखा है मैं समझता हूं कि जो हमारे साथियों ने भाषण दिया है, उन्होंने उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और उन सभी बातों की निन्दा की है जो माननीय मंत्री जी ने निगम को जन्नत बनाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में उन बातों के अतिरिक्त जो यहां सदन में कही गई है, दो-चार बातों को और कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आर० टी० ए० और एस० ओ० ए० के दफ्तर में मोटर ऐक्ट के अन्तर्गत जो मुख्तलिफ फार्म मिलते है, सरकार ने सप्लाई नहीं किये है ताकि मोटर वालों को ये फार्म मिल सकें। यह स्थिति कई वर्षों से चल रही है। आपरेटर्स को बड़ी कठिनाई होती है या जो ऐजेन्ट है वह छपवाते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी सेन्ट्रल वर्कशाप में साढ़े ३ करोड़ रुपये का सामान पुज वगैरा हर साल खरीदे जाते ह और ४-५ वर्षों से रूलिंग कांग्रेस की तरफ से और अपोजीशन की तरफ से यह मांग की जाती रही है कि रोजाना सामान चोरी होता है तो और एफ० आई० आर० लिखवाई जाती है तथा पहले से रोडवेज की एफीसिएंसी गिरी है। इसलिये मैं सरकार से यह मांग करता हू कि हाई-पावर कमेटी नियुक्त की जाय ताकि सेन्ट्रल वर्कशाप को भी और निगम में ठीक प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं देखा जा सके क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग के सामने जाने से कोई न कोई बहाना करते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज की एफीशिएन्सी यह है कि मैंने जो कट मोशन पेश किया उसके बाद निगम समिति की रिपोर्ट इस वक्त मिली । शाम को जब मैं गया था तो मेरे पीजन होल में नहीं थी । दूसरी रिपोर्ट्स तो मिल गयी थीं जिनके आधार पर कुछ कह सका । लेकिन यह रिपोर्ट अब मिली जिससे मालूम न हो सके कि क्या हो रहा है । जब यहां इस वक्त मिलेगी तो हम उस बारे में क्या कह सकेंगे क्योंकि आपके भाषण से तो सारी बातें समझ में आ नहीं सकती । दूसरी बात यह है कि कारपोरेशन अलग जरूर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग जरूर है लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि प्राइवेट वालों के ऊपर होता है । असलियत यह है कि निगम के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नही है । मोटर ऐक्ट के मातहत काम करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं । यहां से भी लिखा जाता है कि कुछ मत देखो । संविधान में यह है कि किसी चीज में फर्क नही हो सकता, व्यक्ति-व्यक्ति में फर्क नही हो सकता तो कोई वजह समझ में नही आती कि एक को दोजख कहा जाय और एक को जन्नत कहा जाय । यह कहां तक सही है ।

मैंने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहूंगा कि आपको १ करोड़ कम्पाउन्डिग केसेज में प्राइवेट वालों से मिला । आपको उनसे और भी ज्यादा मिलता । आपका १ करोड़ १० लाख का घाटा । दो करोड़ पैसेन्जर टैक्स नहीं दिया तो ३ करोड़ का घाटा और पुर्जों की चोरी का लगा लिया जाय तो १० करोड़ का घाटा है । २७ साल तक रोडवेज सरकार द्वारा चलती थी तो रोजाना कहा जाता था कि काम बढ़िया हो रहा है । जब निगम बनाया तो कहा कि पहले बहुत ही खराब काम होता था, इसलिये निगम बनाया । अध्यक्ष महोदय, जो मैं समझा हूं वह यह कि इस सरकार के बस का नहीं है कि यह काम चला सके । यह तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये मुख्तलिफ किस्म के निगम बनाती जा रही है और इस निगम में ऐसे लोग हैं जो कि कभी बसेज में सफर नहीं करते । वे क्या जाने कि लोगों को क्या तकलीफ है । जब वे यही नही जानते तो काम कैसे ठीक हो सकता है । कहा जाता है जमूहरियत है, डेमोक्रेसी है । क्या डेमोक्रेसी के यह मायने हैं कि जितने भी काम है उन्हें सरकार अपने कब्जे में लेकर निगम बनाती जाय और अपना यहां बैठी रहे । निगम में सरकारी कर्मचारी नियुक्त है चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हों या यहां के हों तो उससे क्या फायदा हुआ । जब करप्शन की इतनी बात कही जाती है तो मेरा कहना है कि आप एक करप्शन कारपोरेशन भी बना दें । एक बात और है । निगम के आदमी तो प्राइवेट गाड़ियों को चेक कर लेंगे लेकिन प्राइवेट आदमी निगम की गाड़ियों को चेक नहीं कर सकता । जो सेक्रेटरी हैं उस से आप कहें कि चेक करके बतलाये कि निगम की गाड़ियों कितना ओवर लोड चलती हैं । जब गवर्नमेंट के कब्जे में थी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि बगैर परमिट के गाड़ी नहीं चल सकती फिर भी सन् ७२ तक बगैर परमिट के सरकार ने गाड़ियां चलायी और कानून का उल्लंघन किया ।

करपोरेशन में भी वही हालत है । उसमें भी मालूम नहीं कि कौन सी गाड़िया डिपो में किस दिन चेंज हो जायेंगी । परमिट में कोई दुबारा इन्डोर्समेंट होता नही । चेकिंग स्टाफ देखेगा नहीं । वह कहते है कि जन्नत की गाड़ियां है । तो यह आपको देखना है कि जब आपका काम अच्छा है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिये । किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये । आप निगम को इस तरह से चलायें । आपको निगम का जो संचालक मंडल है, उसमें कोई नान-अफिशियल है नहीं । निगम की सफलता तभी हो सकती है जब उसका चेयरमैन नान-आफिशियल होगा । संचालक मंडल में कम से कम उतने ही नान-आफिशियल हों, जितने कि आफिशियल । लेकिन आपका जो निगम बना है, उसमें किसी भी पब्लिक के आदमी को–चाहे आपके दल का हो या विरोधी दल का प्रतिनिधि हो– स्थान नहीं दिया गया कि वह उचित सलाह दे सके, बता सके । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे

[श्री मु० असरार अहमद]

आपकी जो कंडम गाड़ियां है, कभी भी आपने पता लगाया कि वे गाड़ियां कुछ खास आदमियों के अलावा और दूसरों को नहीं दी जाती। मैं कहता हूं कि अगर किसी एम० एल० ए० से ही कह दें तो वह अपने लोगों से इसके बारे में कह देगा कि नीलाम होने वाला है। इससे कम से कम जो लोहे का भाव है, उससे ज्यादा पैसा मिल जायेगा। पार्टस की इतनी दिक्कत है कि एक रुपये का पार्ट-ब्लैक मार्केट में १०० रुपये का मिल रहा है। टी० ए०, डी० ए० और सी० ए० हर चीज हो रही है, लेकन काम कुछ नहीं होता नहीं।

आज रीजनल वर्कशाप की हालत क्या है? कानपुर में वही हालत है, जो आपके रीजन में है। बसों के पुर्जों का अभाव है। अव्वल तो अभाव है दसरे जिला स्तर पर या रीजन स्तर पर उनको खरीदने का अधिकार नहीं। हर चीज सेन्टर से, यहीं से खरीदी जायेगी। चालक और कन्डक्टर जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते है, वहां वे न लेट सकते है, न बैठ सकते है न सो सकते है। कोई सुविधा नहीं है, उनको, इस प्रकार और न कभी आपने पता लगाने की कोशिश की है। रेलवे में है, हर जगह है, और आपके कागज में भी है, लेकिन उसे जगह पर उनको ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बहुत-सी जगह तो पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। जो वेटिंग हाल बने है, उनकी छत इतनी खराब है कि गर्मी में धूप, जाडे में हवा और बरसात में पानी आता रहता है, उनमें, वेटिंग हाल क्या है, वे तो और भी असुविधा बढ़ाने वाले है यात्रियों के लिये। जो गाड़ियां खड़ी होती है, उनके ऊपर कोई कवरेज नहीं है। पानी बरसता है तो नीचे और अन्दर पानी आता रहता है। हवा आ रही है, शीशे टूटे हुये है, गंदगी फैली हुई है। मंत्री जी से कहूंगा कि वह विशेष रूप से छापा मारें, एटरडम कहीं जा कर देखे तो पायेंगे कि मामला बहुत खराब होता जा रहा है। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मोबिल आयल की कमी है। फ्रेश मोबिल आयल आपका ब्लैक में बेच दिया जाता है और जो जला हुआ होता है उसे आपकी गाड़ियों में डाला जाता है। इस तरह की हालत हर जगह है। जो कुछ कहा जाय बहुत कम है और जो कुछ सुना जाय वह भी कम है। निगम की परिवहन का सारा कार्य सुपुर्द करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप उनसे पूछ लें कौन से रूट ऐसे है जिनको वह सही तरीके से नहीं चला सकते उनको वह छोड दें और वह पब्लिक को दे दिये जाय। जिन रूट से वह आमदनी नहीं बढ़ा सकता वहां पब्लिक तथा प्राइवेट दोनों बसे चलें। इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और एफिशियन्सी भी बढ़गी। जो अन्य बातें मुझे कहनी है वह मैं मंत्री जी से भेंट कर के कह दूंगा लेकिन जितनी भी बातें मैंने कहीं है वे सब मेरी कटौती के पक्ष में है और मैं चाहूंगा कि सरकार का कोई भी पैसा इस निगम को देने के लिये न दिया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

५ वर्षों में सरकार ने हरिजनों को कितन मोटर पर्मिट दिये हैं? यदि नहीं दिये है, तो क्या इसके लिये कोई विशेष व्यवस्था की गयी है इसको माननीय मंत्री अपने उत्तर में बतलाने की कृपा करेंगे?

*श्री राज मंगल पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं पेश्तर इसके कि और बातों का जवाब दूं जो माननीय सदस्य उधर बैठे है उनसे कुछ निवेदन अवश्य कर देना चाहूंगा हूं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात वह करते है, गाड़ियों को समय से न चलने की बात करते है रोडवेज के स्टेशनों पर गंदगी है इसकी चर्चा करते है, कंडक्टर तथा ड्राइवर माननीय सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं इसकी शिकायत करते है लेकिन जब ऐसे ही ए०टी०आई०, ड्राइवर तथा कंडक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो ऐसे भी माननीय सदस्य है या तो उनका सम्बन्ध उनकी यूनियन से है या उन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे पोलिटिकल एफिलियेशन है । जो कभी-कभी इस सदन में ऐसी चर्चा करते है जिस को सुनकर बडा दुख होता है । वे माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं है इसलिय मुनासिब नहीं है कि उनका जवाब दूं । उनकी चिट्ठी भी मेरे पास मौजूद है । उनका काम निहायत गलत है । ओझा जी जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य है इस बात के गवाह है जिनके सामने इस बात की कोशिश की गयी कि उस ट्रांसफर को मैं कैंसिल कर दूं और ये वे लोग है जो पुर्जों की चोरी करते है । जो पास की चोरी करते है, जो अपनी यूनियन में मेम्बरों का नम्बर बढ़ाने के लिये दूसरी यूनियन वालों को ट्रांसफर कराते है, ये वे लोग है जो बसों पर चढ़ कर किराया नही देते, दूसरी यूनियन वाले अगर उनको चन्दा नहीं देते हैं तो जनरल मैनेजर से कह कर दूर-दूर तक ट्रांसफर करवा देते हैं ।

इस किस्म के सैकड़ों पत्र मेरे पास है और मैं उन्हें पेश कर सकता हूं । अभी दिसम्बर, के महीने में जब मैंने एक ट्रांसफर किया जिसके आधार पर एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता जिन्दा रहना चाहते थे जिनकी आमदनी ७० रुपये से लेकर १०० रुपये रोज थी। २५ पैसे के टिकट के वे १ रुपया लेते थे और एक रुपया के टिकट के २ रुपये लेते थे । इस प्रकार एक पोलिटकल पार्टी के नेता का भविष्य निर्भर करता था । आज ऐसे लोग सदन में आकर हमारी सरकार की चर्चा करें तो इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है ।

एक सदस्य--

उस नेता का नाम आप बता दें । कहीं आपके जिले के लोग ही तो नहीं है....

(व्यवधान)

(एक आवाज--कांग्रेस के लोग तो है हीं) ।

श्री राजमंगल पांडेय--

नाम न निकलवाये तो अच्छा है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

ऐसे लोगों का नाम बता देना ही जनहित में अच्छा है । वरना हम समझेंगे कि यह कपोल-कल्पना है ।

श्री राज मंगल पांडेय--

आप समझ ही गये होंगे । वे दोनों माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं है वे चले गये है ।

मान्यवर, मैं असरार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह बताया कि आज प्राइवेट बसें जितनी आमदनी देती है उसके मुकाबले में रोडवेज की बसें नही देती । यह तथ्य सही है । लेकिन उसके बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि हम बहुत-सी बसे ऐसी सेवाओं में लगाये हुये है जहां से हमें लाभ के बजाय घाटा होता रहताहै--आज से नही सन् ४७ से हम पहाडी इलाके में बस सेवायें चलाये है जहां से हमें मुनाफा नहीं होता है, घाटा होता है। लेकिन मुनाफे के लिये हमें बसों को नहीं चलाना है। जनता के हितों को ध्यान में रखकर हम उन्हें वहां चलाते है । जब प्राइवेट बसें चलती थीं, उनमें इन्सान की क्या हालत होती थी उसे यह सारा सदन जानता है । ४० आदमियों की बस में ७०--७० और ८०--८० आदमी बैठकर जाते थे । जैसा कि अभी हमारे विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट बसों में यात्रियों की बड़ी दर्दनाक हालत थी । उसी बुरी व्यवस्था को देखकर सरकार ने यह कोशिश की कि वह अपने माध्यम से रोडवेज बसें चलाये । इस तरह से हमने इस क्षेत्र में

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

दिन-रात कोशिश करते हुये प्रगति की और उसका नतीजा यह रहा कि जहां हमारी १३ सौ बसें चलती थीं वहां आज ४,७२२ बसें हो गई ।

यह भी बताया गया कि १६ प्रतिशत बसें आफ दि रोड होनी चाहिये । मैंटीनेंस के परपज के लिये । आज उसकी संख्या २५ प्रतिशत हो गई है । हमें यह स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि क्रिटिकल आइटम्स जो है वे उपलब्ध नहीं है । आज हम उन चीजों के लिये जिसके लिये हम इम्पोर्ट करते थे २३ लाख रुपये के, वह किसी कारणवश हमें उपलब्ध नहीं हो सके । जिससे कि हमारी शार्टेज बढ गई । टाटा का एक माडल चलता था वह भी उसने अब बदल दिया। उसका इंजिन, पिस्टन और सिलेन्डर अब नहीं मिलता है । एक पंजाब और हरियाणा मैन्युफैक्चर कारखाने से मांगा किन्तु उसे टेस्ट करने पर कारगर नहीं हुआ । बस चेसिस लेनिन और टाटा की बार-बार आग्रह करने पर भी जितनी आवश्यकता हमें है, वह नहीं मिल रहा है ।

एक प्राइवेट आपरेटर के लिये जहां नुकसान है, वहां हमें फायदा भी है । अगर एक ड्राइवर गल्ती करता है तो हमारे असरार साहब उसे निकाल देंगे लेकिन जहां वे प्राइवेट रूट्स पर लगे हुये है हमारे तो रूल्स है, नियम है, कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, कुछ एशिएन्शियल सर्विसेज रूल्स है, जिसके अनुसार चलना होता है । उनको मांग करने और लड़ने का भी अधिकार है आखिर में चाहे जो निर्णय हो, उसको हम मानने के लिये भी मजबूर है । वहां तो कोई एक बस चलाता है, उस पर वह ऐक्ट अप्लाई नहीं होता है । हम विश्राम गृहों पर भी खर्च करते है हमारे जो पैसेन्जर्स है, उनकी सुख-सुविधा पर भी खर्च करते है । हमने वर्ष ७४–७५ में इसके लिये ६० लाख रुपये का प्राविधान किया है, जिससे हम उनको तमाम एमेनिटीज देंगे जो बस पर यात्रा करते है । यह बातें प्राइवेट बस वालों पर लागू नही है ।

मै कहना चाहूंगा कि इस विभाग के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कमेटी बनाई, यदि उसके बारे में भी एतराज है तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है । जो आठ आर०टी०ओ० आफिसेज है, उनके यहां भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें थी कि वे भ्रष्टाचार के अड्डा है और इसके लिये हमने वहां एक टैक्निकल ऐडवाइजर और एक मैजिस्ट्रेट रखा, तो उसके बावजूद भी कहा जाय कि आज भी भ्रष्टाचार है तो यह ठीक नही है । हमने मिटाने की तो उसको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है । उसका नतीजा यह है कि जो शिकायतें पहले काफी संख्या में आती थी, आज उनकी संख्या में काफी कमी हो गई है । सेन्ट्रल वर्कशाप में जो १,४९१ इम्प्लाई थे उनमें से १,२९४ को हमने रेगुलर में कन्वर्ट किया । इसी तरह से रीजनल डिपो वर्कशाप में जो १८३४ इम्प्लाइज थे उनमें से ७४० को हमने रेगुलर किया । मिनी बस और परमिट के बारे में बहुत लम्बी-चौडी बात यहां कही गई । हम मानते है कि इसमें कुछ दिक्कते है, लेकिन इसी सदन में मिनी बसों के बारे में बडी-बडी चर्चायें की गई है । माताडोर मिनीबस के बारे में कहा गया कि वे बेकार है, किन्तु उनके लिये भी कोशिश होती है । दूसरी टाटा की है । आज बडी समस्या है कि किसको परमिट दिया जाये । जो खराब भी है यदि उनको इस बेस पर परमिट न दिया जाय तो कल कहा जायगा कि यह हमारे साथ डिस्क्रिमनेशन है और कहा जायगा कि एक मिनीबस के मैनुफक्चर के साथ फेवर किया जा रहा है । यह बहुत बडी समस्या है । ४ हजार लोगों ने अप्लाई किया है । जैसा शुक्ला कमेटी ने कहा, ७६५ को दें और ४३७ को न दे सकें तो कैसे बात बनेगी । और यदि उनको भी देने का निश्चय कर लें तो ४ हजार को तो हम दे नहीं पायेंगे । तो उसी पर इस सदन में ऐसी-ऐसी बात कहीं जायेंगी, जिस पर सरकार का और विशेषकर मुख्य मंत्री जी को बडा अफशोस होगा, जो चाहते है प्रदेश में ऐसा शासन हो जो ईमानदारी का आदर्श हो और जिसपर विरोधपक्ष के आदमी भी उगली न उठाने पावें ।

हम लोग भी समझते है कि कोई चीज हम गलत न करें और माननीय सदस्यों के अनुरोध पर परमिट जारी करें तो हम पर लाछंन लगाया जाये, तो कोई भी व्यक्ति यह करना नहीं चाहेगा ।

कुछ ट्रान्सफर्स के बारे में बातें कहीं गई । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं । जो ट्रांसफर की लिस्ट है, उसी में मान्यवर, के टेबुल पर रख दूंगा, आप पायेंगे कि ऐसा अभी नही हुआ कि कोई लिस्ट आई हो और ऐसा वैसा किया गया हो । केवल एक आर0टी0ओ0, के केस में छोडकर क्योंकि उसकी पत्नी मेन्टल-हास्पिटल में है, वह खुद ही इतना परेशान है जिसकी हालत इतनी दर्दनाक है, अगर उसके बारे में सोचा जाता है कि विचार करना चाहिये और उसके अनुरोध पर ट्रांसफर होता है तो भी शिकायत की जाये तो बड़ी तकलीफ होती है । एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसका ट्रांसफर हुआ हो और फिर कैंसिल किया गया हो । ३५ वर्ष किसी किसी की सर्विस है ।

धूमफिर कर वह वहां जायेंगे । इसका मतलब यह है कि बदनीयती से किया ? १३–१४ लोग १९६७–६८ में उन्हीं जगहों में थे वहां पर होम टाउन है। इससे क्या मतलब निकाला जाय ? ट्रांसफर हम लोग जानबूझ कर करते है ? ट्रांसफर डिपार्टमेंट करता है । उसके पास पूरी फाइल है । मुझे खुशी है कि माननीय असरार साहब नें इस विभाग की कुछ दिक्कतों को समझने की कोशिश की । यह बात सही है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का आफिस इतनी खराब हालत में है । शायद इतनी खराब बिल्डिग सरकार की कोई नहीं है । न कोई वेंटिलेशन है, पानी चूता है, सिमेंट टूट कर टपकता है । लेकिन हमारी जो वित्तीय अवस्था है शासन ने एक निर्णय लिया कि हम बिल्डिग न बनवायें । पहले यह तय हुआ कि प्लिंथ के नीचे जो बिल्डिग है ऊपर न करें, अब यह हो गया कि किसी किस्म की बिल्डिग न बनायी जाय । यहां तक कि बिल्डिग भी न बनें, जहां पर हाईकोर्ट से बार-बार लिखकर आ रहा है । वित्तीय अवस्था को देखते हुये कुछ कारगर कदम उठाये है कुछ बाकी है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गौरी जैसे छोटे स्थान पर बस स्टेशन का निर्माण हो गया, हाटा में नहीं हुआ, कप्तानगंज में नही हुआ, रामकोला में नहीं हुआ इसकी क्या वजह है जब कि ये गौरी से ज्यादा आबादी रखने वाले है, चारों तरफ बसें आती जाती है?

श्री राज मंगल पांडेय––

माननीय बांकेलाल की मांग उचित भी है । क्योंकि हाटा बहुत बड़ी जगह है जहां से रोडवेज को काफी आमदनी है । मैंने वित्तीय अवस्था की बात की । जैसे ही साधन उपलब्ध हो जायेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हाटा या कप्तानगंज या रामकोला में जहां पर बड़ी आबादी, है, दो-दो फैक्टरीज है, जहां पर ट्रैफिक बढ रही है, सीमित साधनों को देखते हुये समय की प्रतीक्षा करें, जब समय आयेगा, हमारे पास संसाधन होंगे तो निश्चय ही उन संसाधनों को स्टेशनों को बनाने में लगायेंगे । हमारी कुछ दिक्कतें है । कहा गया कि करप्शन है । मैंने नहीं कहा कि करप्शन नहीं है । लेकिन मेने यह भी कहा कि जून, १९७२ से पहले, करपोरेशन से पहल इस विभाग में जो चोरियां थी उसके मुकबले में चोरी कम है । दूसरी दिक्कत हमारी यह है कि हमने माननीय मुख्य मंत्री से कई बार मांग की कि पुलिस कांस्टेबिल और आफिसर को रखने की । उसमें कई लाख रुपये का सवाल था । जब एक एक पैसे के लिये परेशानी है तो २०–२५ लाख रुपये उसमें कांस्टेबिलों और एस0आई0एस0 को रखने में लगायें, यह फिलहाल सम्भव नही है । जानते हुये हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे है । लेकिन मजबूरी है

[श्री राज मंगल पांडेय

कारपोरेशन की बात, मान्यवर, महाराष्ट्र को आप देखेंगे उन्होंने अपनी कारपोरेशन को टुकड़ों में कर दिया । हम भी कोशिश कर रहे है । मैंने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे सामने कुछ कानून व्यवधान पैदा हो रहे है । केवल इसी लिये नहीं कर रहे है । चूंकि ४४ हजार कर्मचारी है उनपर नियंत्रण रखना मामूली बात नहीं है । यह कर्मचारी अलग-अलग यूनियन्स में बैठे है । अलग-अलग यनियन्स की अलग-अलग मांगे है । कभी-कभी टकराव हो जाता है । माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में आये हुये इस सरकार को आठ महीने हो गये है । इस बीच में आपने देखा होगा कि स्ट्राइक नाम की चीज इस प्रदेश में नहीं रही । औद्योगिक शान्ति है । सेन्ट्रल वर्कशाप, रोडवेज में काम करने वाले ४४ हजार कर्मचारी है, उनमें स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं रह गयी ।
मैं आपके द्वारा बधाई देना चाहता हूं कि.....

श्री बांके लाल---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि निगमों का निर्माण सरकार द्वारा हो रहा है । लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो वह कह देते हैं कि इसका संबंध निगम से है और उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है । जब सरकार निगमों का निर्माण करती है तो जवाब देने से क्यों बरी हो जाती है ? यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, जब चौधरी साहब ने प्रश्न उठाया था तो कह दिया था कि दिन प्रति दिन के कार्यो को छोड़कर निगम के कार्यो की चर्चा हो सकेगी । एक हैलीकाप्टर की बात कही गई । लेकिन शायद उनको यह नहीं मालूम है कि इसका सारा काम, अनुबंध वगैरह का इस मिनिस्टरी के आने से पहले हो चुका था ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल---

मान्यवर, मेरे पास गवर्नमेंट से पत्र लिखकर आया है कि निगम के संबंध में प्रश्न नहीं किया जायेगा ।

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, पहले जो अनुबंध हो चुका था उसको हमने कार्यान्वयन कर दिया । यह जरूर हमने गल्ती कर दी है ? मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२-संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२-मोटर गाड़ियों पर करके अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,५२,३५,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६४—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६४—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि की अतिरिक्त ६,१२,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५—संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९९,९९,१०० रुपये से अनधिकृत धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९७—संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या ९७—ऋण और अग्रिम परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिक्रमित करते हुए १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत आज ७ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक श्री गोबिन्द सिंह नेगी का है ग्राम लच्छूमली जिला टिहरी-गढ़वाल के बाजार में डकैती के संबंध में । इस विषय में अल्प सूचित प्रश्न हो चुका है । दूसरा सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, कल्याण सिंह और बाबू लाल वर्मा

[श्री अध्यक्ष]

का लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजनालय का बंद हो जाने के संबंध में है। तीसरा सर्वश्री राम प्रकाश त्रिपाठी, हिम्मत सिंह, गजाधर प्रसाद का आगरा जिले में गेहूं की वसूली। चौथा सर्वश्री अठई राम, मुलायम सिंह, उदय नाथ और राम निहोर का थाना मांडा जिला इलाहाबाद की १८ वर्षीय गर्भवती स्त्री की पुलिस कर्मचारी द्वारा निर्दयता पूर्ण मारे जाने से मृत्यु के संबंध में। पांचवां श्री ओम प्रकाश सिंह का प्रचीन मूर्तियों तथा चित्रों की चोरी करने वाली अन्तराज्यीय गिरोह के संबंध में और छठा सर्वश्री पुरुषोत्तम कौशिक, कृपा शंकर आर्य और बांके लाल का बाढ़, सूखा, पायरिला तथा उपल बृष्टि से देवरिया जिले में भुखमरी के संबंध में और सातवां सर्वश्री रणधीर सिंह, शिवनाथ सिंह कुशवाहा मोतीलाल देहलवी, माखन लाल, सीताराम निषाद, जंग बहादुर वर्मा, गोरेलाल शाक्य और केशरी लाल का शोषित समाज दल का अमरहठ पम्प कैनाल योजना चलाओं सत्याग्रह के संबंध में है। इन सबको अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

कार्य सूची ११—बलिया और गाजीपुर बिहार के सीमावर्ती जिले में नक्सलियों की आतंक गतिविधियों के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५१ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य। माननीय त्रिवेणी सहाय, कल्याण सिंह, माधव प्रसाद त्रिपाठी (का नाम पुकारने पर) नहीं हैं।

अब हम फिर सोमवार को ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार, १५ जुलाई, १९७४ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१२ जुलाई, १९७४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर ।)

दिनांक ४–४–७४ को ओला से ५० प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची रबी, १३८१ फ० तहसील फरेंदा जिला गोरखपुर

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	परसिया खुर्द
२	चौतरवां
३	परास खांड़
४	महुअवा उर्फ महुई
५	पिपरा
६	पिपरा खल्ली
७	सिंहपुर अयोध्या
८	वरगदवा
९	बनकटा
१०	पकड़डीहा राजा
११	बाजारडीह
१२	फरेन्दा बुजुर्ग
११	सेखुई
१४	लेजार महदेवा
१५	रतनपुर उर्फ भरथीपुर
१६	उदितपुर
१७	बैकुन्ठपुर
१८	भगवतनगर परसिया
१९	सेम रहनी
२०	बसकटी
२१	परसा बेनी
२२	ओंडवलिया

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

संशोधनों की सूची

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९७४ में नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये औपचारिक एवं शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

१—खंड १ में "विधेयक" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया गया है ।

२—खंड २ में शब्द "नियंत्रण" तथा अर्द्ध विराम (कामा) के चिन्ह के बीच में शब्द "अधिनमिय" बढ़ा दिया गया है और शब्द "नियंत्रण" के पश्चात् लगाया गया अर्द्ध विराम का चिन्ह शब्द "अधिनियम" के बाद कर दिया गया है ।

३—खंड ८ में मूल अधिनयिम की प्रस्तावित धारा १०-क की तीसरी पंक्ति में शब्द "अथव" के स्थान पर शब्द "अथवा" कर दिया गया है ।

४—खंड ११ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में १९७४ के पश्चात् शब्द, "एत्दद्वारा" के स्थान पर शब्द "एतद्द्वारा" कर दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

संशोधनों की सूची

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९७४ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची--

१--खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "वाटर" के पश्चात् छोटा कोष्ठक के स्थान पर 'या' रख दिया गया है और उसी पंक्ति में शब्द 'छोड़कर' के पश्चात् छोटे कोष्ठक के स्थान पर बड़ा कोष्ठक लगा दिया गया है।

२--खंड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की मद (क) के तीसरी पंक्ति में शब्द "छोड़कर" के पश्चात् बड़े कोष्ठक के स्थान पर छोटा कोष्ठक रख दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१०८ वि० सभा--(१४९२)--१९७५--८२५।